

पुनरीक्षित पेंशन पी०पी०ओ० विवरण

क्रम सं०	कोषागार	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से०नि० पद	फाइल सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक		कोषागार को प्रेषित पत्र सं० एवं दिनांक	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
1	कोषागार आगरा	योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	लेखाकार	13800	4339	06-12-2018	8746	11-02-2018
2	कोषागार आगरा	योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	लेखाकार	13800	4339	06-12-2018	8746	11-02-2018
3	कोषागार लखनऊ	अरुण कुमार शर्मा	उप मु०लेखाधिकारी	9061	4550	10-12-2018	8138	23-01-2019
4	कोषागार बरती	नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर	लेखाकार	9103	6241	18-01-2019	5051	22-01-2019
5	कोषागार लखनऊ	माधुरी कपूर	लेखा लिपिक	10408	6320	21-01-2019	8220	06-02-2019
6	कोषागार लखनऊ	राधे रमण टण्डन	सहा० अमि०	8336	6330	22-01-2019	8190	28-01-2019
7	कोषागार अलीगढ़	तस्नीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी अहमद	मु० अमि०	7494	6425	25-01-2019	8705	11-02-2019
8	कोषागार सोनभद्र	सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम	सहा० अमि०	9143	6426	25-01-2019	8756	11-02-2019
9	कोषागार गाजियाबाद	सतीश चन्द्र गुप्ता	अधी० अमि०	9541	6488	28-01-2019	8329	31-01-2019
10	कोषागार कानपुर	राम शरण	महाप्रबन्धक	8488	6501	28-01-2019	8337	31-01-2019
11	कोषागार लखनऊ	दिपिन बिहारी श्रीवास्तव	मु० अमि०	13473	6502	28-01-2019	8434	11-02-2019
12	कोषागार अलीगढ़	कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शफीका अहमद	अधी० अमि०	6032	6503	28-01-2019	8759	11-02-2019
13	कोषागार लखनऊ	राम शंकर श्रीवास्तव	मु० अमि० स्तर-1	7017	6505	29-01-2019	8261	31-01-2019
14	कोषागार लखनऊ	स्वराज दास गुप्ता	अधी० अमि०	11208	6511	29-01-2019	8489	04-02-2019
15	कोषागार लखनऊ	घसीटे	घपरासी	11826	6513	29-01-2019	8267	31-01-2019

16	कोषागार लखनऊ	योगिता सिंह पत्नी स्व० अवधेश प्रताप सिंह	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	9631	6514	29-01-2019	8268	31-01-2019
17	कोषागार लखनऊ	राजेन्द्र प्रसाद कक्कड़	मु० अधिकारी स्तर-1	7678	6515	29-01-2019	8269	31-01-2019
18	कोषागार लखनऊ	राम नरेश अवस्थी	लेखाकार	12317	6522	29-01-2019	8296	31-01-2019
19	कोषागार लखनऊ	ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जिवान	चपरासी	7646	6529	29-01-2019	8470	04-02-2019
20	कोषागार गाजियाबाद	राम सिंह	अधिकारी अधिकारी	11743	6530	29-01-2019	8595	06-02-2019
21	कोषागार लखनऊ	ललित मोहन नागर	अनुभाग अधिकारी	7666	6531	29-01-2019	8485	04-02-2019
22	कोषागार लखनऊ	बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव	कम्प्यूटर-डाटा-पंचर कम प्रोग्रामर	7665	6533	29-01-2019	8443	04-02-2019
23	कोषागार इलाहाबाद	मनमोहन सिंह	अधिकारी अधिकारी	12633	6536	29-01-2019	8276	31-01-2019
24	कोषागार फर्रुखाबाद	महेश कुमार मिश्रा	सहा० अधिकारी	10689	6541	29-01-2019	8270	31-01-2019
25	कोषागार मिर्जापुर	दीप नारायण दूबे	अधिकारी अधिकारी	11400	6618	31-01-2019	8382	02-02-2019
26	कोषागार बाराणसी	रमा शंकर राय	सहा० अधिकारी	8323	6674	31-01-2019	8466	04-02-2019
27	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राकेश सक्सेना	अधी० अधिकारी	13007	6675	31-01-2019	8464	04-02-2019
28	कोषागार लखनऊ	सैयद दुर्ल हसन रिजवी	अधिकारी अधिकारी	9180	6676	31-01-2019	8463	04-02-2019
29	कोषागार कानपुर	अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद	लेखालिपिक	12230	6677	31-01-2019	8461	04-02-2019
30	कोषागार लखनऊ	गजेन्द्रपाल सिंह	मु० अधिकारी	5990	6678	31-01-2019	8465	04-02-2019
31	कोषागार बरेली	जगदीश चन्द्रा	सहा० अधिकारी	12228	6679	31-01-2019	8462	04-02-2019
32	कोषागार कानपुर	अनिल कुमार सन्थाल	सहा० अधिकारी	7669	6680	31-01-2019	8403	04-02-2019
33	कोषागार बिजनौर	ओम प्रकाश सिंह	सहा० अधिकारी	7683	6681	31-01-2019	8402	04-02-2019
34	कोषागार आगरा	विष्णु दत्त उपाध्याय	अधिकारी अधिकारी	6982	6682	31-01-2019	8400	04-02-2019
35	कोषागार लखनऊ	कृष्ण कुमार मिश्रा	उप मु० लेखाधिकारी	8042	6683	31-01-2019	8401	04-02-2019

36	कोषागार अलीगढ़	नौरंगी लाल	अधि० अधि०	12229	6684	31-01-2019	8389	02-02-2019
37	कोषागार मथुरा	बृज भूषण माटिया	अधि० अधि०	11307	6685	31-01-2019	8387	02-02-2019
38	कोषागार अलीगढ़	बिहारी लाल गुप्ता	सहा० अधि०	8069	6686	31-01-2019	8388	02-02-2019
39	कोषागार गाजियाबाद	नरेन्द्र कुमार जैन	अधि० अधि०	8726	6687	31-01-2019	8386	02-02-2019
40	कोषागार इलाहाबाद	प्रताप नारायण मेहरोत्रा	अधि० अधि०	7705	6688	31-01-2019	8384	02-02-2019
41	कोषागार लखीमपुर (खीरी)	शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवशम	लेखाधिकारी	7734	6689	31-01-2019	8393	02-02-2019
42	कोषागार लखनऊ	सुरेन्द्र कुमार	मु० अधि०	12173	6691	31-01-2019	8383	02-02-2019
43	कोषागार लखनऊ	दशरथ सिंह	आशुलिपिक	12207	6692	31-01-2019	8392	02-02-2019
44	कोषागार कासगंज	अनिल कुमार शर्मा	सहा० लेखाधिकारी	11601	6693	31-01-2019	8374	02-02-2019
45	कोषागार हापुड़	वीरेन्द्र कुमार	लेखाकार	8190	6694	31-01-2019	8378	02-02-2019
46	कोषागार गोरखपुर	नरेश चन्द्र दास	सहा० लेखाकार	12690	6699	01-02-2019	8545	05-02-2019
47	कोषागार गोरखपुर	नरेश चन्द्र दास	सहा० लेखाकार	12690	6700	01-02-2019	8750	11-02-2019
48	कोषागार गोरखपुर	राज बहादुर पाण्डेय	मु० अधि०	9359	6701	01-02-2019	8617	06-02-2019
49	कोषागार लखनऊ	गंगा राम गुप्ता	सहा० लेखाधिकारी	12602	6703	01-02-2019	8618	06-02-2019
50	कोषागार लखनऊ	रसवारानी पत्नी स्व० किरंजी लाल	अधि० अधि०	6213	6704	01-02-2019	8619	06-02-2019
51	कोषागार बरेली	दिनेश बहादुर सकसेना	सहा० अधि०	9109	6705	01-02-2019	8755	11-02-2019
52	कोषागार गाजियाबाद	लक्ष्मी दत्त	सहा० अधि०	12281	6706	01-02-2019	8622	06-02-2019
53	कोषागार बलरामपुर	विनोद कुमार सिंह	सहा० अधि०	11713	6707	01-02-2019	8620	06-02-2019
54	कोषागार लखनऊ	कबीर चन्द्र रुदा	सहा० अधि०	11404	6708	01-02-2019	8621	06-02-2019
55	कोषागार लखनऊ	लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सहा० अधि०	7752	6709	01-02-2019	8616	06-02-2019
56	कोषागार वाराणसी	कालिका सिंह	सहा० अधि०	7760	6710	01-02-2019	8624	06-02-2019
57	कोषागार वाराणसी	मंजू सिंह पत्नी स्व० लत्तन सिंह	अधि० अधि०	7694	6712	01-02-2019	8546	05-02-2019
58	कोषागार कानपुर नगर	गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित	सहा० अधि०	9236	6713	01-02-2019	8547	05-02-2019

59	कोषागार लखनऊ	सुकुन्द पाल सिंह	अधी० अमि०	8468	6714	01-02-2019	8548	05-02-2019
60	कोषागार गोण्डा	ताकीर हुसन खान	सहा० अमि०	8431	6715	01-02-2019	8549	05-02-2019
61	कोषागार मऊ नाथ बंजन	शमीर हुसन कुरैशी	सहा० अमि०	7782	6716	01-02-2019	8550	05-02-2019
62	कोषागार लखनऊ	अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर अली	घपरासी	7781	6717	01-02-2019	8630	06-02-2019
63	कोषागार गोरखपुर	सत्य नारायण शौर्य	लेखाकार	8500	6718	01-02-2019	8629	06-02-2019
64	कोषागार गोरखपुर	कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय	सहा० अमि०	11710	6719	01-02-2019	8628	06-02-2019
65	कोषागार फैजाबाद	जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय	लेखाकार	9876	6720	01-02-2019	8626	06-02-2019
66	कोषागार लखनऊ	शंकर सिंह	सहा० अमि०	12960	6721	01-02-2019	8752	11-02-2019
67	कोषागार लखनऊ	कैलाश विहारी माथुर	गु० अमि०-1	6384	6722	01-02-2019	8625	06-02-2019
68	कोषागार मुरादाबाद	सुरेश चन्द्रा	लेखाकार	12223	6723	01-02-2019	8627	06-02-2019
69	कोषागार लखनऊ	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	12963	6724	01-02-2019	8634	06-02-2019
70	कोषागार कानपुर	प्रेम नारायण अवस्थी	अधि० अमि०	11523	6725	01-02-2019	8633	06-02-2019
71	कोषागार लखनऊ	स्वरोचिश गुप्ता	अधि० अमि०	12257	6726	01-02-2019	8632	06-02-2019
72	कोषागार इलाहाबाद	जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० महेन्द्र नारायण पाण्डेय	लेखा लिपिक	12245	6727	01-02-2019	8631	06-02-2019
73	कोषागार आगरा	बहादुर सिंह	अधि० अमि०	12242	6728	01-02-2019	8635	06-02-2019
74	कोषागार जौंसी	अशोक कुमार	सहा० अमि०	13441	6729	01-02-2019	8511	05-02-2019
75	कोषागार कानपुर	कन्हैया लाल गुप्ता	महाप्रबन्धक	9952	6730	01-02-2019	8652	06-02-2019
76	कोषागार मेरठ	भुवेन्द्र झा	सहा० लेखाधिकारी	7607	6731	01-02-2019	8651	06-02-2019
77	कोषागार लखनऊ	दीपक चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० लेखाधिकारी	13659	6732	01-02-2019	8540	05-02-2019
78	कोषागार लखनऊ	भास्कर चन्द्र जोशी	अधी० अमि०	11509	6733	01-02-2019	8650	06-02-2019
79	कोषागार लखनऊ	गीता पत्नी सहा० दुखीराम	जभादार	11539	6734	01-02-2019	8649	06-02-2019
80	कोषागार बरेली	वीरेन्द्र नाथ शर्मा	अधि० अमि०	12288	6735	01-02-2019	8648	06-02-2019
81	कोषागार लखनऊ	राम सागर जायसवाल	वधि० लेखाधिकारी	12658	6737	01-02-2019	8646	06-02-2019
82	कोषागार वाराणसी	नीरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू	अधि० अमि०	11585	6738	01-02-2019	8645	06-02-2019
83	कोषागार अमरोहा	परम सिंह	सहा० अमि०	11512	6739	01-02-2019	8644	06-02-2019

84	कोषागार मथुरा	बोंके लाल चतुर्वेदी	वरिष्ठ सहाय अभि०	7957	6740	01-02-2019	8643	06-02-2019
85	कोषागार हापुड़	स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल	लेखाकार	8800	6741	01-02-2019	8642	06-02-2019
86	कोषागार लखनऊ	रंजीत सिंह अरोड़ा	सहाय अभि०	11518	6742	01-02-2019	8641	06-02-2019
87	कोषागार मेरठ	प्रदीप कुमार	अधि० अभि०	12147	6743	01-02-2019	8640	06-02-2019
88	कोषागार लखनऊ	शिवपाल सिंह	अधि० अभि०	7686	6744	01-02-2019	8639	06-02-2019
89	कोषागार लखनऊ	मोहम्मद अनीस	सहाय लेखाधिकारी	12293	6745	01-02-2019	8638	06-02-2019
90	कोषागार फर्रुखाबाद	जय कुर्वर सिंह	सहाय अभि०	12287	6746	01-02-2019	8637	06-02-2019
91	कोषागार गोरखपुर	सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सिंह	अधि० अभि०	12196	6747	01-02-2019	8636	06-02-2019
92	कोषागार लखनऊ	सैयद सईद हैदर	अधि० अभि०	11843	6748	01-02-2019	8749	11-02-2019
93	कोषागार आगरा	ओमवीर सिंह	सहाय अभि०	13856	6750	01-02-2019	8530	05-02-2019
94	कोषागार आगरा	अनिल कुमार पालीवाल	अधि० अभि०	11528	6751	01-02-2019	8539	05-02-2019
95	कोषागार कानपुर	विक्रम जग बहादुर सिंह	अधी० अभि०	12204	6752	01-02-2019	8544	05-02-2019
96	कोषागार बाराणसी	दीनानाथ चौरसिया	सहाय अभि०	9308	6753	01-02-2019	8543	05-02-2019
97	कोषागार गाजियाबाद	ओष प्रकाश कच्छल	सहाय अभि०	9201	6755	01-02-2019	8542	05-02-2019
98	कोषागार हापुड़	गोपाल प्रसाद गर्ग	सहाय अभि०	12389	6756	02-01-2019	8525	05-02-2019
99	कोषागार गाजियाबाद	सारित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह	सहाय अभि०	10028	6757	01-02-2019	8526	05-02-2019
100	कोषागार फैजाबाद	श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेंद्र बहादुर दुबे	लेखाकार	12239	6758	02-02-2019	8785	11-02-2019
101	कोषागार लखनऊ	मालती पत्नी स्व० होरी लाल	चपरासी	11594	6759	02-02-2019	8757	11-02-2019
102	कोषागार लखनऊ	आनन्द कुमार जैन	मु० अभि० स्तर-2	12238	6760	02-02-2019	8527	05-02-2019
103	कोषागार उन्नाव	स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री	लेखाधिकारी	7775	6762	02-02-2019	8528	05-02-2019
104	कोषागार गोरखपुर	शिव पूजन	सहाय अभि०	13838	6736	01-02-2019	8647	06-02-2019
105	कोषागार कानपुर	वृज मोहन लाल	प्रशा० अधि०	11386	6763	02-02-2019	8529	05-02-2019

106	कोषागार इलाहाबाद	वीरेन्द्र कुमार कपूर	सहा० अभि०	12227	6764	02-02-2019	8531	05-02-2019
107	कोषागार लखनऊ	नन्द लाल	साइक्लो० आपरेटर	12154	6765	02-02-2019	8532	05-02-2019
108	कोषागार इलाहाबाद	राजेश सिंह चौहान	सहा० अभि०	12254	6767	02-02-2019	8534	05-02-2019
109	कोषागार बिजनौर	मंगुलाल भारद्वाज	सहा० अभि०	8482	6767	02-02-2019	8534	05-02-2019
110	कोषागार लखनऊ	जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम	जमादार	12278	6768	02-02-2019	8535	05-02-2019
111	कोषागार गोरखपुर	कन्हैया प्रसाद जायसवाल	सहा० अभि०	12277	6769	02-02-2019	8536	05-02-2019
112	कोषागार मुरादाबाद	राम चन्द्र	अधि० अभि०	11510	6770	02-02-2019	8537	05-02-2019
113	कोषागार गोरखपुर	हरिश्चन्द्र पाण्डेय	सहा० अभि०	12779	6771	02-02-2019	8538	05-02-2019
114	कोषागार बिजनौर	प्रकाश लता पत्नी स्व० मेन्दा दत्त	लेखाकार	11514	6772	02-02-2019	8601	06-02-2019
115	कोषागार गाजियाबाद	श्याम सुन्दर	सहा० अभि०	11511	6773	02-02-2019	8600	06-02-2019
116	कोषागार मथुरा	सत्य प्रकाश चतुर्वेदी	सहा० अभि०	11519	6774	02-02-2019	8599	06-02-2019
117	कोषागार लखनऊ	लाल चन्द्र	पु० अभि० स्तर-2	11517	6775	02-02-2019	8598	06-02-2019
118	कोषागार आजमगढ़	अब्दुल वाहिद अंसारी	सहा० अभि०	11587	6776	02-02-2019	8594	06-02-2019
119	कोषागार महाराजगंज	राज किशोर प्रसाद	रप मु०लेखाधिकारी	8409	6777	02-02-2019	8593	06-02-2019
120	कोषागार अलीगढ़	सुगनन्दन पाठक	सहा० अभि०	13586	6778	02-02-2019	8722	11-02-2019
121	कोषागार लखनऊ	जगदीश प्रसाद तिवारी	सुरक्षा प्रहरी	11584	6779	02-02-2019	8592	06-02-2019
122	कोषागार लखनऊ	लल्लू	चपरासी	10000	6780	02-02-2019	8591	06-02-2019
123	कोषागार गोरखपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० अभि०	12111	6781	02-02-2019	8590	06-02-2019
124	कोषागार मुरादाबाद	विजय पाल सिंह	अधि० अभि०	12258	6782	02-02-2019	8607	06-02-2019
125	कोषागार लखनऊ	अनिरुद्ध सिंह	अभि० अभि०	12826	6783	02-02-2019	8608	06-02-2019
126	कोषागार लखनऊ	पारस नाथ दुबे	चपरासी	12260	6784	02-02-2019	8609	06-02-2019
127	कोषागार बाराणसी	गुलाब प्रसाद	सहा० अभि०	12261	6785	02-02-2019	8610	06-02-2019
128	कोषागार लखनऊ	रमेश कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	11530	6786	02-02-2019	8611	06-02-2019
129	कोषागार आगरा	फूल सिंह	सहा० अभि०	12232	6787	02-02-2019	8612	06-02-2019

130	कोषागार गालियाबाद	श्याम कुमार कोहली	अधी० अभि०	13191	6788	02-02-2019	8614	06-02-2019
131	कोषागार गोरखपुर	शमपति सिंह	अभि० अभि०	11846	6789	02-02-2019	8613	06-02-2019
132	कोषागार आगरा	गया प्रसाद	सहा० अभि०	12184	6790	02-02-2019	8587	06-02-2019
133	कोषागार इलाहाबाद	माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र धर द्विवेदी	सहा० अभि०	11574	6791	02-02-2019	8583	06-02-2019
134	कोषागार लखनऊ	मो० नजमुल हसन सिद्दीकी	वरि० कार्मिक अभि०	11576	6792	02-02-2019	8586	06-02-2019
135	कोषागार लखनऊ	सुभाष चन्द्र गोयल	उपमहाप्रबन्धक	11009	6793	02-02-2019	8585	06-02-2019
136	कोषागार इलाहाबाद	नसीमुद्दीन	सहा० अभि०	12029	6794	02-02-2019	8584	06-02-2019
137	कोषागार आगरा	दिनेश चन्द्र शर्मा	सहा० अभि०	13105	6795	02-02-2019	8582	06-02-2019
138	कोषागार सम्भल	सुरेश चन्द्र गुप्ता	सहा० अभि०	11524	6797	02-02-2019	8580	06-02-2019
139	कोषागार लखनऊ	रञ्जन लाल	संयुक्त सचिव	13025	6798	02-02-2019	8579	06-02-2019
140	कोषागार लखनऊ	पुरुषोत्तम राम यादव	सहा० लेखाकार	12138	6799	02-02-2019	8578	06-02-2019
141	कोषागार कानपुर	कमला मिश्रा पत्नी स्व० बन्नी मिश्रा	सहा० लेखाधिकारी	7785	6800	02-02-2019	8577	06-02-2019
142	कोषागार बरेली	सुरेश बिहारी भाधुर	सहा० अभि०	7658	6801	02-02-2019	8576	06-02-2019
143	कोषागार लखनऊ	अबुल हसन अंसारी	मु० अभि०	7755	6802	02-02-2019	8575	06-02-2019
144	कोषागार लखनऊ	प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी	लेखाधिकारी	7690	6805	02-02-2019	8560	06-02-2019
145	कोषागार भदोही	बहादुर त्रिपाठी	सहा० अभि०	11052	6805	02-02-2019	8560	06-02-2019
146	कोषागार सहारनपुर	योगेश दत्त शर्मा	अधी० अभि०	12259	6806	02-02-2019	8557	06-02-2019
147	कोषागार आगरा	रमेश चन्द्र अग्रवाल	लेखाकार	10971	6807	02-02-2019	8588	06-02-2019
148	कोषागार वाराणसी	कृष्ण गोपाल	मु० महाप्रबन्धक	11045	6808	02-02-2019	8555	06-02-2019
149	कोषागार नौरहा	विशेशवर लाल मल्होत्रा	मु० अभि० स्तर-2	7783	6809	02-02-2019	8553	06-02-2019
150	कोषागार आजमगढ़	राम चन्द्र राम यादव	सहा० अभि०	10407	6810	02-02-2019	8552	06-02-2019
151	कोषागार बदायूँ	सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना	लेखाकार	7737	6811	02-02-2019	8551	06-02-2019
152	कोषागार गोरखपुर	जय प्रकाश नारायण	सहा० अभि०	12753	6812	02-02-2019	8573	06-02-2019

153	कोषागार बुलन्दशहर	नानक चन्द्र	अधिका अधिका	11222	6813	02-02-2019	8572	06-02-2019
154	कोषागार इटावा	शिव दत्त तिवारी	सहाय अधिका	7786	6814	02-02-2019	8571	06-02-2019
155	कोषागार गोरखपुर	राम केवल	सहाय अधिका	8494	6815	02-02-2019	8570	06-02-2019
156	कोषागार झाँसी	शान्ती स्वरूप शर्मा	महाप्रबन्धक	10951	6816	02-02-2019	8569	06-02-2019
157	कोषागार लखनऊ	वास कृष्ण भट्ट	मु० अधिका स्त-1	11513	6819	02-02-2019	8568	06-02-2019
158	कोषागार महाराजगंज	बनारसी लाल	लेखाकार	11542	6820	02-02-2019	8567	06-02-2019
159	कोषागार रामपुर	सुरेन्द्र कुमार अशोरा	सहाय अधिका	12240	6821	02-02-2019	8566	06-02-2019
160	कोषागार गाजियाबाद	महेश चन्द्र	सहाय अधिका	12846	6822	02-02-2019	8565	06-02-2019
161	कोषागार आगरा	ध्रुव चन्द्र	सहाय अधिका	10593	6823	02-02-2019	8564	06-02-2019
162	कोषागार गोरखपुर	केशव प्रसाद	सहाय अधिका	11005	6824	02-02-2019	8563	06-02-2019
163	कोषागार आगरा	देवकी नन्दन गुप्ता	सहाय अधिका	12284	6826	02-02-2019	8559	06-02-2019
164	कोषागार मेरठ	रमेश चन्द्रा	महाप्रबन्धक	10287	6827	02-02-2019	8562	06-02-2019
165	कोषागार सुल्तानपुर	रीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी	सहाय लेखाधिकारी	10653	6918	05-02-2019	8795	11-02-2019
166	कोषागार गोरखपुर	मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय	अधिका अधिका	10687	6923	05-02-2019	8800	11-02-2019
167	कोषागार वाराणसी	अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम	सहाय लेखाधिकारी	6191	6924	05-02-2019	8801	11-02-2019
168	कोषागार लखनऊ	अमर बहादुर सिंह	लेखाकार	11910	6925	05-02-2019	8802	11-02-2019
169	कोषागार मेरठ	अरविन्द कुमार सिंघल	उपमहाप्रबन्धक	10614	6927	05-02-2019	8747	11-02-2019
170	कोषागार लखनऊ	नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह	चपरासी	10661	6928	05-02-2019	8803	11-02-2019
171	कोषागार लखनऊ	अनिल कुमार गोंधी	मु० अधिका स्त-2	12935	6934	05-02-2019	8758	11-02-2019
172	कोषागार लखनऊ	राकेश कुमार श्रीवास्तव	अधिका अधिका	12454	6935	05-02-2019	8702	11-02-2019
173	कोषागार लखनऊ	सुबीर कुमार मुखर्जी	लेखाकार	11080	6936	05-02-2019	8761	11-02-2019

6818

6926

174	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राकेश चन्द्र	सहाय लेखाधिकारी	12185	6937	05-02-2019	8760	11-02-2019
175	कोषागार लखनऊ	मुहम्मद अहमद	सहाय अर्थी	11463	6938	05-02-2019	8766	11-02-2019
176	कोषागार बुलन्दशहर	सुधीर गुप्ता	अर्थी अर्थी	12091	6939	05-02-2019	8819	11-02-2019
177	कोषागार वाराणसी	हरिनन्दन राम यादव	सहाय अर्थी	12080	6940	05-02-2019	8818	11-02-2019
178	कोषागार वाराणसी	वीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास बिहारी दास अग्रवाल	अर्थी अर्थी	11506	6941	05-02-2019	8817	11-02-2019
179	कोषागार लखनऊ	विजय कुमार	ए०सी० मैकनिक	8931	6943	05-02-2019	8732	11-02-2019
180	कोषागार लखनऊ	सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी	अर्थी अर्थी	11611	6944	05-02-2019	8826	11-02-2019
181	कोषागार वाराणसी	वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा	सहाय अर्थी	13287	6945	05-02-2019	8825	11-02-2019
182	कोषागार फैजाबाद	पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह	अर्थी अर्थी	11482	6946	05-02-2019	8824	11-02-2019
183	कोषागार कानपुर	वीरेन्द्र सिंह	सहाय अर्थी	12224	6947	05-02-2019	8784	11-02-2019
184	कोषागार कानपुर	कस्तूरी लाल अरोड़ा	सहाय अर्थी	9550	6948	05-02-2019	8783	11-02-2019
185	कोषागार गाजियाबाद	धनश्याम दास	सहाय अर्थी	11763	6949	05-02-2019	8782	11-02-2019
186	कोषागार वाराणसी	रामवर्धन सिंह यादव	सहाय अर्थी	11390	6950	05-02-2019	8781	11-02-2019
187	कोषागार गाजियाबाद	विपीन बिहारी शर्मा	सहाय अर्थी	13539	6951	05-02-2019	8780	11-02-2019
188	कोषागार गाजियाबाद	कमल कुमार शर्मा	सहाय अर्थी	11879	6952	05-02-2019	8703	11-02-2019
189	कोषागार गाजियाबाद	प्यारे लाल शर्मा	सहाय अर्थी	10705	6954	05-02-2019	8778	11-02-2019
190	कोषागार लखनऊ	प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा	प्रशा० अर्थी	6458	6955	05-02-2019	8777	11-02-2019
191	कोषागार लखनऊ	सुधा गोयल पत्नी स्व त्रिलोक चन्द्र गोयल	अर्थी अर्थी	6192	6957	05-02-2019	8770	11-02-2019
192	कोषागार गोरखपुर	जय नारायण सिंह	सहाय अर्थी	6868	6958	05-02-2019	8769	11-02-2019
193	कोषागार बरेली	गोपाल नन्द भटनागर	लेखाकार	8030	6959	05-02-2019	8823	11-02-2019
194	कोषागार बाराबंकी	मुंशी लाल बाजपेई	लेखाकार	11970	6961	05-02-2019	8767	11-02-2019
195	कोषागार गोरखपुर	राम आधार चौधरी	उपमहाप्रबन्धक	9064	6962	05-02-2019	8768	11-02-2019

196	कोषागार कानपुर	शिवा मट्टाचार्य पत्नी स्का गोविन्द प्रयाद मट्टाचार्य	सहाय अमि०	8480	6963	05-02-2019	8772	11-02-2019
197	कोषागार लखनऊ	शम्बीर हसन	सहाय अमि०	10969	5964	05-02-2019	8771	11-02-2019
198	कोषागार बुलन्दशहर	प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रमवीर सिंह	अधि० अमि०	7784	5965	05-02-2019	8775	11-02-2019
199	कोषागार गौतमबुद्धनगर	कृष्ण कुमार अरोरा	सहाय अमि०	9204	6966	05-02-2019	8776	11-02-2019
200	कोषागार कानपुर	रमेश चन्द्र शर्मा	अधि० अमि०	10119	6967	05-02-2019	8774	11-02-2019
201	कोषागार वाराणसी	कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० त्रिवेणी प्रसाद	व्यक्तिक सहाय	6268	6968	05-02-2019	8773	11-02-2019
202	कोषागार लखनऊ	भूपेन्द्र बहादुर सिंह	मु० अमि०-1	11632	7245	12-02-2019	9272	20-02-2019
203	कोषागार गाजियाबाद	सुनील कुमार सेन	सहाय अमि०	6630	7248	13-02-2019	9049	20-02-2019
204	कोषागार प्रयागराज	भीरा धूरिया पत्नी महेश प्रसाद धूरिया	लेखाकार	9435	7252	13-02-2019	9152	20-02-2019
205	कोषागार लखनऊ	रामबरन सिंह रातौर	अधि० अमि०	9380	7259	13-02-2019	9180	20-02-2019
206	कोषागार गाजियाबाद	शिमन लाल गुप्ता	सहाय अमि०	7591	7260	13-02-2019	9172	20-02-2019
207	कोषागार लखनऊ	श्रीराम	उप सचिव	13886	7262	13-02-2019	9175	20-02-2019
208	कोषागार गोरखपुर	भगवती सिंह	सहाय अमि०	11682	7263	13-02-2019	9165	20-02-2019
209	कोषागार लखनऊ	जगदीश प्रसाद पाठक	प्रशा० अमि०	11684	7264	13-02-2019	9169	20-02-2019
210	कोषागार मेरठ	चन्द्र पाल गुप्ता	मु० अमि०-2	7888	7266	13-02-2019	9045	20-02-2019
211	कोषागार मेरठ	हरि मोहन त्यागी	अधि० अमि०	11681	7267	13-02-2019	9186	20-02-2019
212	कोषागार प्रयागराज	मंगला प्रसाद मिश्र	सहाय अमि०	11686	7268	13-02-2019	9187	20-02-2019
213	कोषागार लखनऊ	नीलिमा तिवारी पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र तिवारी	सहाय अमि०	7285	7270	13-02-2019	9188	20-02-2019
214	कोषागार वाराणसी	रजनी कान्त त्रिपाठी	अधि० अमि०	12552	7271	13-02-2019	9197	20-02-2019
215	कोषागार लखनऊ	प्रमूनथ सिंह	मु० अमि०-2	11602	7272	13-02-2019	9039	20-02-2019
216	कोषागार लखनऊ	अरविन्द कुमार वर्मा	अधि० अमि०	12888	7274	14-02-2019	9164	20-02-2019
217	कोषागार लखनऊ	प्रेम चन्द्र	अधि० अमि०	11527	7275	14-02-2019	9166	20-02-2019
218	कोषागार मेरठ	महेन्द्र पाल	मु० अमि०	7764	7291	13-02-2019	9066	14-02-2019

219	कोषागार अलीगढ़	सैयद ईसर नबी त्रिमिजी	अधि० अभि०	7806	7309	15-02-2019	9084	16-02-2019
220	कोषागार वाराणसी	चिन्मय रंजन दास	सहा० अभि०	12411	7335	12-02-2019	9110	12-02-2019
221	कोषागार लखनऊ	शहनाज फातिमा पत्नी स्व खुशीद आलम	व्यक्तिक सहा०	7867	7337	15-02-2019	9112	16-02-2019
222	कोषागार लखनऊ	सुख राम	स्टोर जमादार	11445	7350	13-02-2019	9125	14-02-2019
223	कोषागार कानपुर	होरी लाल	सहा० अभि०	11762	7444	16-02-2019	9254	17-02-2019
224	कोषागार लखनऊ	किशवर बानो पत्नी स्वा० कमर हैदर	समीक्षा अधिकारी	12405	7461	14-02-2019	9174	20-02-2019
225	कोषागार अलीगढ़	अनिल कुमार गुप्ता	महाप्रबन्धक	9264	7462	14-02-2019	9200	20-02-2019
226	कोषागार कानपुर नगर	विष्णु अवतार घतुर्षेदी	मु० अभि०-1	9017	7463	14-02-2019	9575	01-03-2019
227	कोषागार मुजफ्फरनगर	लोकेश चन्द्रा	मु० महाप्रबन्धक	10134	7464	14-02-2019	9173	20-02-2019
228	कोषागार प्रयागराज	इन्द्र बहादुर सिंह	अधि० अभि०	12297	7465	14-02-2019	9190	20-02-2019
229	कोषागार गाजीपुर	हरि नारायण राम	अधि० अभि०	12308	7466	14-02-2019	9189	20-02-2019
230	कोषागार गाजियाबाद	रमनवीर सिंह	सहा० अभि०	13023	7467	14-02-2019	9192	20-02-2019
231	कोषागार बलिया	श्रीप्रकाश	सहा० अभि०	12305	7469	14-02-2019	9199	20-02-2019
232	कोषागार सहारनपुर	जय पाल सिंह	सहा० अभि०	12302	7470	14-02-2019	9198	20-02-2019
233	कोषागार लखनऊ	अशोक कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	12298	7471	14-02-2019	9185	20-02-2019
234	कोषागार लखनऊ	भूषण कुमार रस्तोगी	अधि० अभि०	12299	7472	14-02-2019	9191	20-02-2019
235	कोषागार झांसी	कमला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण प्रसाद	सहा० अभि०	10280	7473	14-02-2019	9160	20-02-2019
236	कोषागार लखनऊ	रजिया सुल्ताना पत्नी स्व० रफि उल्ला	चालक	7464	7723	25-02-2019	9343	26-02-2019
237	कोषागार बरेली	अरुण प्रभा भाटिया पत्नी स्व० रमेश चन्द्र भाटिया	मु० अभि०	8112	7724	25-02-2019	9344	26-02-2019
238	कोषागार गाजियाबाद	कृष्ण गुप्ता पत्नी स्व० विनोद कुमार गुप्ता	वधि० कार्मिक अधि०	8111	7725	25-02-2019	9345	26-02-2019
239	कोषागार अयोध्या	सुशील कुमार अस्थाना	लेखाकार	10295	7892	26-02-2019	9412	27-02-2019
240	कोषागार प्रयागराज	दिनेश द्विवेदी	सहा० अभि०	8809	7982	27-02-2019	10040	28-02-2019

241	कोषागार कानपुर	गंगा प्रसाद राय	लेखाकार	8836	7983	27-02-2019	9476	28-02-2019
242	कोषागार लखनऊ	कमर आलम	लेखाकार	13776	7987	27-02-2019	9480	28-02-2019
243	कोषागार सहारनपुर	भूपेन्द्र कौर हरदयाल सिंह	अधिष्ठित अभिष्ठित	6448	7997	27-02-2019	9990	28-02-2019
244	कोषागार बाराणसी	ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	सहाय अभिष्ठित	10395	8000	27-02-2019	9993	28-02-2019
245	कोषागार लखनऊ	शारदा देवी पत्नी स्व० राधेश्याम विश्वकर्मा	सहाय लेखाकार	8259	8006	26-02-2019	9500	01-03-2019
246	कोषागार मुजफ्फरनगर	बालेश्वर दयाल	लेखाकार	10595	6926	05-02-2019	8792	11-02-2019



पत्र सं-4339 / उमप्र0 / लेखा / पेंशन /

13800 / 15-16

दिनांक-08.12.2018

कोषाधिकारी,
कोषागार, आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं कृष्ण में निर्गत आदेश सं-272 दिनांक 29.08.2018 के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अविवरता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओआरसंख्या एवं दिनांक	6844 13.08.2015
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.06.1964
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड बैंड)	15600-39100 GP 5400
(घ)	वेतन	Rs. 34,190.00
(ङ)	पूर्व प्रविष्ट वेतन	Rs. 17,095.00
(क)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,838.00
(ख)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,257.00
(ग)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	17095 upto 04.07.20
(घ)	पारिवारिक पेंशन सञ्चारण दर पर	Rs. 10,257.00
(ङ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 कमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	वे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 90,000.00
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को सशोषित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 45,000.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ/ङ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(क)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	45000 w.e.f 01.01.2018 to 14.01.2018
(ख)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,838.00
(ग)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. 38,162.00
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (सञ्चारण दर पर)	27000
(क)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 28.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोषित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुबतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं-4339 / उमप्र0 / लेखा / पेंशन / 13800 / 15-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कर्मचारी हेतु प्रेषित-

1. उपमहाप्रबन्धक (वि०लेखा०), दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, 220 कें०वी० विद्युत उपकेंद्र, सिकन्दरा, बाई पास रोड आगरा।

2. श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पत्र-19 ग्रेम विहार, चौमता घाट काठकोटी, दबात बाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिराज्यी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्र0 पराकाशलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
मनाज महेश, स
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, एवं
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पर० द० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं-4339/उपमार्ग/लेखा/पेंशन/

13800/15-18

दिनांक-06.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनदेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.06.2017 एवं तदनुषंग में निर्गमित आदेश सं-177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री योगन्द कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिपंता
(ख)	पीपीओसंख्या एवं दिनांक	6844 18.08.2015
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती मनोरमा कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	04.06.1964
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2015
(ख)	संस्मरण लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड में)	15600-39100 CP 6600 wef. 05-11-2011
(घ)	वेतन	Rs. 35,540.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 17770.00 wef. 15-01-2018
(च)	पेंशन का अंशिकृत नाम	Rs. 6,838.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,932.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 17770.00 upto 14.07.2022
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 10,662.00
(ञ)	पेंशन शोध अहंकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तारिखिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 93,800.00
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 46,900.00
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	संस्मरण सं-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	46900 wef. 15-01-2018
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,838.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण प्रथम पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाय	40062 wef. 15-01-2018
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	46900 upto 14-07-2022 (नव)
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 28,140.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनदेश सं-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा संपूर्णत विन्दु-4 (घ) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान अर्थात् न में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का संपूर्णतानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक से आदेश जारी किये जायेंगे।

4339

पत्र सं-~~4339~~ 4339/उपमार्ग/लेखा/पेंशन/13800/15-18

तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपार्ष एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित-

1. उपमार्गप्रमुख (विशेषज्ञ), दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण नियम वि०, कर्जा भवन, 220 कोठी विद्युत उपकेन्द्र, सिन्दवा, बाई पास रोड आगरा।

2. श्री योगन्द कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-19 प्रेम विहार, शीतल धाम कलांती, दरगत सग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अतिरिक्त अभियन्ता, वेबसाइट, उपमार्गप्रमुख, स्थिति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



ਪਤਰ ਨੰ-4550/ਓਐਮਪ੍ਰੋ/ਲੇਖਾ/ਪੈਸ਼ਨ/

9081/01-02

ਦਿਨਾਂਕ : 10.12.2018

ਕੌਮਾਂਡਿਕਰੀ,
ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੌਮਾਂਡਾਰ ਲਾਘਨਭੁੱਖੀ

ਵਿਸ਼ਯ- ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ-1320 ਦਿਨਾਂਕ 28.12.2017 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਨੰ-28 ਦਿਨਾਂਕ 18.01.2018 ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ-81 ਦਿਨਾਂਕ 04.02.2017 ਅਤੇ ਟਰੱਕਮ ਮੈਂ ਨਿਰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ-777 ਦਿਨਾਂਕ 30.06.2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਉਪ ਮੁਖਯ ਲੇਖਾਧਿਕਾਰੀ, ਕਾ ਪੈਸ਼ਨ/ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨਾਂਕ 01.01.2018 ਦੇ ਪੁਨਰੀਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ।

1. ਪੈਸ਼ਨ/ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ

ਕ੍ਰਮ	ਵਿਵਰਨ	ਅਭਿਵਰੱਤਾ
(ਕ)	ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ	
(ਕ)	ਪੀਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਲਐੱਫ ਏਵ ਦਿਨਾਂਕ	1748 28.03.2002
(ਖ)	ਜਨਮਤਿਥੀ	03.02.1944
(ਗ)	ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖੁਸ਼ ਕਲਾ ਸ਼ਰਮਾ
(ਘ)	ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਨਮਤਿਥੀ	08.11.1945
2. (ਕ)	ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ/ਦਿਨਾਂਕ ਦਿਥੀ	28.02.2002
(ਕ)	ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਗੂ ਵੇਤਨਮਾਨ	ਪਾਂਚਵਾ ਵੇਤਨ ਮਾਨ
(ਖ)	ਵੇਤਨਮਾਨ/ਵੇਤਨ ਕੋਡ (ਗ੍ਰੇਡ ਪੈ)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(ਗ)	ਵੇਤਨ	Rs. 20,000.00
(ਘ)	ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਾਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪੈਸ਼ਨ	24295 wef. 20.07.2010
(ਙ)	ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨ	3258 ਪੁਨਰੰਥਾਪਿਤ 03.05.2017
(ਚ)	ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਘਟੀ ਪੈਸ਼ਨ	Rs. 21,037.00
(ਛ)	ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਘਟੀ ਦਰ ਪਰ	N/A
(ਜ)	ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰ ਪਰ	Rs. 14,577.00
(ਝ)	ਪੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਫ਼ਕਾਰੀ ਸੇਵਾ	68
3.	ਦਿਨਾਂਕ 01.01.2018 ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਪਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਵੇਤਨ ਨਿਕਾਰਨ :-	
(ਕ)	ਪੈ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਾਲਿਕਾ ਨੰ0 (ਆਦੇਸ਼ ਨੰ-444 ਦਿੰ0 11.04.2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)	13
(ਖ)	ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੇਤਨ	Rs. 1,39,100.00
4.	ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਪਿਤ ਵੇਤਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਰ ਦਿਨਾਂਕ 01.01.2018 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਸ਼ਨ	
(ਕ)	ਮੂਲ ਪੈਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਪਿਤ ਵੇਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ	Rs. 69,550.00
(ਖ)	ਪੈਸ਼ਨ ਏਵੁ ਅਫ਼ਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਮ ਹੋਨੇ ਦੀ ਸਿਥੀ ਮੈਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਸ਼ਨ	N/A
(ਗ)	ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਨੰ-14 ਦਿਨਾਂਕ 01.05.2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਵੇਤਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨ੍ਯੁਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸ਼ਨ	N/A
(ਘ)	ਉਪਰੋਕਤ ਏਵ ਨ ਮੈਂ ਸੇ ਜੋ ਅਧਿਕ ਹੋ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਕਲ ਪੈਸ਼ਨ	N/A
(ਙ)	ਦਿਨਾਂਕ 01.01.2018 ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਕਲ ਪੈਸ਼ਨ (ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਸੇ ਪੂਰੇ)	Rs. 69,550.00
(ਚ)	ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਪੈਸ਼ਨ	3258 ਪੁਨਰੰਥਾਪਿਤ 03.05.2017
(ਛ)	ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘਟੀ ਪੈਸ਼ਨ ਏਵਿ ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਪੁਨਰੰਥਾਪਿਤ ਹੋ ਏਵਕਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਚੰਡਾਨ ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ	Rs. 66,292 wef. 01.01.16 to 02.05.2017 ਤਦਪੁਰੰਥਾ ਰੁ 69,550
(ਜ)	ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ (ਘਟੀ ਦਰ ਪਰ)	N/A
(ਝ)	ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ (ਸਾਧਾਰਨ ਦਰ ਪਰ)	Rs. 41,730.00
(ਞ)	ਅਤਿਰਿਕਤ ਪੈਸ਼ਨ (ਆਯੁ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)	N/A

5. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ-1320 ਦਿਨਾਂਕ 29.12.2017 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਨੰ-39 ਦਿਨਾਂਕ 23.12.2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਡਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਸ਼ਨ/ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾ ਉਪਰੰਥਾ ਬਿੰਦੂ-4 (ਬ) ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਿਕ੍ਰਿਤ ਪੈਸ਼ਨ/ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਘਨਭੁੱਖੀ ਦਾ ਸੁਗਤਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਭਯੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਦਿਨਾਂਕ 01.01.2018 ਸੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨਾਂਕ 01.01.2018 ਸੇ ਦਿਨਾਂਕ 31.12.2017 ਦੀ ਅਧਿਕਾ ਕਾ ਉਪਰੰਥਾਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰੀਕ੍ਰਿਤ/ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਸ਼ਨ/ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਨੇ ਪਰ ਤਦਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਕ ਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਿਯੇ ਜਾਏਗੇ।

ਲੇਖਾਧਿਕਾਰੀ (ਪੈਸ਼ਨ)

ਪਤਰ ਨੰ-4550/ਓਐਮਪ੍ਰੋ/ਲੇਖਾ/ਪੈਸ਼ਨ/9081/01-02

ਤਦਦਿਨਾਂਕ

ਪ੍ਰਤਿਲਿਪਿ ਸਿਨਕ੍ਰਿਪਿਤ ਕਾ ਸੁਧਾਰਥ ਏਵ ਆਵਸਥਕ ਕਾਰਕਵਾਲੀ ਏਵੁ ਏਥਿਤ-

1. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਯੰਠਾ, ਸਿਠੁਤ ਏਵੁ ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਡੁਕਾਈ, ਓਐਮਪ੍ਰੋ ਪਾਏਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿੰ0, ਸ਼ਾਕਿਤ ਮਠਨ, ਲਾਘਨਭੁੱਖੀ।

2. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਉਪ ਮੁਖਯ ਲੇਖਾਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਾ-288/82, ਆਰਯੰਨਗਰਟਰਕੁਮੈਲ ਪਾਰਕ, ਲਾਘਨਭੁੱਖੀ ਕੋ ਇਸ ਆਰਾਯ ਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤ ਕਿ ਕਹ ਕੌਮਾਂਡਿਕਾਰੀ/ਆਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਡਾਰ, ਲਾਘਨਭੁੱਖੀ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਕ੍ਰਿਯਾਕਿ ਕਰ ਸੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

3. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਯੰਠਾ ਵੇਰੋਸਾਠਠ ਓਐਮਪ੍ਰੋਪਾਠਕਕਾਰਲਿੰ0, ਸ਼ਾਕਿਤ ਮਠਨ, ਲਾਘਨਭੁੱਖੀ।

ਲੇਖਾਧਿਕਾਰੀ (ਪੈਸ਼ਨ)



पत्र सं० 9103 2001-2002 उ०म०उ०/लेखा/पेंशन दिनांक: 18/01/18
कोषाधिकारी, कोषागार, बस्ती

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.	विवरण	दिनांक	परिवारिक पेंशन
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1822	दिनांक 17-04-2002
(ग)	जन्मतिथि		30.04.2009
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नसीम फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.04.1947
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2002/29.04.2009
(क)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ख)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		14300-18300
(ग)	वेतन	₹	16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण --	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभदायक हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6241 9103 2001-2002 उ०म०उ०/लेखा/पेंशन दिनांक: 18/01/18
प्रतिनिधि किन्मतिलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
अधिरात्री अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोच्चत विद्युत वितरण निगम लि०, बस्ती।
2 श्रीमती नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-509 पराम टोला, पीस्ट० पुरानी बस्ती, जिला बस्ती।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बस्ती को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6320
कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

10408

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

21/11/19

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं
हक्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी कपूर

सेवानिवृत्त

लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के
सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3129	दिनांक 16-06-2005
(ग)	जन्मतिथि		15.05.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000/ग्रेड-पे-4200
(घ)	वेतन	₹	6200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	3890
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	828
(छ)	राशिकरण के समरान्त घटी पेंशन	₹	3062
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		30 छनहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 बी० तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	41400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	20700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	9410
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	18400
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	18400
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	18400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	828
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	17572
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्याय उपपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूवद हो का भुगतान वर्तमान में हाथन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6320

10408

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मूकभाषी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्रीमती माधुरी कपूर सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पाता-बी-1/144 रोड नं०-जी अलीगंज लखनऊ।

2. को इस आशय से पत्रित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ
कोषागार

को प्रेषित पत्रक

दिनांक

के साथ ही सम्बन्ध

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 6330 8336 1999-2000 सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 22/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे रमण टण्डन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1103	दिनांक 07-08-2000
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मधु टण्डन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड में)		16400-20000/37400-67000 (8800)
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित दि० 04.09.2015
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹	68 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	40500
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67500
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दि० 04.09.2015
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (कड़ी हुई दर पर)	₹	67500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आबु के अनुसार)	₹	अज्ञेय

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्कम हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6330 8336 1999-2000 सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, सं० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2. श्री राधे रमण टण्डन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सेक्टर-के०-578, आशिषाना कालोनी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ संशोधित का भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, सं० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
सं० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

7494

96-97

उत्प्रेषण/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25.1.19

कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 19.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती तस्नीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी पारिवारिक मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अहमद

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पीपीओओ संख्या	185 दिनांक 22-11-1996
(ग)	जन्मतिथि	14.07.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती तस्नीफ बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	20.02.1942
2(क)	सेवानिष्कृत/दिवंगत तिथि	31.07.1996 / 22.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पौंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5900-7100 / 18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	19,400
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14
(ख)	निर्धारित वेतन	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6425

7494

96-97

उत्प्रेषण/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत क्लारण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी अलीगढ़
2. श्रीमती तस्नीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी अहमद से०नि० मुख्य अभियन्ता पता 4/228 सहब बाग अनूप शहर, रोड अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रहप्रकल्पलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गोपनी

मैसर्स

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9143

2002-2003 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक 25/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
सोनमद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2008 दिनांक	पारिवारिक
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पीपीओ संख्या	2038	29.10.2002
(ग)	जन्मतिथि		अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनीता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		10.05.2000
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8550-13500/15600-39100 ग्रेड पे-5400
(घ)	वेतन	₹	9650
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8544
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		24 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	61300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18380
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6426

9143

2002-2003 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा तामीय परियोजना, ओबरा (सोनमद)।

2. श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-बी-120, कालकाजी, जी०डी०ए० पल्ले, नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी

कोषागार

सोनमद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 01/01/2018

स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा तैयार किया गया है।

3. अधिशासी अभियन्ता, वैद्यसाहट, उपग्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

०५४१

२००३-२००४ उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

२८.१.१९

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत

श्री सतीश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधीनशा
अधिवक्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१८ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	२२६३ दिनांक २३-०६-२००३
(ग)	जन्मतिथि	२९.०५.१९४५
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उमा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	२२.१०.१९४८
२(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	३१.०५.२००३
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	१८४००-२२४००/३७४००-६७००० ग्रेड-पे (१००००)
(घ)	वेतन	₹ २२४००
(ङ)	मूल पेंशन	₹ २७३५०
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ ४१३५
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ २३२१५
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ १६४१०
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	६६ छमाहियाँ

३. दिनांक ०१.०१.२०१८ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१८ के अनुसार)	१४ तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ १६२३००
४. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१८ को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ ८११५०
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१८ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ ८११५०
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ ४१३५
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ७७०१५/-दि० २२.०९.२०१८ तक ८११५०/-दि० २३.०९.२०१८ से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ ४९६९०
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३० दिनांक २३.१२.२०१८ के प्रस्ताव-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिद्ध-४ (ख) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रवृत्त हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक ०१.०१.२०१८ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१८ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के शुभतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्रदा होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

६४८८

०५४१

२००३-२००४ उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. अधिसूचनी अधिवक्ता, विद्युत नगरीय वितरण लघु-प्रथम, परिषदायल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गाजियाबाद।
२. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीनशा अधिवक्ता पता- ए-१८३ मेडक नगर, गाजियाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्राक दिनांक के साथै सम्पत्ति स्थापित कर मुगलान प्राप्त करे।
३. अधिसूचनी अधिवक्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

२५.१.१९

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 8488 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 28.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शरण सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	1200	दिनांक 07-11-2000
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती जगदेवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.04.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2000
(ख)	नत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		21350-23975/37000-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4648
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26852
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	93650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4648
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 69002/- दि० 09.01.2018 तक तदुपरान्त ₹ 89002/- ₹ 73650
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56130
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (लागू के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6501 8488 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अधिराशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बांकिन्ड नगर, कानपुर।
2. श्री राम शरण, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-दस्ताही भवन 24, ब्लू-2, बरौं साईं पास रोड, नियर अंजलि हस्पिटल दमोदर नगर, बरौं कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार, कानपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिराशी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, राशिकृत भवन, लखनऊ।

25/1/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म० प्र० को० लि०
राशिकृत भवन, लखनऊ



पत्र सं० 13473 2014-2015 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 22-01-17
 कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्ता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6474	दिनांक 06-06-2014
(ग)	जन्मतिथि		03.05.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.09.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		₹ 38500/- दि० 02.05.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	88 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	₹ 99800/- दि० 02.05.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-28 दिनांक 23.02.2018 के प्रस्ता-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्रप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6502 13473 2014-2015 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं वायुमय इकाई, उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-17/9, चापा पहाय मार्ग, हड़दिस कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि क कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रोंक दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Signature)
 लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

6032

1986-1987

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

28/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्मित आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शफीक सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०जी० संख्या	6790 दिनांक 06-07-1989
(ग)	जन्मतिथि	07.07.1930
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमर जहाँ बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1935
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	14.08.1984
(ख)	हालसमय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (रोड में)	6000-6300/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 5,750
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	53 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिकल प्रक्रमवार सालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 सालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा काम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39930
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 01.01.16 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 7866/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो के भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6504 6503

6032

1986-1987

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2 श्रीमती कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शफीक अहमद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-4-24 न्यू कलानी कांसिगपुर पारक हाउस अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा, शक्ति भवन, लखनऊ।

28/01/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

PAN/PENSION CIN: U32201UP1999SC024928



पत्र सं०

7017

92-93

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शंकर श्रीवास्तव अधिवर्षता मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। स्तर-प्रथम

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०जे० संख्या	9329 दिनांक 06-08-1993
(ग)	जन्मतिथि	19.02.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शीला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.08.1941
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28-02-1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉद्यवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन डेड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ)	वेतन	7,500
(ङ)	मूल पेंशन	37,800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	22680
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	15
(ख)	निर्धारित वेतन		1,71,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	85,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 09.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 85700 = 20 % अतिरिक्त 17140	102840 दिनांक 01.01.2016 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6505

7017

92-93

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री राम शंकर श्रीवास्तव से०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, फ्ला म०न० 90 सेक्टर 13 इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

23/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION C/N: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11208

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 29.1.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासन-आदेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वराज दास गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशारी अनियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिषर्षता	
(ख)	पीएमपीओ संख्या	3958	दिनांक 14.03.2007
(ग)	जन्मतिथि		05.10.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती सुधा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		10.07.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 (G.P. 10000)
(घ)	वेतन	₹	65,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11,374
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,441
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	₹	-
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,72,200
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	86,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा का होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासन-आदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ/1)	अपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित तत्कम पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित तत्कम पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	86,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11,374
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	74,726
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51,660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासन-आदेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 के प्रकल्प 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुमाना वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुमाना के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6511

11208 06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय प्रव आसम्बन्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री स्वराज दास गुप्ता, अधिशारी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 6/1040, जानकीपुरम् वि०, लखनऊ-226021

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार को प्रेषित पत्रांक

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक के सम्बन्ध में उपर्युक्त मुमाना प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11828

08-10

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 29.1.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री घसीटे

सेवानिकृता

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पीपीओओ संख्या

4732

दिनांक

11.01.2010

(ग) जन्मतिथि

05.10.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती महजबी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.07.1955

2. (क) सेवानिकृत/दिवंगत तिथि

31.10.2009

(ख) लक्ष्य लागू वेतनमान

छठी वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

5300-8600/9300-34800 GP.4200

(घ) वेतन

₹

18,990

(ङ) मूल पेंशन

₹

9,495

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3,356

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

6,139

(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

5,697

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छम्हियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

06 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

49,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

24,700

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनआदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 से अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) छपरेला ख रूप ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित वेतन पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

24,700

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3,356

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका ज्ञान न लिया जाय

₹

21,344

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

14,820

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुसूची के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6513

11828 08-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री घसीटे, चपरासी सेवानिकृत, पता-मकान नं० 72, प्रकाश लोक कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समस्त कार्यात्मक

भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

9631

03-04

उमर/लेखा/पेंशन

दिनांक

29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती योगिता सिंह पत्नी स्व० अक्षय प्रताप सिंह पारिवारिक सहायक जन कर्मचारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पीपीओ संख्या	2334	दिनांक 27-08-2003
(ग)	जन्मतिथि	02.02.1953	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती योगिता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.11.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		06.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पौन्चा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5500-11000 (9300-34800 ग्रेड पे 4800)	
(घ)	वेतन		9,900
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		6713
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	43 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	08
(ख)	निर्धारित वेतन		60,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		30,200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		18120
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6514

9631

03-04

उमर/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुवनाथ एवं आवश्यक कर्मचारी हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पायप कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती योगिता सिंह पत्नी स्व० अक्षय प्रताप सिंह, सहायक जन कर्मचारी, पता एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ को इस अन्वय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पायप कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/1/19



पत्र सं०

7678

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद कक्कड़ अधिवर्षता मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। स्तर-प्रथम

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	359	दिनांक 18-10-1997
(ग)	जन्मतिथि		01.09.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशी कक्कड़
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.07.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.06.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचया वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (बैंड में)	63000-79000	
(घ)	वेतन		22,925
(ङ)	मूल पेंशन		31,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		18900

(क) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	15
(ख)	निर्धारित वेतन		1,81,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधाप पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		90,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं

(ब) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

90,900

(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		90900
-----	---	--	-------

(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		90900

(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		54540

(ज) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 90900 का

18180 दिनांक 01.09.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुनः से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6515

7678

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राजेन्द्र प्रसाद कक्कड़ सं०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता 9/514 इन्दिरा नगर लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसायी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/01/19



पत्र सं०

12317 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 25/1/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-177 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नरेश अवस्थी सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	अवस्थी
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5142	दिनांक 22.01.2011	
(ग)	जन्मतिथि		10.12.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्पा अवस्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01-01-1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2010
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड बैंड)		37400-67000 ग्रेड पे 8700	
(घ)	वेतन	₹		60,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11788
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		16412
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			30200 दि० 09.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्यारण दर पर	₹		18120
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		40 छमहियाँ
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		77950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11788
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		66162
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		77950 दि० 09.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्यारण दर पर)	₹		46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6522

12317 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

श्री राम नरेश अवस्थी, लेखाकार सेवानिवृत्त यथा ए०प्र०० 4/113, पिनकड्ड, गोकर्ण नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के संकेत सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिराशी अभियन्ता, यंत्राडि, उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and stamp of the official.



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7848

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक 29/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ज्ञानवती पत्नी २४० राम जियावन सेवानिवृत्त

वपसही

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक		
(ख)	पीपी:0300 संख्या		307	दिनांक 15-07-1997
(ग)	जन्मतिथि			16.02.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ज्ञानवती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अज्ञित नहीं
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.1997 / 25.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			5300-8500 / 9300-34800 ग्रेड-पे-4200
(घ)	वेतन	₹		5450
(ङ)	मूल वेतन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		4218
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		

(क)	मे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		8 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	37900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल वेतन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	18950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	11370
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विषय 4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में धूयक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6529

7848

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

उपरोक्त विवरणों को सुषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कोषाधिकारी, कोषागार, विद्युत एवं यांत्रिक दुर्घटना, (पेंशन प्रकोष्ठ) उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राक्षस मवन, लखनऊ।

2. श्रीमती ज्ञानवती पत्नी २४० राम जियावन, सेवानिवृत्त, वपसही पता-4/38, संजय गाँधी नगर, प्रयाग नगरपालिका, बाजू अड्डा, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि ऊपर कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ
कोषागार

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. कोषाधिकारी, कोषागार, विद्युत एवं यांत्रिक दुर्घटना, (पेंशन प्रकोष्ठ) उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राक्षस मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024929

पत्र सं०

11743

09-10

उ०न०ग०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

29/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तद्वक्त में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिदरपता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5085	दिनांक	25.11.2010
(ग)	जन्मतिथि			05.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीवी माया देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.1966
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 G.P. 8900	
(घ)	वेतन	₹		58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹		29,290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10,270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,020
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		17,574
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		0

(क)	पे-मैट्रिकस प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		76,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिकस के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित एकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76,000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		10,270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		65,730
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45,600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ख)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इच्छ सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6530

11743 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्णमल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री राम सिंह, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता आर 8/28, राजनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुगलान प्राप्त करे।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/M: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7888

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ललिता मोहन नागर

सेवानिवृत्त

अनुभाग
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकारिता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	294	दिनांक	03.08.1997
(ग)	जन्मतिथि			02.05.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शीमा नागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			24.09.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			14300-18300
(घ)	वेतन	₹		15100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		123100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		81550
(क)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(च)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		36930
(ज)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आवणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुष्क से आपेक्षा जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6531

7888

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं गान्धिका इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राक्षि मकन, लखनऊ।

2. श्री ललिता मोहन नागर, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-सुन्दर सदन-107, गौरीगुह मार्ग, लखनऊ।

को इस आलय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार

लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साक्ष्य तथ्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेल्साइड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राक्षि मकन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999GG024928



पत्र सं०

7665

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक 29/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.05.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्को अनिल कुमार सेवानिवृत्त
श्रीवास्तव

कम्प्यूटर-इंट
[-पवर कम
प्रोग्रामर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से
पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	परिष्कारित
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पीपीओओ संख्या	309	23.07.1997
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1963
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विन्दु श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.09.1988
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		12.07.1998
(ख)	तात्कालिक लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (श्रेण्ड वे)		5200-20200 ग्रेड-पे-3000
(घ)	वेतन	₹	5375
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	3644
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		13 महीने
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		05 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	33500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	16750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	10950

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6533

7665

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अधिनियम, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपरो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती विन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्को अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर-इंट-पवर कम प्रोग्रामर, पत्र-450, सेक्टर-8, विकास नगर एम०ए०, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार

लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै संयुक्त
स्वाधित रूप भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अधिनियम, वेल्फेयर, उपरो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कन में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री मनमोहन सिंह अधिवर्षता अधिशासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अनियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5479	दिनांक 24-10-2011	
(ग) जन्मतिथि		01.03.1951	
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गीता सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			22.06.1957
2.(क) सेवानिवृत्त/विभंगत तिथि			28.02.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ) वेतन			73,880
(ङ) मूल पेंशन			36,940
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		14778 पुनर्स्थापित दिनांक 24.01.2027	
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			22164
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			36940 दिनांक 28.02.2017 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			22164
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमयार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या 14	
(ख) निर्धारित वेतन			1,93,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			0
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			96,900
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			96,900
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			96900
(ङ) राशिकृत पेंशन			14778
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय			82124
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			दिनांक 28.02.2018 से 96900
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			58140
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6536 12633 11-12 सं० ३०५०३०/लेखा/पेंशन दिनांक 29-01-2019 लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन इलाहाबाद
2 श्री मनमोहन सिंह, से०नि० अधिशासी अभियन्ता, पता द्वारा राजेश सिंह, 338 ई०डब्ल्यू०एम्०, प्रतिमनगर, धूमनगंज, इलाहाबाद
3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ज०प्र०प०कार०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ। स्थिति कर मुग्तान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

10889

2005-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

29.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
फर्रुखाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3408 दिनांक 31-01-2006
(ग)	जन्मतिथि	08.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.01.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.08.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनाभान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (रोड पे)	16400-20000 / 37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	24296
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	89550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिगणन से पूर्ण)	89550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न किया जाये	86510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा संप्रयुक्त विन्दु-4 (घ)/ (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्समय हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6541

10889

2005-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।
2. श्री महेश कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/5 दाल मण्डी, फतेहबाद, जिला फर्रुखाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फर्रुखाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, सेवानिवृत्त, जयप्रकाशकालिया, राशि भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कोषाधिकारी, कोषागार,
मीरजापुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निगमित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीप नारायण दुबे सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ संख्या	6442 दिनांक 09.05.2014
(ग) जन्मतिथि	07.12.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णावती दुबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख) उत्तमय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	37400-67000 (10000)
(घ) वेतन	₹ 64,340
(ङ) मूल पेंशन	₹ 31205
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11706
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19499
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19302
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 समाहियों
3 दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4 प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) (3 प्रतिशत दण्ड के प्रभाव में)	₹ 81092
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 11706
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो भुजा है तो उसका संग्रहण न किया जायें	₹ 89386
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को मूकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-नवल विद्युत वितरण निगम लि०, मीरजापुर।
2 श्री दीप नारायण दुबे, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-गाम-श्रीमट्टी पॉस्ट-महदया, जिला-मीरजापुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मीरजापुर को प्रेषित पत्रक

दिनांक के समस्त समर्थक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेकसाइट, उ०प्र०प्र०/उ०प्र०/लेखा, राशिकृत भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8323

1999-2000 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमा शंकर राव

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या	1039	दिनांक	09.06.2000
(ग)	जन्मतिथि			09.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सुरती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			14.11.1942
2.(क)	सेवानिवृत्त/दियंगत तिथि			31.01.2000
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (रोड वे)			16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पै-8900
(घ)	वेतन	₹		191100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			86 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		136000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रवर्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोषित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6674

8323

1999-2000 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-अध्यय, परिवर्तन विद्युत वितरण निगम लि०, सिमर, वाराणसी।
- श्री रमा शंकर राव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-33/58 बी-2 बी०, जिनतपुर बजरा नगर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

31/11/19

के सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, बेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मकान, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

13007

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश सक्सेना

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	6001	दिनांक 02-03-2013
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुमकुम सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.06.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	गृह पेंशन	₹	38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बंदी दर पर		₹ 38600 /-दि० 30.11.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियों
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	गृह पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बंदी हुई दर पर)	₹	₹ 99800 /-दि० 30.11.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अपेक्ष

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रथम से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6675

13007

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण अण्ड-प्रथम,परिधमोद्यत विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2 श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-पी०-279, सेक्टर-28, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साफे सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, अतिरिक्त, लखनऊ।

31/1/19
मकुलसिंह
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० को० लि०
शहदिल भवन, लखनऊ



उद्योग विभाग कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

9180

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद दुस्सल हसन रिजवी सेवानिवृत्त अधिस्त्री अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिबर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2043 दिनांक 31.10.2002
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती रुखसार फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.08.48
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.08.02
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	18400-22400/37400-57000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410

(क) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 81150
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	संपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, को अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4000 (पुनर्स्थापित 23.01.18)
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 77150 दि० 01.01.18 से 22.01.18 तक तदुपरान्त 81150
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवृ के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो ताम्रद हो का मुश्किल वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की बढी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्निर्धारित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक ही आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6676

9180

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिस्त्री अभियन्ता, निवृत्त एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सैयद दुस्सल हसन रिजवी, अधिस्त्री अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 480/368/20 झाकड़ बाग, नियर हैदरी मस्जिद, मुफ्तीगंज, लखनऊ-200003

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुश्किल प्राप्त करें।

3.

अधिस्त्री अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमती रुखसार फातिमा

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 31/01/2019

पत्रांक 6676/2019



पत्र सं०

12230

2010-2011

सं०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक
अहमद

सेवानिवृत्त

लेखासिपिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5122 दिनांक 04-01-2011
(ग)	जन्मतिथि	07.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अख्तर जहाँ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2010 / 23.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800(5400)
(घ)	वेतन	₹ 23,990
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 11995
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4798
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 7197
(ख)	पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	₹ 11995/-दि० 06.08.2015 तक
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7197
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 63,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 31850
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 18990
(ग)(ख)	उपरोक्त (ख) एवं (ग) में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 31650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4798
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 26852
(च)	पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 18990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6677

12230

2010-2011

सं०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अविपन्ना, विद्युत वितरण लिमिटेड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोविन्द नगर, कानपुर।
2. श्रीमती अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद, सेवानिवृत्त लेखासिपिक, पत्रा-131/180, बेगम पुरवा पो० टी०पी० नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अविपन्ना, वेबसाइट, ज०प्र०प०क०क०लि०, सचिव, मन्त्र, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/1/19



पत्र सं० 5990 1985-1988 सं० 090/लेखा/पेंशन दिनांक: 31/1/19
कोषाधिकारी,
आदर्श, कोषागार लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत
श्री गजेन्द्रपाल सिंह सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8560 दिनांक 27-08-1991
(ग)	जन्मतिथि	30.06.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधा रानी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.04.1935
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1986
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	शतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 6,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 39,769/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 39709
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 उपाधियाँ
3 दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमणार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 83104
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.09.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 85700
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (प्रतिकरण से पूर्व)	₹ 85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 85700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51400
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ ₹ 01.01.2018 से 29.06.18 तक 30 प्रतिशत रु 25710/- एवं दि० 30.06.18 से 40 प्रतिशत रु 34290

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्डु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इत सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6678 5990 1985-1988 सं० 090/लेखा/पेंशन दिनांक:
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2 श्री गजेन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-1005, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ज०प्र०प्रा०करासि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12228

2010-2011

उपग्रह/लेखा/पेंशन

दिनांक 31/1/19.

कोषाधिकारी,

बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तदनुसार निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश चन्दा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या		5094	14-12-2010
(ग)	जन्मतिथि			22.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अरुणा चन्दा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(घ)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(ङ)	वेतन	₹		62,160
(च)	मूल पेंशन	₹		31080
(छ)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10022
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		210581
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 31080/- दि० 21.06.2015 तक
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18648
(ट)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं घ में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(ङ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		80350
(च)	राशिकृत पेंशन	₹		10022
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		70628
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 80650/- दि० 21.06.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48390
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		अश्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रत्यक्ष-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6679

12228

2010-2011

उपग्रह/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, संशोधित विद्युत वितरण निगम लि०, कस्टजू मार्ग, बरेली।
2. श्री जगदीश चन्दा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म० नं०-4, फेन्डस एकलेवर, धनबन्ना मार्ग, गाँधी नगर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्राक

दिनांक

मुगलान प्राप्त करें।

के समस्त सम्पत्ति स्थापित कर

25/1/19

मुद्रण विहारी वर्मा

लेखाधिकारी (पेंशन)

विद्यार्थी शैक्षणिक विभाग



पत्र सं०

7669

87-88

सुम0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/11/19

कोषाधिकारी कोषागार कानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार सन्याल

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या	361	दिनांक 22-10-1997
(ग) जन्मतिथि		11.11.1938
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रीता सन्याल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.11.1948
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि		30.11.1996
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000 / (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन		17,750
(ङ) मूल पेंशन		24,295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		24295
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14730
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -		
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या 13
(ख) निर्धारित वेतन		1,35,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ङ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		67,500
(च) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67500
(छ) राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(ज) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		67500
(झ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ञ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40500
(ऑ) अविरक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		13500 दिनांक 11.11.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इन्हें सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6680

7669

97-98

सुम0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी केन्द्रीय विस्तार सेवा एवं बजट संगठन, पनकी तापीय परियोजना, पनकी कानपुर
2. श्री अनिल कुमार सन्याल, सं०नि० सहायक अभियन्ता, पता 8070 451, ब्लाक-बी, पनकी, कानपुर
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट: www.mca.gov.in, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

7683

97-98

स०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/11/19

कोषाधिकारी कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश सिंह

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	968	दिनांक 31-03-2000
(ग)	जन्मतिथि		02.03.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.08.1946
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत विधि		31.03.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400	(37400-57000 गंड पे 10000)
(घ)	वेतन		19,400
(ङ)	मूल पेंशन		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		15600

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		72,100
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		72100
(च)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		72100
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		43280
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (लागू के अनुसार) 20 % 72100 का		

14420 दिनांक 02.03.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6681

7683

97-98

स०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-परिघर्मोच्च विद्युत वितरण नियम ति०, बिजनौर

2. श्री ओम प्रकाश सिंह, स०नि० सहायक अभियन्ता

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार

बिजनौर

स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, स०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक



पत्र सं०

6982

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु दत्त उपाध्याय

सेवानिवृत्त

अधिकाारी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9481/1503	22-11-1993/15-03-2011
(ग)	जन्मतिथि		01.09.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राकेश उपाध्याय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.08.1940
2.(क)	सेवानिकृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1992
(ख)	तत्कम्य लागू वेतनमान		बतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		4250-5800
(घ)	वेतन	₹	5,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10802
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 उमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्ता ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	63400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (कम के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त रु० 12880/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा संपूर्ण बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सम्भ्रत हो का मुचतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुचतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6682

6982

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण संपद-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर, आगरा।
2. श्री विष्णु दत्त उपाध्याय, सेवानिवृत्त अधिकाारी अभियन्ता, पता-60 आनन्द बाग कालोनी आगरा।
को इस आग्रह से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुचतान प्राप्त करें।

3

अधिकाारी अभियन्ता, संपद, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, सविन भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



संघीय लोकसेवा आयोग
फिरोजपुरा, दिल्ली



पत्र सं०

8042

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

उप मुख्य
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		757	
(ग)	जन्मतिथि			08.06.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्पेन्द्र मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			07.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.1999
(ख)	वत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का सशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66	वर्षाहियों

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	मूल्य	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)		13	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ/ङ)	उपरोक्त ए एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		67500
(स)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		67500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		40500
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्डु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्वय दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6688

8042

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-1/111, विश्वाच सभ्द, गोपती नगर, लखनऊ।

के इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

25/11/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 12229 2010-2011 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 31/1/19
 कोषाधिकारी, अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री नौरंगी लाल सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5672 दिनांक 30-04-2012
(ग) जन्मतिथि	01.01.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1961
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ) वेतन	₹ 65,010
(ङ) मूल पेंशन	₹ 32505
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13002
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19603
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32505/-दि० 31.12.2015 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19503
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 83600
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83600
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 13002
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थपित हो मुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 705981
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83600/-दि० 31.12.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50180
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6684 12229 2010-2011 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खाण्ड-प्रथम, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
 2 श्री नौरंगी लाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, फ्ला-म० नं०-2/694 एफ०, गली नं०-2, रामबाग कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़।
 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।
 3 अधिशासी अभियन्ता, वेनसाइट, उ०प्र०/लेखा/कार्यपालिका, सजित भवन, लखनऊ।

के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे
 M. S. P. S. S. S.
 25/1/19
 लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि.

(निगम) उत्तर प्रदेश का उपकरण

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

11307

2007-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/18

कोषाधिकारी, कोषागार,
मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज भूषण भाटिया सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4124 दिनांक 10.01.2008
(ग)	जन्मतिथि	01.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.05.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 67,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹ 22084
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,77,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11716
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पूर्वस्थापित हो चुका है तो उसका संग्रहण न लिया जाय	₹ 76984
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सम्प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की कमी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6685

11307

2007-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर मथुरा।

2. श्री बृज भूषण भाटिया, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-न०-14, सेक्टर, श्रीरामपुरा एस्टेट मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र० कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पारिवारिक पेंशन लि०

(उ०प्र० पारिवारिक पेंशन लि०)

पेंशन PENSION CH-03220110219550024928



पत्र सं०

8069

99-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

31/1/19

कोषाधिकारी,
कोषागार, अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिहारी लाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्शता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5574 दिनांक 23.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	02.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-10-1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 19400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 25982
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5338
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20644
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 144,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 72100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 5 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 68495
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5338
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 63157
(च)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6686

8069 99-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुधनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रखण्ड, दक्षिणीयल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्री बिहारी लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 06 प्रयाग सरोवर कालोनी, सरुघाट रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 8726 2000-20001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 31/1/19. कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार जैन सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख) पीपीओ संख्या	1552	दिनांक	19.09.2001	
(ग) जन्मतिथि				16.04.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती शशि जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				20.07.1949
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.04.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ) वेतन		₹		22,400
(ङ) मूल पेंशन		₹		27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹		4063
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		23287
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		16410
(ञ) पेंशन योग्य अहंकारी सेवा			65 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹		1,62,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		81150
(ख) पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		79921
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		72100
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		79921
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		79921
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹		4063
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन बढी राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युका है जो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	₹ 75858/- दि० 04.09.2016 तक तदुपरान्त ₹ 79921/-	
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		48690
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आबु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन को आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6687 8726 2000-20001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिश्रमोच्चत विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद। श्री नरेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-६०६० 14, अवन्तिका कालोनी, गाजियाबाद। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रों के प्रेषण के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेगे।

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें। मदन बिहारी वर्मा लेखाधिकारी (पेंशन) उ०म० प्र० का० लि० राधिका भवन, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता, सेवानिवृत्त, कोषागार, लखनऊ।



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CH: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7705

97-98

उ०म००९०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/11/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, इलाहाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 20.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रताप नारायण मेहरोत्रा

सेवानिवृत्त

अधिसासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिचर्चता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	403	29-12-1997
(ग)	जन्मतिथि		22.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लीला मेहरोत्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.01.1942
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1997
(ख)	तत्कम लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/(37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27,350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,220
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहिया 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका सं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा क्रम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74,250
(ब)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(ब)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	74,250
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 74250 का	₹	14850 दिनांक 22.08.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 20.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ग) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो के भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6688

7705

97-98

उ०म००९०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता विद्युत विभाग नियम लि० 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री प्रताप नारायण मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त अधिसासी अभियन्ता, पता-167-91 श्री/7वीं इलेक्ट्रिक का पुरा, अल्लापुर इलाहाबाद। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के तामेते तत्कम स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म००९०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

12/11/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIM: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7734

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
लखीमपुर (खीरी)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवराज सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पीपीओओ संख्या	768 दिनांक	17.08.1999
(ग)	जन्मतिथि		06.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.01.1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		13.11.1997
(ख)	व्यक्तिगत लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		15800-39100 ग्रेड-पे-6600
(घ)	वेतन	₹	13900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9425
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	85800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक् से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6689

7734

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यराज विद्युत वितरण निगम लि०, लखीमपुर (खीरी)।
- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवराज, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-28, महमूरी टोला, जीवल टाऊन, जिला-लखीमपुर (खीरी)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

लखीमपुर (खीरी)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, राशिकरण, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 12173 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 31/1/19.

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5176	
(ग)	जन्मतिथि			01.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुधा कर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.12.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2010
(ख)	वर्तमान वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन			76,100
(ङ)	मूल पेंशन			38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग			14776
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			23274
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			22830
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन			1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन			14776
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये			85024
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			59880
(ट)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दिनु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो ताम्रपत्र हो का मुबतल मर्मान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किंवा ज्ञापना दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्विहित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6691 12173 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं वायु इकाई, उ०प्र० कारपोरेशन लि०, हाथि मन्, लखनऊ।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-सेक्टर-ई०, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, जलसंधारणकर्मलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन शर्मा (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

12207

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दशरथ सिंह

सेवानिवृत्त

आशुलिपिक

कम पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5049	दिनांक 13-10-2010
(ग)	जन्मतिथि		10.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रमाकान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अज्ञित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू पेंशनमान		छठा पेंशनमान
(ग)	पेंशनमान/पेंशन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (6600)
(घ)	पेंशन	₹	35,540
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17776
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	10800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10682
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पेंशन निर्धारण -		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित पेंशन	₹	93,800
4	प्रकल्पित पेंशन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित पेंशन के अनुसार	₹	46900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू पेंशन मैट्रिक्स के न्यूनतम पेंशन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	46900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6970
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	39930
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	28140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशुलिपि पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6692

12207

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं वाटिक इकाई, उ०प्र० वाकर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री दशरथ सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, पता-854/1287 पवनपुरी, आलमनगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्रप्त करें।

3 अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, ए०ए०ए०ए०ए०ए०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date 23/1/19, and text: मद्रास विभागीय (पेंशन) लेखाधिकारी (पेंशन) उ०प्र० पा० ल० लि० शक्ति भवन, लखनऊ



उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि.

U.P. Power Corporation Limited
117, Park Road, Lucknow-226001
U.P. Power Corporation Limited

PERSON CIN: 4922010P1999364024928



पत्र सं०

11601

09-10

उ.प्र.पा.प. / लेखा / पेंशन

दिनांक: 31/1/15

कोषाधिकारी कोषागार कासगंज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार शर्मा

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

लेखाधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीएमडीओ संख्या	4811	दिनांक 12-03-2010
(ग)	जन्मतिथि	07.06.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मुष्का शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.03.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.08.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड बैंड)	(37400-67000 ग्रेड ग्रे 0 8700)	
(घ)	वेतन		56,930
(ङ)	मूल पेंशन		28,465
(च)	पेंशन का राशिकृत माग		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		19019
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		17079
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	12
(ख)	निर्धारित वेतन		1,47,000
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		73,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		73,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)		73500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		84054
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6693

11601

09-10

उ.प्र.पा.प. / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कासगंज, (कमलीशय नगर)

श्री अनिल कुमार शर्मा कोषाधिकारी, पत्र द्वारा श्री जयदीप प्रसाद अशिक्षण, रामलीला मण्डिर के मास महापर गेट नो० जय जय राम, कासगंज, (कमलीशय नगर)

2/ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कासगंज स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3/ अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, कासगंज/कासगंज, राशिकृत पेंशन, लखनऊ।

31/1/15

श्रीमती

लेखाधिकारी

उ.प्र. कोषाधिकारी (पेंशन) को

कलिका 11/1/2015



पत्र सं. 8190 1999-2000 सं०३०३०/लेखा/पेंशन दिनांक: 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	1192 दिनांक 31.10.2000	
(ग)	जन्मतिथि		02.06.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सन्तोष बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.06.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.1987
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (6900)
(घ)	वेतन	₹	16,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24298
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	1952
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22343
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) 13 तालिका सं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनआदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त छ एवं च में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	1952
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये	₹	₹ 63598/- दि० 19.01.2016 तक तदुपरान्त ₹ 65550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं. 8694 8190 1999-2000 सं०३०३०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-
 1. अधिसूची अभिपत्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,परियोजनाय विद्युत वितरण निगम लि०, नेरु।
 2. श्री वीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त लेखाकार पत्र-1287 नई शिवपुरी, नवल मकान, हापुड़, जिला पंचशील नगर, को इस आशय से प्रेषित कि कक्ष कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रों के मापेल सम्यक् स्थापित कर भुगतान धम्ता करे।

3. अधिसूची अभिपत्ता वेबसाइट पर उपलब्धकरावित्तु साक्षि मकन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 12690 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 1.2.19
 कोषाधिकारी, कोषागार,
 गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओ संख्या	5626	14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		11.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.05.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.12 - 31.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	32,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹	15090
(क)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6436
(ख)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9654
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9654
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमणार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	84,900
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	42450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, को अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	42450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6436
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	36014
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25470
(ञ)	बतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सम्बन्ध हो का मुकामान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुकामान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6699 12690 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अभिवन्ता, विद्युत वितरण सङ्घ-प्रथम पूर्वान्वत विद्युत वितरण निगम लि०, मोहदवीपुर, गोरखपुर।

2. श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एन०आई०जी०-46, राधिका नगर, भोज-4, जनता इण्टर कॉलेज के पीछे चारगोवा ब्लाक, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रक 6699 दिनांक 01.01.2018 के सम्बन्ध में संपर्क स्थापित कर मुकामान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभिवन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

गोरखपुर



पत्र सं 12690 2011-2012 उममगु/लेखा/पेंशन दिनांक 1.2.19
कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5625 दिनांक 14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	11.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	04.05.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 33,380
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 16690 6690
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 8438
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10254
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10254
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ ₹ 42900/-दि० 15.01.2018 से
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ ₹ 42900/-दि० 15.01.2018 से
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 8438
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹ 36464/-दि० 15.01.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 6200 12690 2011-2012 उममगु/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण सप्लाइ-डिवीजन, विद्युत वितरण निगम लि०, मोहद्वीपुर, गोरखपुर।

2 श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एल०अर्ह०जी०-48, राधि नगर, फंज-4, जनता इन्टर कॉलेज के पीछे चारगौना ब्लाक, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रक 6200 दिनांक 11.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेतनसद्व, उममगु/लेखा/पेंशन, अतिरिक्त, लखनऊ।

अधिकारी (पेंशन)
कोषागार, गोरखपुर



2002-2003



पत्र सं०

9359

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1.2.19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज बहादुर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2103 दिनांक 31.12.2002
(ग)	जन्मतिथि	01.11.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुन्दावती पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1945
2.(क)	सेवानिकृत/दिवंगत तिथि	31.10.2002
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-87000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4480
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22870
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित वेतन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4480
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो सकल संज्ञान न लिया जावे	₹ रु० 79120/-दि० 30.03.2018 तक तदुपरान्त रु० 83600/-तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आम के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो साम्प्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किन्ना जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुपति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूट से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6201

9359

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्धन विद्युत वितरण विभाग लि०, मोहदवीपुर, गोरखपुर।
2. श्री राज बहादुर पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता- आई-16, पाप्तीनगर, चतुर्थ चरण पोस्ट-चरगाँवा, गोरखपुर-273013.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साफस सम्पर्क स्थापित कर मुबतान प्राप्त करें।

3. अधिकाारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, मुक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
संशोधित पेंशन अधिकारी एवं
लेखाधिकारी (पेंशन)
दिनांक 01.01.2018 से
पत्र सं० 6201 दि०
पत्र सं० 6201 दि०



पत्र सं० 12602 2011-2012 सं०३०३०/लेखा/पेंशन दिनांक 1/2/19
कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगा राम गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
1.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण		
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5486	दिनांक 10.10.2011
(ग)	जन्मतिथि		08.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती सावित्री गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		05.07.1954
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/बेढन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	62,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31110
(क)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12444
(ख)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18666
(ग)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18688
(क)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -		
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,60,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12444
(क)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्संशोधित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	67856
(ख)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48180
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त दिन्डु-4 (घ)/(ग) में आवणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का शुभचालन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के शुभचालन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6703 12602 2011-2012 सं०३०३०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1 अधिशासी अभियन्ता, किचन एवं यांत्रिक इकाई, 3030 पावर कारपोरेशन लि०, इन्डिया भवन, लखनऊ।
2 श्री गंगा राम गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-80-810/19 केरम नगर सीतापुर रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर शुभचालन प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, संरक्षण, उपग्रह प्रकल्पित, इन्डिया भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

6213

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधावानी पत्नी स्व० धिरजी लाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9734 दिनांक 28-09-1944
(ग)	जन्मतिथि	08.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधावानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.10.1945
2(क)	सेवानिकृत्त/दिवंगत तिथि	02.05.1987
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 5,450
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8266
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	38 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आन्तर पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ/ङ)	उपरोक्त (क) एवं (ग) में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित संकल पेंशन	लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित संकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	लागू नहीं
(क)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्डु-4 (घ)/(ङ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो या भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6704

6213

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती राधावानी पत्नी स्व० धिरजी लाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-एक-164, इन्दूलोक कुम्भनगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेक्टरस्ट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनो जी लोकोपनिषान
स्वीकृतकर्ता अधिकाारी पेंशन
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र० पा० दि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

११०९

०१-०२

संघीय/लेखा/पेंशन

दिनांक:

१/२/१९

कोषाधिकारी कोषागार बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत

श्री दिनेश महादुर सक्सेना अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	१७८८ दिनांक १७-०४-२००२
(ग)	जन्मतिथि	०२.०१.१९४४
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किशोरी सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	०८.०६.१९४९
२.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	३१-०१-२००२
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	१६४००-२०००० (३७४००-६७००० ग्रेड ग्रे० ८९००)
(घ)	वेतन	२०,०००
(ङ)	मूल पेंशन	२४,२९५
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	३०४० दिनांक १७.०७.२०१७ तक
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	२१२६५ दिनांक १७.०७.२०१७ तक तदुपरान्त २४२९५
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	१४७३०
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	६६ छमाहियाँ
३.	दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१६ के अनुसार)	तालिका संख्या १३
(ख)	निर्धारित वेतन	१,३९,१००
४.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	०
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	६९,५५०
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१६ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ)(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	६९,५५०
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	८९५५०
(ङ)	राशिकृत पेंशन	३०४० पुनर्स्थापित दिनांक १७.०७.२०१७
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	६६६१० दिनांक १७.०७.२०१७ तक तदुपरान्त ८८६५०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	४१७३०
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-४ (घ) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का सुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१६ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में मूख से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

६७०५

११०९

०१-०२

संघीय/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्याह्न विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली
- श्री दिनेश महादुर सक्सेना, सं०नि० सहायक अभियन्ता, पता-९९७ कुंवरपुर डा० लक्ष्मी नरायण मार्ग बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली स्थापित कर सुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, संघीय कार्यपालना, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

२१/०१/१९

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12281

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी दत्त

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ संख्या		5208	14-03-2011
(ग)	जन्मतिथि			11.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती पुष्पा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/केतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9628
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹		21254
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		

(क)	पे-बैंडिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को सरासरी पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन बैंडिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित प्रकल्पित पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9628
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम न लिया जाये	₹		70824
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्स्वर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6706

12281

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय विभाग खण्ड-प्रथम, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री लक्ष्मी दत्त, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कं०-103, कवि नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के सम्बन्ध सुधार्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, अफिस भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी शर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म० प्र० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11713

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

7/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बलरामपुर

विषय- कार्यादेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4626	दिनांक	24.10.2009	
(ग)	जन्मतिथि			15.12.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती जर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03-02-1956	
2(क)	सेवानिकृत्त/दिवंगत तिथि				31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹			56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹			28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			10989
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			17061

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			147,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹			73800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			73800
(च)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			73800
(छ)	राशिकृत पेंशन	₹			9446
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹			64354
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			44260
(ट)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कार्यादेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6707

11713 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-ग्रथन, मज्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बलरामपुर
- श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता पीपल तिराहा के पास, माधव खन, पहलबाबा, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बलरामपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क करवाये।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पंचायत/शक्ति सचिव, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11404

08-09

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12/119

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री कबीर शंकर शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्ता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	4455	02.08.2008	
(ग)	जन्मतिथि			18.03.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती लीला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			27.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 / (8900 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹		60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20724
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			समाप्तियां 66

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	तालिका नं० 13	विवरण
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	68854
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अवयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का सुगठन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगठन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचना से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6708

11404

08-09

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कबीर शंकर शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्र-सं०-1/137 सैक्टर-जे, रेलनगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदेश कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रको

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर सुगठन प्राप्ति करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6209

7752

97-98

- उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	परिणाम
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	445 दिनांक 03.03.1988
(ग)	जन्मतिथि	03.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लीला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.06.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1997 / 01.10.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / (37400-67000 ग्रेड पे 6900)
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का सशुद्ध भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

क्र.	विवरण	परिणाम
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.09.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	संप्रोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	सशुद्ध पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40,500
(झ)	अनिश्चित पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 29.12.2016 के प्रवृत्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त किन्तु-4 (घ)/(ज) में आवणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का पुनरावलोकन में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुक्रम दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के संबंध में शासन की अनुभूति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फ़ायक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6209 7752 97-98 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, फा-सी-143, रोड-4-के अतीत, निकट विद्याचल मन्दिर, लखनऊ। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै अपने स्थान पर सुगमता प्राप्त करें।
- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/1/19



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024926

पत्र सं०

7760

97-98

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कालिका सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिद्विर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओ संख्या	770 दिनांक 18.08.1999
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कालावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1944
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैट (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार कालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	राशिका सं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को राशिकृत पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 72100
(क)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72100
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43,260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 72100 का।	₹ 14420 दिनांक 15.07.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को लागू करने का मुगताम वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगताम के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6210

7760

97-98

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण अम्पड-ग्रन्थ, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगर वाराणसी।
- श्री कालिका सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-192 बिश्नगरपुरी, नसीरपुर विधर महाकांटर, बुसबाही, वाराणसी को इस श्रावण से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रों

दिनांक

मुगताम प्राप्त करें।

के सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्यवाही

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/पेंशन/लेखा, ज्ञाति भवन, नखनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928

पत्र सं०

7894

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-119

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व० लखन सिंह सेवानिवृत्त अधिसारी अमित्यन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओ संख्या	382 दिनांक 29.11.1997
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.09.1995
(ख)	वत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	5000-6300 / 16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 6,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 7282
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रदायिक दर पर	₹ 47 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	13 तालिका नं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	135000
(ख)	निर्धारित वेतन	₹
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा क्रम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 40600
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रदायिक दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (व्याज के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6712

7894

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 पेंशन वितरण अधिकारी एवं अधिसारी अमित्यन्ता किमुत वितरण खण्ड-प्रधान, वाराणसी।
- 2 श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व० लखन सिंह, सेवानिवृत्त अधिसारी अमित्यन्ता, पता-ए-5/1 अमनत कालोनी कैंट वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रक

दिनांक के सम्बन्ध में कोषाधिकारी (पेंशन) को सूचना प्राप्त करें।

3 अधिसारी अमित्यन्ता, सेवसाइट, उ०म०प्र०/कोषागार, राशिक भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9236

2002-2003

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2-1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० अलोक दीक्षित सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओ संख्या	1908	दिनांक 23.07.2002
(ग)	जन्मतिथि		29.03.1961
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गायत्री दीक्षित
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.05.1965
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		14.10.2001
(ख)	कृत्तमय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (श्रेष्ठ में)		10650-15205/15600-39100 ग्रेड-वे (6600)
(घ)	वेतन	₹	13,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		8985
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	29 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		11 तालिका नं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		80900
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		40450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम पेंशन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(क)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	24270
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6713

9236

2002-2003

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसायी अभियन्ता, विद्युत विभाग खन्व-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी योविक नगर, कानपुर।
- श्रीमती गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० अलोक दीक्षित, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-58, बसेत ब्लाक, नौरस्ता, कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर नगर। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8488

2000-2001

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/17

कोषाधिकारी, कोषागार,

लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनदेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुकेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

अवकाश

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिकारिता
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिकारिता
(ख)	पीएपीओ संख्या	1130	दिनांक 16.10.2000
(ग)	जन्मतिथि		08.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मालती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.11.1948
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रिड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का चरित्रकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		16410
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	57 छनाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		14 तालिका सं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		153000
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		76500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	66069
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	72100
(ग)	शासनदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(गो)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण शरत पूर्णस्थिति हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	45800
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनदेश सं०-29 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्याय उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्समय हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6714

8488

2000-2001

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इन्डिया भवन, लखनऊ।
2. श्री सुकेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियन्ता, पता-858/26 कंचना सिंहारी मार्ग, कल्याणपुर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्त कारपोरेशन लिमिटेड, इन्डिया भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/M:U32201UP1999SCC024928



पत्र सं०

6215

8431

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषागार

गोण्डा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 19.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तौकीर हसन खॉन अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1407 दिनांक 16-04-2001
(ग)	जन्मतिथि	11.09.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती समीम फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.06.1950
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	03.09.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पौंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ)	वेतन	19,550
(ङ)	मूल पेंशन	23,150
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3014
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	20136 दिनांक 16.07.2018 तक तदुपरान्त 23150
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13890
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

2. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
-----	--	---------------	----

(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100
-----	----------------	----------

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं

(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 04.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
-----	---	-----------

(ग)(क)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	69,550
--------	--	--------

(ख)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	69550
-----	---	-------

(ङ)	राशिकृत पेंशन	3014
-----	---------------	------

(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66536 दिनांक 16.07.2016 तक तदुपरान्त 69550
-----	---	--

(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
-----	----------------------------------	-----------

(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730
-----	--------------------------------	-------

(ग)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
-----	--------------------------------	-----------

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6215

8431

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, (पेंशन) वितरण खण्ड पथर्थाचल विद्युत वितरण निगम लि० गोण्डा
2. श्री तौकीर हसन खान सं०नि० सहायक अभियन्ता पता 279 इमामबाड़ा, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोण्डा स्थापित कर भुगतान प्राय करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, रायचौक मदन, लखनऊ।

31/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7782

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12/11

कोषाधिकारी, कोषागार

मऊ नग्न संजन।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं लच्छन में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री शहीर हसन कुरैशी

सेवानिकृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या		543	दिनांक 20.10.1998
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सुरेशहवार
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			01.08.1948
2.(क)	सेवानिकृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.1997
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (श्रेष्ठ में)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14220
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			06 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रज से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-844 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा काम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43250
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्डु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्पश्चात् हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6716

7782

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अभिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मऊ नग्न संजन।
- श्री शहीर हसन कुरैशी, सेवानिकृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-159, कन्टोनमेन्ट बकना पुल, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार मऊ नग्न संजन को प्रेषित पत्रांक

दिनांक मुगतान प्राप्त करें।

के साथ प्रमाण स्थापित करें।

3 अभिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/लेखा/कर्मचारी, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 31/11/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7781

97-98

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर पारिवारिक चपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अली

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	433 दिनांक 09-03-1998
(ग)	जन्मतिथि	04.12.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीस फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1997 / 03.10.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पौधया वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)
(घ)	वेतन	5,600
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3526
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	06
(ख)	निर्धारित वेतन		37,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		"
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		18,950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		11370
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाम्बद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6714

7781

97-98

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, भिक्षुत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर अली से०/पी० चपरासी पता 169/81 ख्याती गंज थाना कैसर बाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, पेक्साइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

31/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उत्प्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CNR: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8500

2000-2001

उत्प्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य नारायण मौर्य

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओ संख्या	1341 दिनांक 03.03.2001
(ग)	जन्मतिथि	06.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.12.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	14300-18300 / 37400-87000 ग्रेड-वे (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2447
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20603/- दि० 03.06.2016 तक तदुपरान्त 23050/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	68 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2447
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹ 60953/- दि० 03.06.2016 तक तदुपरान्त 83400/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सरोचित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान कर्मान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6718

8500

2000-2001

उत्प्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री सत्य नारायण मौर्य, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मोहल्ला किलन्दपुर निकट शिव मन्दिर, पोष किलन्दपुर, जिला गोरखपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सम्बन्धित कार्यवाही कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेदसाइट, उत्प्रो/लेखा/पेंशन, सक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

हस्ताक्षर

31/01/18



पत्र सं०

11710

09-10

संघीय कार्यपालिका/लेखा/पेंशन

दिनांक 12/11

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कार्यपालिका आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओडो संख्या	4596 दिनांक 29.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.08.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कलावती पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दियोगत तिथि	31.07.2009/30.09.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ 31080 दि० 31.07.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18646
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छम्हियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	वे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 80650 दि० 31.07.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कार्यपालिका के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुहताब वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुहताब के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6719

11710

09-10

संघीय कार्यपालिका/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

श्रीमती कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय, सहायक अभियन्ता पता नं० 89 बजसं नगर कालोनी, गोरखपुर, गोरखपुर

को इस अत्रय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित प्रमांक दिनांक के साथै सम्बन्ध स्थापित कर मुहताब प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, संघीय कार्यपालिका, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

9876

03-04

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय अधिवर्षता लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3705	दिनांक	28-08-2006
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-07-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		(15600-39100 ग्रेड पे 5400)	8560-13600
(घ)	वेतन			11,300
(ङ)	मूल पेंशन			11,851
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग			2097
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			9754
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			7662
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	10	
(ख)	निर्धारित वेतन			69,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			34,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			लागू नहीं
(घ)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			34,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			34500
(ङ)	राशिकृत पेंशन			2097
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय			32403
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			20700
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

4920

9876

03-04

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद
- श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, से०नि० लेखाकार, पता सं० 01/12/15/बी/01 सिविल लाइन फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, फैजाबाद स्थापित कर मुगवान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्त/लेखा/पेंशन, अंकित भवन, तखण्ड।

23/1/19

गोपाल मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं- / ७०७७० / लेखा / पेंशन /

12960 / 12-13

दिनांक- 1/2/19

कोषाधिकारी,
आर्दस कोषागार, लखनऊ।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 4351 दि० 07.12.2018 को निरस्त करते हुये निर्गत

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5945 18.01.2013
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती नमिता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	15.06.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 64,030.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(क)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 19,209.00
(ख)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ग)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रदायिक दर पर	Rs. 19,209.00
(क)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,66,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,050.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,050.00
(क)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. 70,244.00
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रदायिक दर पर)	Rs. 49,830.00
(क)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6221 ७०७७० / लेखा / पेंशन / 12960 / 12-13

तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, ७०७७० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

2. श्री शंकर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, प्ला-बी-18/2, विनय नगर कृष्णा नगर, लखनऊ को इस आशय से अर्भित कि वह कोषाधिकारी, आर्दस कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्रस्ता करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ७०७७७० कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
मनीषा सिंह
श्रीकृतकार्यालय अधिकारी एवं
लेखाधिकारी (पेंशन)
७०७७० पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CLM-D32201UP1998SGC024926

पत्र सं०

6384

89-90

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश बिहारी माथुर

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओ संख्या	8705 दिनांक 31.12.1991
(ग)	जन्मतिथि	19.12.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती शशि माथुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	30.04.1937
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 37,800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 37,800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18,900
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	68 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ -
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	उपवेतन ख एच ग में से जो अधिक हो, से अनुसार निर्धारित अन्तम वेतन	₹ लागू नहीं
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85,700
(च)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संग्रहण न लिया जाय	₹ 85,700
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51,420
(ड)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ दि० 01.01.18 से 18.12.18 तक 20प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 17140/- एवं दिनांक 19.12.18 से 30.06.19 ₹ 25710/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 28.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ग)/(ङ) में आगत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो नामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्निर्धारित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6722

6384 89-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री कैलाश बिहारी माथुर, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त, पता- 20/239, इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/01/19



पत्र सं०

12223

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुद्रादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिकारिता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5400	
(ग)	जन्मतिथि			10.10.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.1857
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2010
(ख)	तत्कमय लागू पेंशनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/पेंशन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹		50,390
(ङ)	मूल पेंशन	₹		28196
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		15117
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 25195/- दि० 09.10.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15117
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मात्र पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		50183
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 65300/- दि० 08.10.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (व्यायु के अनुसार)	₹		अवैतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कम्पानार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में जागणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सम्प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की नयी अनुवृत्ति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुवृत्ति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6723

12223

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकारी अभिकर्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्तित विद्युत वितरण निगम लि०, मुद्रादाबाद।
2. श्री सुरेश चन्द, सेवानिवृत्त लेखाकार, प्रता-निकट सरस्वती शिशु मन्दिर, मोहल्ला अली खॉं, कारीपुर (उधम सिंह नगर), उत्तरांचल।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार मुद्रादाबाद को प्रेषित पत्रक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

को साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर

3.

अधिकारी अभिकर्ता, वेबसाइट, ज०प्र०/लेखा/पेंशन/शक्ति मन्त्रालय, लखनऊ।

Handwritten signature and stamp of the official.

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/12/18



पत्र सं० 12983 12-13 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री बीपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सशिक्षा अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण		अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओ संख्या	6811 दिनांक 11.09.2012
(ग)	जन्मतिथि	02.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.05.59
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)	37400-87000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 66,020
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33610
(च)	पेंशन का शशिकृत भाग	₹ 13204
(छ)	शशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19806
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	33010 दि० 01.07.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19806
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 170,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 85200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एम ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूर्व)	₹ 85200
(ङ)	शशिकृत पेंशन	₹ 13204
(च)	शशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 71996
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85200 दि० 01.07.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51120
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आबु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपबन्धक बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6724 12983 12-13 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री बीपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सशिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त पत्रा सं० 198 मानस इन्क्लेव, पिरनिक स्पॉट रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के मापने सम्बन्ध स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र० कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं 11523 09-10 सं0म0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक: 1/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, कानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम नारायण अवस्थी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पीपीओओ संख्या	5512 दिनांक 02.12.2011
(ग) जन्मतिथि	03.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विनीता अवस्थी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-07-1980
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.09
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ) वेतन	₹ 69,630
(ङ) मूल पेंशन	₹ 8 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 32930 दि 13.09.11 से
(च) पेंशन का राशिकृत माग	₹ 10158
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21872
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छनहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं0
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 91350
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं0-18 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त स एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 8 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 84042
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 10158
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उक्तका संज्ञान न लिया जाय	₹ 73864
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुबतान कर्तबान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुबतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 6725 11523 09-10 सं0म0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि, कानपुर
- 2 श्री प्रेम नारायण अवस्थी, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 7/52 तिलक नगर, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रक दिनांक के सापेक्ष संपूर्ण स्थापित कर मुबतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रहपारकालित, शक्ति भवन, लखनऊ।

विद्युत वितरण निगम (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषागार, कानपुर
दिनांक 01/02/2019
हस्ताक्षर, लखनऊ



फ़ॉर्म सं० 12257 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 1/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं सतक्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वरोचिता गुप्ता सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5267	04.05.2011	
(ग)	जन्मतिथि			05.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			25-12-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 16000
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			36940 दि० 04.01.18 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22164
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आकार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 98900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग/घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 98900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 98900 दि० 04.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवृ के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

फ़ॉर्म सं० 6726 12257 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री स्वरोचिता गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 201 तीर्थ विकास अपार्टमेंट, जी०एम०-4 सेक्टर-2, विकास नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म० प्र० कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

विभागाध्यक्ष (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म० प्र० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपकरण)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12245

2010-2011 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्को सेवानिवृत्त
महेन्द्र नारायण पाण्डेय

लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिचय	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	5100	दिनांक 22.12.2010
(ख)	पीपीओओ संख्या			
(ग)	जन्मतिथि			10.08.1956
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10.07.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			19.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			15600-39100 ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹		27770
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			13885/- दि० 13.06.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8331
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		39 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		73200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		36600/- दि० 13.06.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		21980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुवृत्ति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुवृत्ति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6729

12245

2010-2011 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभिकक्षा विद्युत विवरण खण्ड-प्रथम, उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 57-जवाब टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्को महेन्द्र नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पता-ग्राम ब पोस्ट बंसी, चढलीत कनकना, जिला-प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस अलाय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्बन्ध

स्थापित कर भुगतान करने के लिए

कोषाधिकारी (पेंशन)

उप लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, इलाहाबाद

- अधिसूची अभियन्ता, वेल्सहाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, इलाहाबाद।



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995GC024928



पत्र सं०

12242

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-28 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या	3398	18.07.2011	
(ग)	जन्मतिथि			08.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अरुणा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.04.1953
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-87000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		67600
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22084
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20280
(ञ)	पेंशन योग्य आईकरी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		177400
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		88700
(ख)	पेंशन हेतु आईकरी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11716
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹		76984
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 28.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6728

12242

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, शिकन्दरा, आगरा।
- श्री बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पत्रा-203, गणपति घाट, निकट कामावनी हास्पिटल, शिकन्दरा, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी

कोषागार आगार।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के मापस सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिरासी अभियन्ता, वेक्साइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/H: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13441

2013-2014 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिबर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीपीओ संख्या	8490	25.06.2014
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बन्दलेखा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.04.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2014
(ख)	तत्कम लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (थ्रू डे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	67920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33880
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20378
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		33960/- दि० 31.01.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन सध्यारण दर पर	₹	20376
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	88100/- दि० 31.01.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (सध्यारण दर पर)	₹	62880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 40500 का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगदान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगदान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6729

13441

2013-2014 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-पथण, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी।
- श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मठा-ग्राम रानीपुर, पोस्ट रानीपुर, जिला झाँसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झाँसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोकार्यालय, सक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9962

2004-2005 उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया लाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	2880	दिनांक 22-11-2004
(ग)	जन्मतिथि		01.06.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती स्वा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.01.1962
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पै (10000)
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4281
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23089
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ब)	राशिकृत पेंशन	₹	4281
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76869/-दि० 15.01.2020 तक बहुपयस्त 81150
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन कथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो कर भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में भूयः से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6730

9962

2004-2005 उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणपल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गौविन्द नगर, कानपुर।

श्री कन्हैया लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, एका-प्लॉट नं०-101, आनन्द विहार अपार्टमेंट, 4/276, पार्वती बागलापेट, कानपुर।

2. को इस वाक्य से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी

कोषागार कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

1/2/19

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचनी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाधिकारलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7807

1996-1997

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.01.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री भुवेंद्र झा

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिकारिता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	473	27-05-1998	
(ग)	जन्मतिथि			07.02.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती भगवान देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			18.07.1949
2(क)	सेवानिवृत्त/दिग्गत तिथि			28.02.1987
(ख)	तत्कमय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			16400-20000/37400-57000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		16850
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		131100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65560
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65560
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		65560
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		
				13110 ₹ 07.02.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को लागू करने का मुगलान आदेश में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

(731)

7607

1996-1997

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-अध्यम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया भवन, मेरठ।
- श्री भुवेंद्र झा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता-ई-22, जनकपुरी, अजन्ता कालोनी के पीछे गढ़ रोड, मेरठ।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/परा/का/लि, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के लिए समय

स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

13659

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तदनुसार निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीपक चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6699 दिनांक 22.01.2015
(ग)	जन्मतिथि	26.08.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (B700)
(घ)	वेतन	₹ 60,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30105
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12042
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18063
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 30105/-दि० 25.08.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18063
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,55,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12042
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम न लिया जाय	₹ 65908
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 77950/-दि० 25.08.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रवर्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदत्त की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6732

13659

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिरात्री अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० प्र० कारपोरेशन लि०, रक्षिता नगर, लखनऊ।
2. श्री दीपक चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कायालय सहायक लेखाधिकारी, फ्लॉ-114, हरीहर नगर, नियर लार्ड मेडर कॉलेज, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिरात्री अभियन्ता, सेवानिवृत्त कायालय सहायक लेखाधिकारी, फ्लॉ-114, हरीहर नगर, लखनऊ।

(Signature)
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 कोषागार, लखनऊ



पत्र सं०

11509

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भास्कर चन्द्र जोशी

सेवानिवृत्त

अधीनस्थ अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4862	दिनांक	22.04.2010
(ग)	जन्मतिथि			23.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती आशा जोशी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			22-12-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12010
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22805
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

2. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संबंधित पेंशन	₹		91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)(1)	संपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12010
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		79340
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संबंधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा संपर्कित बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का संपर्कानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6933.

11509

06-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री भास्कर चन्द्र जोशी, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पत्ता 33 त्रिमूर्ति नगर, फेज-1 पो०ब्रा० सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-228008

को इस जालय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U33201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11539

2009-2010 उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीता पत्नी स्व० दुखीराम सेवानिवृत्त

जमादार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिचय	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4421	दिनांक 24.04.2009
(ग)	जन्मतिथि		03.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2009/14.02.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड-पे (4200)
(घ)	वेतन	₹	18730
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9385
(क)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3174
(ख)	राशिकरण के उपपान्त घटी पेंशन	₹	6191
(ग)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		9365/- दि० 02.01.2014 तक
(ङ)	पारिवारिक पेंशन सञ्चारण दर पर	₹	5619
(क)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		08 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	49400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	24700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	24700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3174
(क)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	21528/- दि० 14.02.2017 तक
(ख)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन (सञ्चारण दर पर)	₹	14820/- दि० 16.02.2017 से अग्रतर
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रवचन-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपरोक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान अर्थशास्त्र में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का चर्चुवस्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुभूति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

1734

11539

2009-2010 उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती गीता पत्नी स्व० दुखीराम, सेवानिवृत्त जमादार, पता-गान्धेय विहार कालोनी, निष्कट मोहन आटा चक्की, शर्मादय नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान किया जायेगा।
कोषाधिकारी (पेंशन)
उपरो कोषाधिकारी (पेंशन)

3 अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।



पत्र सं०

12288

2010.11

उपभोग/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तदनुसार में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

वीरेन्द्र नाथ शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	6204	दिनांक	03-10-11	
(ग)	जन्मतिथि			25-11-1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती गुलशन कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			04.07.52	

2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)			37400-67000 ग्रैंड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹			66620
(ङ)	मूल पेंशन	₹			33310
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			13002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			20308
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 33310/- दि० 24.11.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			19988

(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				40 छमाहियों
-----	---------------------------	--	--	--	-------------

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			172,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			86100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			86100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			13002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹			73096
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			₹ 86100/- दि० 24.11.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			51660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुभूति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6735

12288 2010.11

उपभोग/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काठजू मार्ग, बरेली;

2 श्री वीरेन्द्र नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पत्रा-77/20, पोस्टमन ग्रीन पार्क, बरेली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली बरेली

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थिति एवं मुगतान प्राप्त

Handwritten signature

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपभोग/लेखा/पेंशन/तददिनांक

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, स०प्र०प०क०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सार्वजनिक का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12658

2011-2012 उ०म०उ०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निम्न आदेश सं०-777 दिनांक 30.09.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सागर जायसवाल

सेवानिवृत्त

वार्षिक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5526		
(ग)	जन्मतिथि		18.12.2011	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		01.10.1951	
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		श्रीमती सीतावती	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		अज्ञित नहीं	
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान		30.09.2011	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		छठा वेतनमान	
(घ)	वेतन	₹	37400-67000 ग्रेड-पे-8900	
(ङ)	मूल पेंशन	₹	65960	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	32980	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	13192	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	19788	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्यारण दर पर	₹	32980/- दि० 30.09.2018 तक	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹	19788	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	40 छमाहियाँ	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवाप तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171100	
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं	
(घ)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं	
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550	
(च)	राशिकृत पेंशन	₹	13192	
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाय	₹	72358	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550/- दि० 30.09.2018 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साम्यारण दर पर)	₹	51330	
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं	

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार ब्रश सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6737

12658

2011-2012 उ०म०उ०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आचरणक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसारी अभियन्ता, कियुट एच यांत्रिक इकाई, उ०म०उ० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री राम सागर जायसवाल, सेवानिवृत्त वार्षिक लेखाधिकारी, पता-543, दीन दयाल नगर, अर्जुनगंज, लखनऊ।
को इस आराब से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०उ० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

आदर्श लखनऊ
कोषागार,
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को साक्ष्य सम्पन्न
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11585

09-10

उम०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नीरंजी देवी पत्नी स्व० बेचू सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4663	दिनांक 16.11.2009
(ग)	जन्मतिथि		15.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीरंजी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009 / 14.12.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		28435 दि० 14.05.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17081

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिकल प्रक्रमसार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	147,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिकल के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(ब)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ब)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	73800 दि० 14.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदान हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०- 6738

11585 09-10

उम०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2 श्रीमती नीरंजी देवी पत्नी स्व० बेचू, अधिशासी अभियन्ता पदा शपथ बनीती कला, पी० सिन्धी, जनपद बन्दाती

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उम०प्र०/लेखा/पेंशन, अंकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11512

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अमरोहा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री परम सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेशन/पारिवारिक पेशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेशनर का विवरण

क्र.	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4468	दिनांक 19.06.2009
(ग)	जन्मतिथि		02.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गोमती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02-03-1954
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ब्रोक पै)		37400-67000 ग्रेड-पै (8900)
(घ)	वेतन	₹	58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28290
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19560
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17574

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	152,000
4. (ख)	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66270
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त निम्नु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6739

11512 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेशन/तददिनांक

प्रकृतिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, परिचमोयल विद्युत वितरण विभाग लि०, अमरोहा
- श्री परम सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त माता रोडपुर रोड, निकट पहाडपुर सोसाइटी, मण्डी धनीरा, जिला जे०पी० नगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अमरोहा अमरोहा को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

3. अधिसूचनी अभियन्ता, मेक्साइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, राशिक भवन, लखनऊ।

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त
दिनांक 01.01.2018
कोषाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
कोषाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION/CIN: 032201UP1999SGC024928

पत्र सं.

7857

98-99

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री बॉके लाल चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	939	14-02-2000	
(ग)	जन्मतिथि			03.09.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्पा देवी चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.07.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.1998
(ख)	तत्कम्य लागू वेतनमान			पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (बैंड में)			18400-22400/(37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	₹		19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16,410
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं 0 (आदेश सं-444 दि 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74250
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44,550
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) (74250+20%)	₹		(74250+14850) 89100 दिनांक 03.09.2020 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपरोक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं.

6240

7957

98-99

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसायनी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड किड किड खण्ड प्रथम मथुरा।

2. श्री बॉके लाल चतुर्वेदी सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता पता-983 रथान घाट, मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार मथुरा।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पूर्ण प्रतिलिपि को मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिसायनी अभियन्ता, पैबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, राशिकृत मदन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 8800 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 1/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार, हापुड़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेह लता बंसल पत्नी स्को गौरी शंकर बंसल सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पीपीओओ संख्या	1653 दिनांक 02.01.2002
(ग) जन्मतिथि	11.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती स्नेह लता बंसल
(ङ) पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	01.07.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.09.2001/23.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67900 (5700)
(घ) वेतन	₹ 16,700
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,30,600
4 प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39180
(ण) अविविक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदान हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुभूति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6741 8800 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-
1 अधिसूचना अधिवक्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचालन वितरण निगम लि०, हापुड़।
2 श्रीमती स्नेह लता बंसल पत्नी स्को गौरी शंकर बंसल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-2-1/891, न्यू शिवपुरी, आनन्द लोक, हापुड़।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूचना अधिवक्ता, प्रस्तावित, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उत्तर प्रदेश सरकार
कोषागार, हापुड़



पत्र सं०

11518

08-09

संयुक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंजीत सिंह अरोड़ा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4478	दिनांक	30.06.2009
(ग)	जन्मतिथि			04.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्री परमिन्दर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			18-08-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-57000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन		₹	60340
(ङ)	मूल पेंशन		₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	18102

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68570
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46800
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूवर्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6742

11518 08-09

संयुक्त/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, संयुक्त पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री रंजीत सिंह अरोड़ा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 498-बी, हिन्दू नगर कालोनी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के सम्बन्ध समकृत प्रेषित कर भुगतान प्राप्त दिनांक

3. अधिसूची अभियन्ता, सेवानिवृत्त, संयुक्त पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12147 2010-11

उ०मा०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रदीप कुमार

सेवानिवृत्त

अधिरासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्धता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6427	दिनांक	25-04-11	
(ग)	जन्मतिथि			03-10-50	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सुनीता मिश्र
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.08.53	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.10.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹			67600
(ङ)	मूल पेंशन	₹			33600
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			13520
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			20280
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 33800/- दि० 02.10.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			20280

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-244 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			177,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹			88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			13520
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹			75180
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			88700 दि० 02.10.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			53220 दि० 03.10.17 से अग्रतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदान हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6743

12147 2010-11

उ०मा०प्र०/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवरक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, परिवर्धित विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2 श्री प्रदीप कुमार, अधिरासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-डी-177, शासनी नगर, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार मेरठ

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०मा०प्र०/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०मा०प्र०/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

7686

97-98

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री शिवपाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	अंकित नहीं	श्रीमती शारदा सिंह
(क)	पेंशन का प्रकार				
(ख)	पीपीओ संख्या	355	17-10-97		
(ग)	जन्मतिथि			02.07.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम				श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			अंकित नहीं	
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹			19900
(ङ)	मूल पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			लागू नहीं
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹			लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			16410
(ट)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा			06 छमहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			148,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-99 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6744

7686 97-98

उपरोक्त/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरोक्त कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

2. श्री शिवपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिकांसी अभियन्ता पता- एकमूल-17, सेक्टर-एल अलीपंज, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के साक्ष्य समर्थक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्त कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12293 2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद अनीस सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीपीओ संख्या	5576	दिनांक	23-01-12
(ग)	जन्मतिथि			18-01-1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती हुसैन बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.06.56
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		60400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12080
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18120
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 30200/-दि० 17.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18120

(क)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छपहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12080
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		65870
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 77950/- दि० 17.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6745

12293 2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री मोहम्मद अनीस, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता म०न० 62881/178एक, शक्ति नगर लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक करे।

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सारेक सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त
विनोद कुमार
कोषाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
अधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12287 2010.11

309090/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार फर्रुखाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय कुर्वर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5154 दिनांक 02-03-11
(ग)	जन्मतिथि	07-01-49
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती सुनीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	07.01.49
2.(क)	सेवानिवृत्त/दियंगत तिथि	30.06.2009
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-57000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 29290/- दि० 30.06.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17574

(ग) पेंशन योग्य आईकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76000
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 76000/- दि० 30.06.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6746

12287 2010.11

309090/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिष्ठाता अभियन्ता, विद्युत वितरण छण्ड प्रथम, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।

2. श्री जय कुर्वर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/418, आवास विकास कालोनी, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद को इस अश्वय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार फर्रुखाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक फर्रुखाबाद करें।

3. अधिष्ठाता अभियन्ता, वेवसाइड, जयप्रभाकरकालिका, शक्ति भवन, लखनऊ।

के संपर्क सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषागार फर्रुखाबाद



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CRN: U32201UP1999SC0024928

पत्र सं०

12198

10-11

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सेवानिवृत्त सिंह

अधिशारी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पेंशन/पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पीपीओ संख्या	7072	दिनांक	23.07.2016
(ग)	जन्मतिथि			04.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुनयना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			30.04.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2010/12.07.2018
(ख)	तत्सम लामू वेतनमान		छठे वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)		37400-67000 GP 10000	
(घ)	वेतन	₹		71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(दि० 23.05.18 तक 2प्रति दण्ड के उपरान्त) ₹ 35880/-	दि० 24.05.18 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,658
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹		23,202
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लामू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21,516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		लामू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लामू नहीं
(ग)	शासनआदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लामू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लामू नहीं
(घ)	उपरोक्त का एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लामू नहीं
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	दि० 23.05.18 तक 2प्रति दण्ड के कारण (94100-1682) ₹ 92218/-	
(च)	राशिकृत पेंशन	₹		12,658
(छ)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	₹ 79560/-	दि० 01.01.18 से 23.05.18 तक तदुपरान्त ₹ 94100/- प्रथम दि० 24.05.18 से 12.07.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लामू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		₹ 56450/-
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (लामू के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹		दि० 13.07.2016 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो तो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से क्रिया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित वेतन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०- 6749

12198 10-11

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मोहदीपुर, गोरखपुर
2. श्रीमती सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सिंह, अधिशारी अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता- 199-एक, शिवापुर, बसतरपुर, गोरखपुर

जो इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3. अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकांति, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 01/02/2019



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11843

2009-2010 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तदनुसार निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद सईद हैदर	सेवानिवृत्त	अधिकाारी अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या		4768 दिनांक	28.02.2010
(ग) जन्मतिथि			01.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निगार हैदर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.01.1954
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2009
(ख) सत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			37400-87000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ) वेतन		₹	71720
(ङ) मूल पेंशन		₹	35880
(च) पेंशन का राशिकृत माग		₹	12432
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	23428
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	21518
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3 दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		₹	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	185200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	94100
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	94100
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	12432
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये		₹	81668
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	56480
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पूरक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6748

11843

2009-2010 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्री सैयद सईद हैदर, सेवानिवृत्त अधिकाारी अभियन्ता, पता-2/973, विवेक अम्ब गौमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3 अधिकाारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

विश्वेश्वर शर्मा

लेखाधिकारी (पेंशन)
उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ।



पत्र सं० 13856 15-18 उमड/लेखा/पेंशन दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम्बीर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्तता	
(ख)	पीपीओ/संख्या	6916	दिनांक 01.12.2015
(ग)	जन्मतिथि		04.08.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कान्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10-05-1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.16
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	74,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बकी दर पर		37115 दि० 03.08.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22269

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	192,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को कसौचित पेंशन	₹	96250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त का एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹	51404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बकी हुई दर पर)	₹	96250 दि० 03.08.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आमन्त्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की पची अनुमति के अनुक्रम दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6750 13856 15-18 उमड/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिसिधि निम्नलिखित को सुधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण सप्टे-ग्रुप, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
2. श्री ओम्बीर सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पत्ता नकाश नं०-26-बी, ब्लाक-बी शिवेणी रंगोली कातोनी, सिकन्दरा, आगरा-282007

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्राक दिनांक के सापेक्ष मुग्तान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेतनसप्टे, उमड/लेखा/पेंशन, आगरा

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उमड



पत्र सं 11528 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, आगरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार पालीवाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5313 दिनांक 14.06.2011
(ग) जन्मतिथि	01.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता पालीवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09-06-1955
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	25.03.08
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ) वेतन	₹ 63,710
(ङ) मूल पेंशन	₹ 30408
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10857
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19651
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	30408 दि० 31.08.13 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19113
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 167,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 83600
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 83600
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 10857
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72743
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50180
(ण) अतिरिक्त पेंशन (अग्रमु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 6751 11528 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मूकनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण सप्ले-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
2. श्री अनिल कुमार पालीवाल, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-81, कमलानगर, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्बन्ध में सत्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उपग्रहपराकारालिक, शक्ति भवन, लखनऊ-1

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

30/01/2019



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CNR: 0322010P19998GC024928

पत्र सं०

12204

10-11

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

विक्रम जंग बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5148	दिनांक	25.01.2011
(ग)	जन्मतिथि			23-09-1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निर्मल कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			28.08.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2010
(ख)	हात्समय लागू वेतनमान		उत्तम वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14,776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22,164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			38940 दि० 22.09.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22,164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से देवन निर्धारण :-	₹		0

(क) पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		58,140
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		96,900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14,776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञाप न दिया जाय	₹		82,124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		98900 दि० 22.09.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुद्रापत्र वर्गीकरण में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुद्रापत्र के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6752 12204 10-11 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचारी अभियन्ता, विद्युत वितरण समूह, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्दनगर, कानपुर
2. श्री विक्रम जंग बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पत्ता-378, एन-2 रोड, हरचिन्दर नगर, कानपुर-200017

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पूर्ण प्रमाणित रूप में मुद्रापत्र प्राप्त करें।

3. अधिसूचारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/पाओ/काओ/लि०, राक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9308

2002-2003

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2-119

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीना नाथ चौरसिया

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		2085 दिनांक 21.11.2002
(ख)	पीपीपीओ संख्या		06.05.1944
(ग)	जन्मतिथि		श्रीमती शोभा चौरसिया
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		06.12.1952
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.05.2002
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		पांचवां वेतनमान
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड में)		18400-22400/37400-87000(10000)
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8770
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	18580
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ञ)	पेंशन योग्य आईकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू केन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	8770
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्रहण न लिया जाये	₹	85480 दि० 20.02.2018 तक 74250 दि० 21.02.2018 से अग्रतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (बायु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 28.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ङ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रस्ताव की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6753

9308

2002-2003

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-अध्यम, पश्चिमीचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिमरा, वाराणसी।
- श्री दीना नाथ चौरसिया, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता पं०-सी-32/275-11ख, जन्तुवा इन्जीनियरिंग, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को समस्त सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्रस्ताव करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/लेखा/पेंशन, सफ़्त मकान, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

9201

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश कच्छल

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ संख्या	2152 दिनांक 14.02.2003
(ग)	जन्मतिथि	20.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विजया रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1948
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-57000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24296
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3001
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3001
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ ₹ 66549/- दि० 13.05.18 तक तदुपरान्त ₹ 69550/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अग्रगण्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से क्रियान्वित। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6755

9201

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत नगरीय विवरण खण्ड-प्रथम, परिसर्वांकल विद्युत विवरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री ओम प्रकाश कच्छल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- आर-11/123, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, पेंशन, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, गाजियाबाद, राजनगर।

M. R. Sharma
21/11/19
मन्त्रालय (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० को० नि०
राजिब भवन, राजनगर



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12389

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

02.01.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल प्रसाद गर्ग

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5389 दिनांक 17.08.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिमलेश गर्ग
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.02.1954
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/ (अ०० ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तासिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4. एकस्थित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त च एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम न लिया जाये	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अम्पु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6756

12389

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिधीय वित्त विद्युत वितरण निगम लि०, हापुड़।

2. श्री गोपाल प्रसाद गर्ग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ए० 65, राजेश विहार, आवास विकास कालोनी, मेरठ रोड, हापुड़ (गजिबाराब)-245401।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सम्बन्ध में संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, राशिकरण, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 10028 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 01.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी ए० अजीत सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओ संख्या	2744	दिनांक 31.08.2004
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सावित्री देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.01.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004/23.10.2005
(ख)	वत्समय लागू वेतनमान		प्रथम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)		8550-13500/16800-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	12,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत नाम	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8408
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 वि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	73,200
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनआदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्ड-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर वदनुमान इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6757 10028 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत नगरीय विद्युतण एण्ड-प्रथम, परिपरीचल विद्युत वितरण नियम वि०, गाजियाबाद।
- श्रीमती सावित्री देवी पत्नी ए० अजीत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 9-एफ०एच०-3-35 ओबरा, सोनभद्र।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साफ्त सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूचनी अभियन्ता, वेतनसूचक, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, अतिरिक्त, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सप्लायर का सफरनामा)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CODE: U32201UP1999SG0024928



पत्र सं० 12239 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार फौजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा बंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र बहादुर दूबे सेवानिकृत लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन	
(ख) पी०पी०अ० संख्या	5086	दिनांक	28.11.2010
(ग) जन्मतिथि			07.02.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती श्यामा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.06.1955
2. (क) सेवानिकृत/दिवंगत तिथि			05.09.2009
(ख) उत्सम्भ लागू वेतनमान			छटौं वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		15600-39100 GP. S400	
(घ) वेतन	₹		30,330
(ङ) मूल पेंशन	₹		-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			15166 दि० 05.02.2018 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9,099
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		88 छमडियाँ	
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका न०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		80,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(ङ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(च) राशिकृत पेंशन	₹		-
(छ) राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम न लिया जाय	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		40000 दि० 04.09.2018 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24,000
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा बंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 21.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान अर्थात् शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6758 12239 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवरबक कर्त्तव्यही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-स्थाय, कर्मचाल विद्युत वितरण निगम लि०, फौजाबाद
- श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र बहादुर दूबे, लेखाकार दिवंगत, प०।। ग्राम बैरुभासी, पो० अजमवार, थाना हैदरगंज, सहस्रील बीकानपुर, फौजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फौजाबाद को प्रेषित पत्रोंक दिनांक के साथ संयुक्त रूपान्त क मुगतान प्राप्त करें।
- अधिकांसी अभियन्ता, नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राउतगंज, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र०
श्रीमती श्यामा देवी



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 11594 09-10 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19.
कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मालती मली स्व० होशी लाल सेवानिवृत्त करवासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	परिणाम
1.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण		
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	4518	दिनांक 07.08.2009
(ग)	जन्मतिथि		03.01.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मालती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1965
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		02.09.2008
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 GP. 4200
(घ)	वेतन	₹.	18,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹.	-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹.	लागू नहीं
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹.	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		9000 दि० 02.08.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹.	5,454
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹.	48,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹.	24,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹.	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹.	लागू नहीं
(घ/ङ)	जपसोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹.	लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹.	लागू नहीं
(छ)	राशिकृत पेंशन	₹.	-
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹.	24,000
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹.	24000 दि० 02.08.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹.	14,400
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹.	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपरोक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान बर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6759 11594 09-10 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि, राकित मन्द, लखनऊ।
- श्रीमती मालती मली स्व० होशी लाल, करवासी (दिवंगत), पता 14/148, सदयगंज, पुखता बर्फखाना, धाना हुसैनगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्बन्ध स्थापित रूप मुगलान प्राव करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेतनसूच, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि, राकित मन्द, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIR: U32201UP1999SGC02492B



पत्र सं 12238 10-11 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री आनन्द कुमार जैन सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिकारिता	
(ख)	पीपीओआ संख्या	6294	दिनांक	14.11.2013
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सुषमा जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			03.08.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.08.2018
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठी वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹		69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20,889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		91,350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		91,350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		-
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		91350 दि० 02.08.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		54,810
(झ)	व्यतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्कम हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 6760 12238 10-11 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अभिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेणी, लखनऊ।
- श्री आनन्द कुमार जैन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता बी-09, पारसनाथ प्रैक्टिस सेंटर-33, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अभिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेणी, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024926

पत्र सं० 7775 1997-1998 उपरोक्त/लेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
उन्नाव।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सुरेश सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	484 दिनांक 18.05.1998
(ख) पीपीओअड संख्या	30.03.1940
(ग) जन्मतिथि	श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	25.02.1944
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.03.1998 / 30.06.2007
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	पांचदा वेतनमान
(ख) लस्समय लागू वेतनमान	
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-20000 / 37400-87000 ग्रेड-पे (8600)
(घ) वेतन	₹ 17,300
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निवृत्त :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38330
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5767 7775 1997-1998 उपरोक्त/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अधिनियम विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नवीचल विद्युत वितरण निगम लि०, उन्नाव।
2. श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-48, बाबूगंज, झुन्गा नगर, उन्नाव। को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषागार उन्नाव। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिसूचना अधिनियम, वेबसाइट, उपरोक्त/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक 19/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

13838

2015.16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 1/2/19

कोषाधिकारी,
कोषागार गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव पूजन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	8919	दिनांक	12-04-15
(ग)	जन्मतिथि			21-08-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चन्द्रावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.57
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2015
(ख)	तत्कम लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			97400-87000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		74230
(ङ)	मूल पेंशन	₹		37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14848
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छठी पेंशन	₹		22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 37115/- दि० 20.08.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22269
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छनदियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		192,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14848
(च)	राशिकरण के बाद छठी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		81404
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 96250/- दि० 20.08.2022 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		57750
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6736

13838 2015.16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अभियांती अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मोहदंडीपुर, गोरखपुर

2. श्री शिव पूजन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-नाम० 219 एक, शक्तिनगर कालोनी, पी०-आरोग्य मन्दिर गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गोरखपुर गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक को सफल सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अभियांती अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11386

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज मोहन लाल

सेवानिवृत्त

प्रशासन
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिकारिता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4378	20.02.2009	
(ग)	जन्मतिथि			15.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सच्चा देवी गोस्वामी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			01.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2009
(ख)	तत्कमय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800 (6400)
(घ)	वेतन	₹.		30,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹.		15005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹.		6002
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹.		9003
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹.		9003
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		09 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹.		77,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			38,950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹.		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹.		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹.		लागू नहीं
(ग)(ख)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹.		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹.		38950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹.		6002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उच्चका संज्ञान न लिया जाय	₹.		32948
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹.		लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹.		23370
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹.		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(च) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुचतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुषुक्ति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुचतान को सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6763

11386

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिक्रिया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

अधिराशी अभिवन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्री बृज मोहन लाल, सेवानिवृत्त प्रशासन अधिकारी, पता-117/836 काकादेव, निकट चन्देस चौराहा, कानपुर नगर-208025.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रक

दिनांक के साक्ष्य सत्यक स्थापित कर मुचतान प्राप्त करें।

3 अधिराशी अभिवन्ता, देवताघाट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, अमित भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and stamp of the official.



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION C/M: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12227 10-11 उग्रो/सेवा/पेंशन दिनांक 2/2/15.
कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार प्रयागराज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार कपूर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अभिवर्धता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5150	दिनांक	01.02.2011
(ग)	जन्मतिथि			04.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सुमन कपूर
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			01.08.1966
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹		64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32015 दि० 03.08.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19,209
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से ज्ञात निष्कारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमणार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		49,830
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, से अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹		70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		83050 दि० 03.08.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रधान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6964 12227 10-11 उग्रो/सेवा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत विभाग खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- श्री वीरेन्द्र कुमार कपूर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 228/106, कै०एल० कीदरगंज, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्पर्क सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उग्रो/सेवा/पेंशन, सविता 10-11, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

30.12.2018



उपग्रह पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रह सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG024928

पत्र सं० 12154 10-11 उपग्रह/लेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय— कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नन्द लाल सेवानिवृत्त साइक्लोपामप्रेटर का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण					
(क) पेंशन का प्रकार				अधिवर्षता	
(ख) पीपीओ संख्या	5001	दिनांक	26.08.2010		
(ग) जन्मतिथि				06.07.1950	
(घ) पारिवारिक पेंशन का नाम					श्रीमती अमरावती देवी मीर
(ङ) पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि					अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि					31.07.2010
(ख) हस्तमय लागू केतनमान					उठों केतनमान
(ग) केतनमान/वेतन बैंड (रोड पे)			9300-34800 GP 4200		
(घ) वेतन		₹			20,210
(ङ) मूल पेंशन		₹			10,105
(च) पेंशन का राशिकृत माग		₹			3,976
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹			6,129
(ज) पारिवारिक पेंशन नदी दर पर					लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹			6,063
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				40 छमदियाँ	
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण —					
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)				8 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹			52,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन					
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹			26,200
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹			लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹			15,720
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹			लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹			26,200
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹			3,976
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पूर्णस्थिति हो चुका है तो उसका संग्रहण न किया जाये		₹			22,224
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)		₹			लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹			15,720
(झ) अतिरिक्त पेंशन (खास्य के अनुसार)		₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 28.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ग)/(ज) में आमजित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6765 12154 10-11 उपग्रह/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अभिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रह पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री नन्द लाल, सेवानिवृत्त साइक्लोपामप्रेटर, पता 538/537, नदी जुगीली, निकट मूर्खान देवी का चबूतरा, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रोंक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अभिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रह पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)
उप-महानिदेशक, उपग्रह पावर कारपोरेशन लिमिटेड



उत्प्रेम पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्प्रेम सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन FENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12254

2010-2011

उत्प्रेम/लेखा/पेंशन

दिनांक 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेश सिंह चौहान

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से
पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	राशि/दिनांक	अवधि/दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5236	दिनांक 13.04.2019
(ग)	जन्मतिथि		30.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती निर्मला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2010
(ख)	तत्कम लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	80340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9958
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20212
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		30170/- दि० 29.04.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	46980
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(ख)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(क)	राशिकृत पेंशन	₹	9958
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	68342
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	78300/- दि० 29.04.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रोतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का शुरुआत वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 21.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के शुरुआत के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6767

12254

2010-2011

उत्प्रेम/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्री राजेश सिंह चौहान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-136/10, राम पिछा निवास कल्याणपुर, राम पिछा रोड, प्रयाग, इलाहाबाद।

को इस अवसर से प्रकित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

प्रकाश
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 02.02.2019 को, कोषाधिकारी
स्थापित कर, भुगतान प्रकृत कर, कारपोरेशन लि०

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उत्प्रेम कारपोरेशन लि०, अंकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

8482

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मंगूलाल मारहाण

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	1195 दिनांक 03.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	02.05.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्री अखिलेश मारहाण (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	01.07.48
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-87000 ग्रेड-पे (8000)
(घ)	वेतन	₹ 19100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरांत घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (श्राव्य के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6767

8482 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिसासी अभियन्ता, विद्युत विवरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर

2 श्री मंगूलाल मारहाण, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 670 नई बस्ती, बी-14 बिजनौर, जिला बिजनौर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार
बिजनौर

बिजनौर

को प्रेषित पत्रांक
दिनांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, देवसाहद, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 12278 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 22/11

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम सेवानिवृत्त जमादार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण		जमादार	दिनांक	पारिपेंशन	
(क)	पेंशन का प्रकार			23.12.2010	
(ख)	पीपीओओ संख्या	6103			
(ग)	जन्मतिथि			24.06.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती जैराजी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10.10.52	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.08.2010/23.08.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800 ग्रेड पे 4200	
(घ)	वेतन		₹		19300
(ङ)	मूल पेंशन		₹		9850
(च)	पेंशन का शशिकृत भाग		₹		3358
(छ)	शशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		8294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				9650 दि० 23.06.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रारण दर पर		₹		5790
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 म्महियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			6 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		50,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		25450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूर्व)		₹		25450
(ङ)	शशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	शशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		25450 दि० 23.06.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रारण दर पर)		₹		15270 दि० 24.06.17 से
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूवद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6768 12278 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित:-
1. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० वावर कारपोरेशन लि०, रावित भवन, लखनऊ
2. श्रीमती जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम, जमादार पता ग्राम-दुवाडी, पोस्ट-नरु आइमा, जिन्ना इलाहाबाद
को इस आशय से भेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ को भेषित पत्रांक दिनांक के साक्ष्य सम्पर्क स्थापितकर मुगतान प्राप्त करे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, जागरूकता/सि०, रावित भवन, लखनऊ।



पत्र सं० 12277 10-11 30700/लेखा/पेंशन दिनांक- 2/2/18

कोषाधिकारी
 कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कार्यादेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तद्वक्त में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया प्रसाद जायसवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार				
(ख)	पीपीओओ संख्या	5155	दिनांक	05.02.2011	
(ग)	जन्मतिथि			07.09.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती अहिल्या देवी जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01-07-1960	
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि					30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड एं)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		₹		64030
(ङ)	मूल पेंशन		₹		32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				32015 दि० 06.09.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन सहायण दर पर		₹		19209
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-					
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		166,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			₹		83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹		70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		83050 दि० 06.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (सहायण दर पर)		₹		49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कार्यादेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो साम्प्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर हदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।


पत्र सं० 6269

12277 10-11 30700/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूचना अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर
- श्री कन्हैया प्रसाद जायसवाल, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पत्रा 217 एच-बन्द विहार, चण्डी नगर, पो० आरोग्य मन्दिर, खनपद गोरखपुर-273003 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सम्बन्ध सम्बन्ध स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।



3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, 30700/लेखा/पेंशन/तद्दिनांक, शक्ति भवन, मखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11510

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/18

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिराशी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4643	दिनांक	09.11.2009
(ग)	जन्मतिथि			12.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कमलेश सागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-03-1952
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-87000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9970
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20200
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छप्पहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		68330
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46980
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6790

11510 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिराशी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण सण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2 श्री राम चन्द्र, अधिराशी अभियन्ता सेवानिवृत्त पदा म०० सराय कान्जी, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
मुरादाबाद

मुरादाबाद

को प्रेषित पत्रांक
करे।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIM: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12779

2011-2012 उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिर्वर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5887	दिनांक 21.04.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती विद्या पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		27.04.1966
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	65800
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19768
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32980/- दि० 29.02.2017 तक
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19768
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85580
(क)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	72358
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550/- दि० 29.02.2019 तक
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(च)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सामग्रह हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6771

12778

2011-2012 उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मंडलदीपुर गोरखपुर।
- श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-द्वारा एरा०के० गादिया, बी-2 पावर हाउस कालोनी, मोहदीपुर गोरखपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक से आवेक सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्रदान करें।

3 अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/पाण्डेय/लेखा, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11514

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनीर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तद्वक में निर्गत आदेश सं०-177 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	परिपत्र सं.	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			पारिपेंशन
(ख)	पीपीओ संख्या	4416		13.04.2009
(ग)	जन्मतिथि			31.12.2008
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती प्रकाश लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2008/01.03.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		47490
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14247
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		35930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूवद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6772

11514 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिषदीय विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनीर

2 श्रीमती प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त, लेखाकार सेवानिवृत्त पता नं० बी-5, मो० आदर्शनगर, नजीबाबाद, जिला बिजनीर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनीर

को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श कुम्भः

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11511

08-09

4080900/लेखा/पेंशन

दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,
कोषागार, गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम सुन्दर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पीओपीओ संख्या	4440	दिनांक	11.05.2009	
(ग)	जन्मतिथि			30.01.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती कमलेश त्यागी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03-11-1953	
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन		₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		9970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		20200
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रारण दर पर		₹		18102

3. पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

2.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			40 छमहियाँ	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹		68330
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रारण दर पर)		₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्दीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6773

11511 08-09

4080900/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिष्ठासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय विभाग एण्ट-प्रथम, परिष्कृत विद्युत विवरण नियम लि०, गाजियाबाद

2. श्री श्याम सुन्दर सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पदा द्वारा श्री देवेन्द्र त्यागी, निकट पुलिस थाना जी०टी० रोड, मुहम्मदनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिष्ठासी अभियन्ता, वेबसाइट, ज० प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, ज० प्र० क०

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 11519 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 2/2/19.

कोषाधिकारी,
कोषागार, मथुरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.05.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	4948	दिनांक 13.07.2010
(ग)	जन्मतिथि		14.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती माधुरी चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10-12-1950
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि 30.04.09			
(ख)	वत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (B900)
(घ)	वेतन	₹	55210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
3. पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमहियाँ			
दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	143,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन 71650			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो सामग्राह्य हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6774 11519 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आभार्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-
अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा
2 श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पत्नी दितीषी कुंज, चौकी बाग बहादुर, मथुरा
को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, कोषागार, मथुरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त किया जायेगा।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिसारी अभियन्ता, पेंशन, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक



पत्र सं० 11517 08-09 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल चन्द सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4888	दिनांक 13.05.2010
(ग)	जन्मतिथि		07.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अशा शेखवानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12-10-1950
2. (क) सेवानिवृत्त/दियत तिथि			30.04.09
(ख)	हात्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)		37400-67000 बैंड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	68990
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34495
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13126
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21369
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20697
(ण)	पेंशन योग्य अहकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स एकमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	177,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹	88700
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88700
(च)	राशिकृत पेंशन	₹	13126
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	75574
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	53220
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6775 11517 08-09 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री लाल चन्द, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सेवानिवृत्त पता जे-151 आशियाना, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ को भेजित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेतन/इ.द. उ०म०प्र०/कार्यलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



2010 पेंशन/पारिवारिक पेंशन/श्री



पत्र सं० 11587 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,
आजमगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री अब्दुल वाहिद अंसारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिघर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4523	दिनांक	10.08.2009
(ग)	जन्मतिथि			09.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ/ङ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्वाहित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ज)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(झ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान व लिया जाये	₹		68570
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ट)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(ड)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०- 6776 11587 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़

2. श्री अब्दुल वाहिद अंसारी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम 8 पोस्ट आजमगढ़, जिला आजमगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आजमगढ़

आजमगढ़

को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, जयप्रकाशकरासि०, राविल मयन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

[Handwritten Signature]

को साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

8409

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, महाराजगंज

विषय- कारपरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज किशोर प्रसाद

सेवानिवृत्त

उप मुख्य लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	1308	दिनांक	08.02.2001	
(ग)	जन्मतिथि			18.02.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती शान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-01-1940	
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				29.02.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (फ्रेड में)			37400-67000 ग्रेड में 8700	
(घ)	वेतन		₹		18700
(ङ)	मूल पेंशन		₹		20142
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		3564
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		16578
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन सञ्चारण दर पर		₹		13830

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

64 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		134,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		₹		67280
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		85212
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		81550
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपररोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		85212
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		3564
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये		₹		81648
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (सञ्चारण दर पर)		₹		40360
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०-

6727

8409 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि किन्तुलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण सभ्द-प्रथम, पूर्वमन्थल विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज

2. श्री राज किशोर प्रसाद, उप मुख्य लेखाधिकारी सेवानिवृत्त, पता बार्ड नं० 5, अशोक नगर, महाराजगंज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
महाराजगंज

महाराजगंज

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, सार्वजनिककंप्यूटर, शक्ति भवन, सखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

₹

पेंशन

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं 13586 2014.15 उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,
कोषागार अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंतीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

मुगनन्दन पाठक सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण				
(क)	पेंशन का प्रकार			अधिदर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6628	दिनांक	11-03-14
(ग)	जन्मतिथि			10-01-54
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ऊषा पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			12.05.58
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि 30.09.2014				
(ख)	हात्समय लागू घातनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		66620
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33310
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13324
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		199861
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 33310/- दि0 30.09.19 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन सञ्चारण दर पर	₹		19986
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		176,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन लागू नहीं				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13324
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74776
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 88100/- दि0 30.09.21 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (सञ्चारण दर पर)	₹		52880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंतीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।


पत्र सं- 6778

13588 2014.15 उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- बति लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा सफ़्त, हरदुआगंज राष्ट्रीय परिशोजना, काशीपुर।
- श्री मुगनन्दन पाठक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल0आई0जी0-68, अवतिका कालोनी, फेस-प्रथम, रामघाट रोड, अलीगढ़ को इस अज्ञात से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।



3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ0म0प्र0क0सि0, शांति भवन, लखनऊ।

विजयेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
सं0 प्र0 पाठक/उपसूच्यार्थ दिनांक
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U322011P1999SGC024928



पत्र सं० 11584 09-10 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी सेवानिवृत्त बुद्धि प्रस्थी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

Table with 2 columns: Description and Value/Amount. Rows include pension type, date of birth, name, and various pension amounts.

2. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

Table with 2 columns: Description and Value/Amount. Rows include pension calculation details, gratuity, and family pension amounts.

3. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/ (ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुद्रांकन इतिहास में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6279 11584 09-10 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
अधिकांसी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त बुद्धि प्रस्थी, पता-राकम नं० 31-192-य शक्ति नगर, पोस्ट रामनगर, विधाननगर (इन्दिरा नगर), लखनऊ।
को इस आदेश से प्रेरित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रों दिनांक के साथी सम्पर्क स्थापित कर मुगताम प्राप्त करें।
अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकरणकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
भवन, लखनऊ



पत्र सं० 10000 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लल्लू सेवानिवृत्त वपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओ संख्या	2979 दिनांक 19.01.2005
(ग)	जन्मतिथि	19.12.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-6600/9300-34800 (4200)
(घ)	वेतन	6,650
(ङ)	मूल पेंशन	7500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	1238
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	6262
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4510
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	06 तालिका सं०
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	42,600
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को सशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	21300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	21300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	1238
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	20062
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	12780
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्पश्चात् ही का मुगलान वर्गमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुपति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 10000 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 6/2/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री लल्लू, सेवानिवृत्त वपरासी, पता:-आनन्द लोक कालोनी, सिमरा गाँव के पास, मिनहट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पत्ति का विवरण मुगलान प्राप्त करें।
- अधिसूची अभियन्ता, जलसाइट, उ०म० प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कारपोरेशन लि०

दिनांक 6/2/19 लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIM: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12111

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्तर में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिविन्द श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5072	दिनांक 10.11.2010
(ग)	जन्मतिथि		09.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.03.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-57000 ग्रेडपे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 से 08.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	संपरोक्त च एम ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो हुआ है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	89060 से 08.07.2017
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (भाग्य के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6284

12111

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

2 श्री हरिविन्द श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-111, ग्रीन सिटी सेंट्र ज्योसक स्कूल के समीप, गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिकाारी अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उपग्रोपावर लि०, रास्ता पन-2, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and official stamp of the Accounts Officer (Pension).



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP 8999SGC0 24928



पत्र सं० 12258 10-11 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार मुरादाबाद

2-12/19

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय पाल सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पीपीडआर संख्या	5292	दिनांक	27.05.2011
(ग) जन्मतिथि			25.07.1860
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गंगो देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.12.1968
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2010
(ख) उत्तमय लागू वेतनमान			छठी वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-8900 GP. 64030	
(घ) वेतन	₹		64,030
(ङ) मूल पेंशन	₹		32,015
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,806
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,209
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			32015 ₹ 24.07.2015 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19,209
(ञ) पेंशन योग्य आईकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,66,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83,050
(ख) पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(द) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		83,050
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		12,806
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मात्र पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		70,244
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		83050 ₹ 24.07.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		49,830
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6782 12258 10-11 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय पुनरीक्षण सुपब, परिचरमौज विद्युत बितरण निगम लिमिटेड, मुरादाबाद
- श्री विजय पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, प्रता-निकट पडोलात पब्लिक स्कूल (अमृत नर्सिंग होम के सामने), पीठ खुशहाल पट्ट, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेतनसूच, उपरो/लेखा/पेंशन, राशिकरण, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विजयेश कुमार

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राशिकरण, लखनऊ



पत्र सं० 12828 12-13 उ०भा०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिरुद्ध सिंह सेवानिवृत्त अभियांती जमियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्तता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5853	21.01.2013	
(घ)	जन्मतिथि			31.07.1951
(च)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चन्दा सिंह
(द)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01-07-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35860
(च)	पेंशन का शशिकृत भाग	₹		14344
(छ)	शशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			35860 दि० 30.07.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21516

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 86 छमाहियाँ

2. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित छब से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	दिनांक	दिनांक
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	188,200
4	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)(ङ)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूरी)	₹	94100
(छ)	शशिकृत पेंशन	₹	14344
(ज)	शशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	78758
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	94100 दि० 30.07.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अधिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा चर्चुका विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्तानुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6783 12826 12-13 उ०भा०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अभियांती अभियन्ता, मिथुन एवं यांत्रिक इन्फ्रस्ट्रक्चर, उ०भा० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री अनिरुद्ध सिंह, अभियांती अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 1/76 विक्रम खम्ह, निकट विजयीपुर गाँव, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक

3. अभियांती अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उ०भा० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०भा० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ



पत्र सं० 12260 10-11 उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-34 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पारस नाथ दुबे सेवानिवृत्त चपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5092	दिनांक 30.11.2010
(ग)	जन्मतिथि		03.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शकुन्तला दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अज्ञित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.10
(ख)	तत्कमय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	19,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3912
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6028
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	5964
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से केतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6ए तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	28200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कन होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम केतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3912
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माघ पुनर्संशोधित हो चुका है तो सत्रका संज्ञान न लिया जावे	₹	2288
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	15720
(झ)	प्रतिरिक्त पेंशन (जायु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6784 12260 10-11 उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित के सूचनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अधिनियम, विद्युत एवं वायुिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री पारस नाथ दुबे, चपरासी सेवानिवृत्त पता राम बिहार कालोनी, पारा, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ के प्रेषित पत्रांक दिनांक के हार्फत सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसूची अधिनियम, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक के हार्फत सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
 दिपनेश कुमार
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 लखनऊ



पत्र सं 12261 10-11 उमम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक: 2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार
कोषागार वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गुलाब प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

Table with 4 columns: (क) पेंशन का प्रकार, (ख) पीपीओओ संख्या, (ग) जन्मतिथि, (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम, (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि, (च) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि, (छ) तत्समय लागू वेतनमान, (ज) वेतनमान/वेतन बैज (ग्रेड पे), (झ) वेतन, (ञ) मूल पेंशन, (ट) पेंशन का राशिकृत भाग, (ड) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन, (ण) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर, (त) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर. Includes values like 5099, 21.12.2010, 08.06.1950, 8900, 62,160, 10022, 21058, 18648.

पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

Table with 4 columns: (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार), (ख) निर्धारित वेतन, (ग) प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन, (घ) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार, (ङ) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन, (च) शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन, (ज) उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन, (झ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व), (ञ) राशिकृत पेंशन, (ट) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे, (ड) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर), (ण) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर), (त) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार).

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-30 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/ (ज) में आनागत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुबतान वर्तमान में शासन द्वारा धरान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुबतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 6785 12261 10-11 उमम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत वितरण अन्वय प्रथम, पूर्वान्वय विद्युत वितरण निगम लि०, सिमरा, वाराणसी।
- 2. श्री गुलाब प्रसाद, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता पकान नं० एन-8/38 जी-4, सुन्दरपुर नेवादा, निकट शीतला मन्दिर, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पूर्ण स्थापित कर मुबतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचनी अभियन्ता, वेवसाइट, उमम0प्र0/लेखा/पेंशन शक्ति मन्त्र, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उमम0प्र0/लेखा/पेंशन
सि.सं. 2/2/19



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपकरण)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11530

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4985 दिनांक 12.08.2010
(ग)	जन्मतिथि	10.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारी बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.08.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2009
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/ग्रेड पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ 8448
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	27605/दिनांक 09.02.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	उमाहियां 40

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका सं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71850
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	सम्बन्धित सूचक ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 71850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 8448
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 71850/दिनांक 08.02.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ अज्ञेय

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुष्क से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6786

11530

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आचरण कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसाक्षी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-7, नदिनी प्रिंशर, सेक्टर-12, इंदिरानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

3 अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक

उ० म० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपकरण)

H.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CNR: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12232

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री फूल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5422	दिनांक 02.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		08.02.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		उपरोक्त वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015 fn0 07-02-16 rd
(च)	पेंशन का राशिभूक्त भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन दायी अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	83,050
(ङ)	राशिभूक्त पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	70244 दि० 07.02.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आबु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ग/1) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6787

12232

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणीय विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2. श्री फूल सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- 34-एमआरजीओ, सेक्टर-11, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, राशिकरण, आगरा।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
अधिकांश, आगरा



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सप्लायर का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 13191 13-14 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम कुमार कोहली सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्धता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6239	दिनांक 28.09.2013
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लंड सता कोहली
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.02.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैट (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15,400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23,100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38500 दि० 05.07.2018
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रदायिक दर पर	₹	23,100
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त छ एंव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99,800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15,400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	84,400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 05.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रदायिक दर पर)	₹	59,880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (स्वायु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्काल से का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जावेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6788 13191 13-14 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अधिव्यक्ता, विद्युत नगरीय विवरण सख्त-प्रथम, परिवर्धित विद्युत विवरण निगम लिमिटेड, गाजियाबाद।
- श्री श्याम कुमार कोहली, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- ए-134, रामप्रसाद कालोनी, गाजियाबाद-201011

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के समक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अधिव्यक्ता, सेवानिवृत्त, उपग्रो/लेखा/पेंशन, सख्त-प्रथम, सख्त-प्रथम।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
कोषागार, गाजियाबाद



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11846

09-10

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रामपति सिंह

सेवानिवृत्त

अधिसासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्ता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5489	दिनांक 03.11.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्दावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.09.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	2 प्रति दण्ड के पश्चात ₹ 35143
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,711
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रारण दर पर	₹	21,516
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 को अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	2 प्रति दण्ड के पश्चात ₹ 82218
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	79,786
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रारण दर पर)	₹	56,460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रवृत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6789

11846

09-10

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वत विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर
- 2 श्री रामपति सिंह, सेवानिवृत्त अधिसासी अभियन्ता, पता- 462/सी (शम जानकी नगर), धरारापुर, पश्चिमी गोरखपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रों

दिनांक के साक्ष्य समर्थ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेदराष्ट्र, उपरोपायकालि, सकिंत भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शंशा भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928

पत्र सं० 12184 10-11 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार आगरा

विरयः- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री गया प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीएओ संख्या	5043	दिनांक 05.10.2010
(ग)	जन्मतिथि		10.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती बीना सारस्वत
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		24.08.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	हस्तमघ लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (रोड में)		37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		86 छम्हियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(गख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	83,050
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बन्ध छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्व्यापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी छुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आबन्धित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6290 12184 10-11 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आन्तरिक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2 श्री गया प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता एच०बी०जी०-47, सेक्टर-8, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क कारित, कार्य मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसारी अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उपग्रो/लेखा/पेंशन, अक्षा गवन, आगरा।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
कोषागार आगरा



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपकरण)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11574

2009-2010 उ०म०प्र०/सेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० बन्धु धर द्विवेदी सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से
पुनर्विज्ञान के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पीपीओओ संख्या	4494	13.07.2009
(ग)	जन्मतिथि		02.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती माधुरी द्विवेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		21.08.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2008 / 10.03.2010
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (श्रेण्ड में)		37400-87600 ग्रेड-पे-(8900)
(घ)	वेतन	₹	60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48800
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में प्रापणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्विहित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6291

11574

2009-2010 उ०म०प्र०/सेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 67-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० बन्धु धर द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-153, ऐलन गंज, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य सम्पर्क
स्थापित कर भुगतान प्रस्तावों के अनुसार

- अधिकासी अभियन्ता, वेक्साइड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० सरकार (पेंशन) वि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995G0024928

पत्र सं०

11578

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 2.2.19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं उत्तर में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० नजमुल हसन सिद्दीकी सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीडब्ल्यू संख्या	4547 दिनांक 29.08.2008
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ)	वेतन	₹ 63110
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31555
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11490
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20065
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 19.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11490
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो संसका संज्ञान न सिधा जायें	₹ 69660
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त किन्तु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6992

11578

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसानी अधिकता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री मो० नजमुल हसन सिद्दीकी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-नूजहत मॉडल 831/105, इन्साफ नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इन आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ
कोषागार
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साफल सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान/प्रकृत/...

3 अधिसानी अधिकता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० कोषाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1998SGC024928

पत्र सं०

11009

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सुभाष चन्द्र गोयल

सेवानिवृत्त

उपग्रो/लेखा/पेंशन

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3885	दिनांक	29.12.2008
(ग)	जन्मतिथि			29.09.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती अर्चना गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			08.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2006
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)			37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹		65,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11,958
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20,857
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19,689
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		86,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा छत्र होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		86,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11,958
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्रान न लिया जाय	₹		74,142
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51,660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (बायु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ग) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6793

11009

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

श्रीमति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सुभाष चन्द्र गोयल, सेवानिवृत्त उपग्रो/लेखा/पेंशन, पता- 557 मानस इन्क्लेव कालोनी, फरीदीनगर, पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995GC024928

पत्र सं०

12029

10-11

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार प्रयागराज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री नसीमुद्दीन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिदरता
(ख)	पीपीओओ संख्या	4918	दिनांक 31.05.2010
(ग)	जन्मतिथि		04.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती सीमा बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		18.09.1980
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2010
(ख)	तत्सम्य लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10,022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		31080 दि० 03.04.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निवारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10,022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	₹	70,628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 03.04.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (लागू के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमिल पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्सम्यद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार द्रुत सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6794

12029

10-11

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आग्रहक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज
- श्री नसीमुद्दीन, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- मकान नं० 8बी/2ए, भईवा पूरब, पी० ए० ग्रीकलबल इन्स्टीट्यूट, नैनी, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सामने सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/पत्रांक/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 2/2/19

उपरो/लेखा/पेंशन/पत्रांक/दिनांक/श्री नसीमुद्दीन



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13105

2012-2013

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या		8108	
(ग)	जन्मतिथि			01.04.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निर्मला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02.02.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2013
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे-(8900)
(घ)	केतन	₹		67820
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹		20376
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			33860/- दि० 31.03.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20376
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		178200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		सागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		सागू नहीं
(घ)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		सागू नहीं
(ख)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13584
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		88100/- दि० 31.03.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		52840
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त मिन्यू-4 (घ) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू होना चाहिए या भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6795

13105

2012-2013

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण अण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर, आगरा।
- श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त राष्ट्रीयक अभियन्ता, पता-7070-204, सैक्टर-9, आवास विकास कालोनी, सिकन्दर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्बन्ध

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकरणलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्थापित कर भुगतान किया जायेगा।
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्रशासनिक सेवा विभाग लि०
अभियन्ता, लखनऊ



पत्र सं०

11524

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

6297 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, सम्मल

विषय— कार्यपेंशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओअर्थ संख्या	4691	दिनांक 04.12.2009
(ग)	जन्मतिथि		05.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत स्थिति		28.02.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 6900
(घ)	वेतन	₹	58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साव्यारण दर पर	₹	लागू नहीं

पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ख/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मूल पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साव्यारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आहु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कार्यपेंशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6297

11524

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिशमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, सम्मल

2. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 119 नौ० सुन्दर, चन्दौली-202412

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सम्मल को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिकाारी अभियन्ता, वेजसाइट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, राशिकृत, लखनऊ।

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र०/लेखा/पेंशन
दिनांक 2/2/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13025

12-13

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रज्ज्वन लाल

सेवानिवृत्त

संयुक्त सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिकारिता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीपीओ संख्या	5930 दिनांक 29-12-2012
(ग)	जन्मतिथि	08.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रदमा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिनगत तिथि	30.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/(8900)
(घ)	वेतन	₹ 66,264
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33,130
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13,252
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,878
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	33130/दिनांक 08.09.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,878
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को संरोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13,252
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72,298
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ 85550/दिनांक 08.09.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संरोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का गृहगत वर्गान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गृहगतन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6798

13025

12-13

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता विद्युत एवं बांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री रज्ज्वन लाल, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, भत्ता-2 सी०-37, वृन्दावन योजना, फेल डिप्टीय (टेन्टल कालेज के पीछे), गायबरेली रोड, लखनऊ-226004 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

जादा लखनऊ)

कोषागार

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को समस्त सम्पर्क स्थापित कर गृहगतन प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकोरपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार



पत्र सं० 12138 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 12/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री पुरुषोत्तम राम यादव सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4903	दिनांक	11.08.10
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सोनिया यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			02-07-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹		32,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹		16400 दि० 30.06.15 तक
(च)	पेंशन का राशिंकृत भाग	₹		6560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹		9840
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			16400
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9840

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छनदियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		84,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		42450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		42450
(छ)	राशिंकृत पेंशन	₹		6560
(ज)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण नाम पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		35800
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		25470
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (प्राप्त के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रयत्न की गयी अनुमति के अनुस्यू दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6297 12138 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अमिनता, मिथुन एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, रविता भवन, लखनऊ
- श्री पुरुषोत्तम राम यादव, सहायक लेखाकार सेवानिवृत्त पता ९-1320/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ

के इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक

दिनांक के सामने साक्ष्य के आधार पर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अमिनता, सेवसाइट, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, रविता भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म०



उत्प्रेरक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्प्रेरक सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN. 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7785

1997-1998

उत्प्रेरक/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 20.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला मिश्रा पत्नी स्व० बड़ी मिश्रा सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओ संख्या	437 दिनांक 09.03.1998	
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमला मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिकृत/दिवंगत तिथि		31.12.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800(4200)
(घ)	वेतन	₹	2,690
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन मंडी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन सहायता दर पर	₹	4148
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		08 (ए) तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	55,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-34 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स को न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	27800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (मंडी दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (सहायता दर पर)	₹	16680
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अभ्यु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-34 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6800

7785

1997-1998

उत्प्रेरक/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

अधिसूचना अधिवक्ता, विद्युत वितरण संप्रदाय-प्रथम, दक्षिणविल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्रीमती कमला मिश्रा पत्नी स्व० बड़ी मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-371, कैलाश विहार आवास विकास, कल्याणपुर कानपुर नगर।

को इस आज्ञा से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्राक दिनांक के साफल सम्पन्न/संशोधित का भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूचना अधिवक्ता, वेबसाइट, उत्प्रेरक लिमिटेड, राशि नगर, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32301UP1999SGC024928



पत्र सं०

7658

1997-1998

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/17

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश बिहारी माथुर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्ता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	477 दिनांक 05.05.1998	
(ग)	जन्मतिथि		23.10.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लक्ष्मी माथुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.03.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		बौधा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-57000 ग्रेड-पे-8700	
(घ)	वेतन	₹	5,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹	2802
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	861
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रकल्पित तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(ख)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	61660
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38930
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	738602- दि० 23.10.2017 से अग्रसार

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6801

7658

1997-1998

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सर्वोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री सुरेश बिहारी माथुर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-436/1, कर्मचारी नगर, नर्सरी रोड बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपायुक्तकमलिका, शक्ति मन्द, लखनऊ।

श्रीमती लक्ष्मी माथुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
राजिंदर नगर, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो संरक्षण का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGE024928

पत्र सं०

7755

1997-1998

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अबुल हसन अंसारी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिपक्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	718 दिनांक 08.07.1999
(ग)	जन्मतिथि	27.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जाहिरा हसन अंसारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1997
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 28500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ञ)	पेंशन योग्य आईकारी सेवा	08 छमाहियाँ

2. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(स)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (लागू के अनुसार) 20% 74250 का	₹ 14850/- दि० 27.06.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्काल प्रभाव में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6802

7755

1997-1998

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अबुल हसन अंसारी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-म०न०-215, गे० कच्चीबारा, जनपद-सीतापुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक लखनऊ।
- अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सार्वजनिक रूप से प्रेषित कर

31/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ



पत्र सं०

7690

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी पारिवारिक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पेंशन संख्या	316 दिनांक 11-08-1997
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रभा चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.01.1940
2.(क)	सेवानिकृत/दिवंगत तिथि	30.08.1997 / 05.10.2015
(ख)	वत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-20000 (37400-67000 ग्रेड प्र० 8900)
(घ)	वेतन	16,850
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14577

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 उमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	65,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	39330
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० ~~1803~~ 6803 7690 97-98 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी से०नो लेखाधिकारी पता No-20 08 लक्ष्मण पुरी कालोनी कैंजामर रोड लखनऊ

3. को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ज्ञानप्रदायाकालिष्ठ, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

2/2/19

कोषाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CNR: US22011UP1999SGC024928



पत्र संख्या

11052

2006-2007

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार
मदोही।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्र महादुर त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अविवरण	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		3829 दिनांक 15.11.2006
(ख)	पीपीओ संख्या		
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती गुलाब देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27508
(च)	पेंशन का परिष्कृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्यारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	71850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जाय	₹	84464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्यारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र संख्या

6805

11052

2006-2007

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण अण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण नियम लि०, मदोही।

2. श्री महादुर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-20 बैंक कालोनी, निरंकारी मकान के पास, मरुछना चौराहा, मिर्जापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि यह

कोषागार

मदोही।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सूचक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉरपोरेशन लि०, मदन, लखनऊ।

31/1/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
मदन, लखनऊ



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12259

10-11

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

कोषागार सहायनपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेश दत्त शर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिबर्षता	कीमती सुदेश शर्मा
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	5185 दिनांक 07.03.2011	19.10.1953
(ग)	जन्मतिथि		11.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2018
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14,776
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,164
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		0
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22,164
(ण)	पेंशन बोय्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त का एक ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	96,900
(च)	राशिकृत पेंशन	₹	14,776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जावे	₹	82,124
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्डु-4 (पे)/(ज) में आगमिष्ठ पेंशन/पारिवारिक पेंशन को लाभप्रद हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6806

12259

10-11

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

2. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहायनपुर

2. श्री योगेश दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता म०न० 30, आवास विकास कालोनी, देहरादून रोड रुड़की, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहायनपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के तारिख संपर्क स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, सेनाईट, उपरोक्त/लेखा/पेंशन, शक्ति 1147, लेखा/पेंशन।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक

को तारिख संपर्क स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।



उत्प्रा0 पावर कारपोरेशन लि0

(उत्प्रा0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10971

2008-2007

उत्प्रा0/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं स.कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिसर्घता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार		3770 दिनांक 30.09.2006	
(ख)	पीपीओओ संख्या			
(ग)	जन्मतिथि			15.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गीता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.09.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2006
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			8550-13500 (5400)
(घ)	वेतन	₹		28,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹		13970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5122
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		8748
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8322
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	से-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		73,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		38800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		38800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5122
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाई	₹		31478
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बकी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		21980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन कथित उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

6807

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

10971

2008-2007

उत्प्रा0/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूपमार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अधिनियम विद्युत वितरण स.स.स. दक्षिणपूर्व विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-33/179/21, लोडिया नगर, बलकोरकर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि यह

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रों

दिनांक

के सूपमार्थ उपर्युक्त स्थिति को मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अधिनियम, सेवानिवृत्त, उत्प्रा0/लेखा/पेंशन, राशिकृत, लक्ष्यक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: U322011FF1999SG0024928

पत्र सं०

11045

2008-2007

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण गोपाल

सेवानिवृत्त

मुख्य महानिदेशक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिदर्थता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओ संख्या	3786 दिनांक 16.10.2006
(ग)	जन्मतिथि	02.08.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.12.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	83000-78000 ग्रेड-पे-11000
(घ)	वेतन	₹ 68,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32205
(क)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12882
(ख)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18323
(ग)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19323
(क)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 को अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90900
(क)	राशिकृत पेंशन	₹ 12882
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जावे	₹ 78018/- दि० 20.11.2021 तक 90900/- दि० 21.11.2021 से अपरोक्ष
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(क)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ङ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6808

11045

2008-2007

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अधिवक्ता विद्युत वितरण सप्ल-प्रथम, वाराणसी।

2. श्री कृष्ण गोपाल, सेवानिवृत्त मुख्य महानिदेशक, पता-बी-128, दृज इन्फोर्न कालोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वद

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रक

दिनांक

के साप्ताहिक सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशायी अधिवक्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०) संस्कार का उपक्रम
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7783

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, नोएडा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विशेश्वर लाल मल्होत्रा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1831 दिनांक 13.12.2001
(ग) जन्मतिथि	05.05.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती वृजराणी मल्होत्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.06.1945
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000 ग्रेड पे)
(घ) वेतन	₹ 20,900
(ङ) मूल पेंशन	₹ 27,350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(क) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ख) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(ग) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16,410
(घ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 68
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संगठित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76,500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 76,500
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(क) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ख) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45,900
(ग) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संगठित पेंशन/पारिवारिक पेंशन ज्यवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संगठित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6809

7783

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अधिराशी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमींचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गीतमन्डूवनगर)।
 2. श्री विशेश्वर लाल मल्होत्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पत्र-१० 143, सेक्टर-55, नोएडा-201301।
को इस आशय में प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार नोएडा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 01/02/19 के साथै समर्थन प्राप्त करे।

3. अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार्यालय, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10407

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामचन्द्र राम यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3171 दिनांक 28.07.2005
(ग)	जन्मतिथि	10.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मेवाती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/(8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2,975
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,320
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन घोष्य अर्हकारी सेवा	उपस्थिति 86

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 69,550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 2,975
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 66,575
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन बहि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है उसे संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-8 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो कर भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6810

10407

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाही अभियन्ता विद्युत वितरण जम्हा-प्रथम, पूर्वमन्त्र विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।
2. श्री राम चन्द्र राम यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राव-धोरठ, पोस्ट-जाकरपुर (रावर), जिला-आजमगढ़। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ संकेत स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

दिनांक

को संकेत स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पत्रांक/अभि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIM: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7737

87-98

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, बदायूं।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	443 दिनांक 24.03.1998
(ग)	जन्मतिथि	21.12.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.12.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.1997/04.08.2011
(ख)	तत्काल लागू वेतनमान	पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100/(5400 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 11,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन सञ्चारण दर पर	₹ 7,662
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 10
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 69,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधारे पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 34,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न किया जाये	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (सञ्चारण दर पर)	₹ 20,700
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 72100 का	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुषुक्ति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6811

7737

87-98

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रभाग, बदायूं।
- श्रीमती सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता- पी० जवाहर पुरी 8-ए बदायूं। को इस आदेश से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार बदायूं। को प्रेषित पत्रों

दिनांक

के सापेक्ष रूप से स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेकसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, रावत मजरा, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
कोषागार, बदायूं।



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपकरण)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SC024928

पत्र सं०

12753

2011-2012

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय प्रकाश नारायण

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओ संख्या	5689	दिनांक 11.05.2012
(ग)	जन्मतिथि		10.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमित्रा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अज्ञित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/विद्यमान तिथि		31.07.2016
(ख)	हालतक लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-87000 ग्रेड-वे (8000)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18209
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रारूपवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मांग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संकलन न लिया जाये	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6812-

12753

2011-2012

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिसंधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांशी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मोहनदीपुर गोरखपुर।
- श्री जय प्रकाश नारायण, सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त, पता-मन्ते-550 गंगानगर, पोखरा आरोग्य मन्दिर, जनपद गोरखपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साक्ष्य प्राप्त करे।

3 अधिकांशी अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उपग्रोपावरकारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, गोरखपुर।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11222

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2-1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री नानक चन्द

सेवानिवृत्त

अधिसारी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीएमपीओ सञ्चया	3967 दिनांक 14.03.2007
(ग)	जन्मतिथि	25.11.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1961
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2006
(ख)	वर्तमान वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	7402
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	21033
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	17081
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

4. वैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 14.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(क)	निर्धारित वेतन	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ/ङ)	उपरोक्त छ पर न में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (रक्षिकरण से पूर्व)	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	7402
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	66398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-89 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो बल्बपद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6813.

11222

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्राप्तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण ब्यूरो-प्रथम, परिसर्वालय विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
- श्री नानक चन्द, सेवानिवृत्त अधिसारी अभियन्ता, पता-8 आराय नगर, लाल तालाब बुलन्दशहर।

को इस आराय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्बन्ध सूचना स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसारी अभियन्ता, बेलगाइद, उ०म०प्र०/का०/वि०, सविता परब, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० म० प्र० उ० दि०
श्री नानक चन्द



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सार्वजनिक कर्म उपाकरण)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7788

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
इटावा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.05.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव दत्त तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिसूचना	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		515 दिनांक 01.08.1998
(ख)	पीपीओ/सीओ संख्या		
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती करुणा देवी तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/ दिवंगत तिथि		28.02.1998
(ख)	वर्तमान वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-बे (8900)
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(क)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		88 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	बे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार टालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 टालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	87600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	लागू नहीं
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40600
(ग)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6814

7788

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अभियांता अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, इटावा।
2. श्री शिव दत्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-स्टेट बैंक के सामने, अजीतमल, जिला-औरंगाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार इटावा को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करें।
3. अभियांता अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/लेखा/पेंशन, अतिरिक्त कर्म, लखनऊ।

दिनांक 01/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928

पत्र सं०

8494

2000-2001

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम केवल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

		अधिबर्तता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओ संख्या	1227 दिनांक 25.11.2000	
(ग)	जन्मतिथि		09.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सावित्री
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2000
(ख)	हालतमय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड-पै (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3348
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24002
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पत्र दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3348
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	73152 /- दि० 24.02.2018 तक 76500 /- दि० 25.02.2018 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का तुलना वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के तुलना के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6815

8494

2000-2001

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।
2. श्री राम केवल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्रा-14-आर सर्वोदय नगर निक्ट अगहा बागा मन्दिर, पी० शिकुरी, न्यू कालोनी, गोरखपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष संशोधित पेंशन का मुहताम प्राप्त करें।

गीता निम्बा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरो पावर कारपोरेशन लि०
राजिना भवन, गोरखपुर।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/पत्रांक/प्रति, शक्ति भवन, लखनऊ।



ऊपरो पावर कारपोरेशन लि०

(ऊपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928

पत्र सं० 10951 06-07 ऊपरो/लेखा/पेंशन दिनांक: 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, असी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री शान्ति स्वरूप शर्मा सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
1.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या		3685	10.08.2006
(ग)	जन्मतिथि			31.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कुसुम शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.09.1953
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2006
(अ)	वर्तमान लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(आ)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-57000/ग्रेड पे (10000)
(इ)	वेतन	₹		63,710
(ई)	मूल पेंशन	₹		31855
(उ)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6645
(ऊ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		25210
(ए)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(ऐ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19113
(ओ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पें-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग/उ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		6645
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		78955
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		50180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन से आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) से आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान कर्तव्य में शासन द्वारा प्रदत्त की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6816 10951 06-07 ऊपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता नियुक्त वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, असी।

2 श्री शान्ति स्वरूप शर्मा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-278/1, प्रेमगंज, सीपरी बाजार, असी।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार असी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के माफ़े सम्पर्क स्थापित करके भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, ऊपरो/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरोक्त दिनांक से दिनांक 31.12.2017 तक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

11513

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/12/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं ठरकम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री बाल कृष्ण भट्ट

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4445 दिनांक 18.05.2009
(ग)	जन्मतिथि	10.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्योति भट्ट
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08-03-1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.09
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/केतन बैंड (ग्रेड में)	63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 77510
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38755
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15050
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 62460
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23253
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 204,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 102350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 102350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15050
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 87300
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 61410
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6819

11513 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री बाल कृष्ण भट्ट, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त पता 16/273 इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11542

09-10

उपभोग/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, महाराजगंज

विषय:- कार्यादेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बनारसी लाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओसी संख्या	4434	05.05.2009	
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती द्रोपदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.02.46
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.06
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹		30,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹		15005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		9003
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9003

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	77,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	38850
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त 3 एवं 4 में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	38850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	32848
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	23310
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कार्यादेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 23.12.2015 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6890

11542

09-10

उपभोग/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अमियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्ववर्तन विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज

2. श्री बनारसी लाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता ग्राम व पोस्ट करमहा, जिला महाराजगंज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार महाराजगंज को प्रेषित पत्रों

दिनांक

के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3.

अधिसूचना अमियन्ता सं०साइ०, उपभोग/लेखा/पेंशन, राशिकृत भवन, लखनऊ।

विनयेत कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 2/2/19



पत्र सं०

12240

10-11

उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, रामपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	5161	14.02.2011
(ग)	जन्मतिथि		21.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सीमा अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.03.60
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32016
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छपहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 01.01.16 से 20.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (ग्राम्य के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अग्रणी पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6821

12240

10-11

उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचयांचल विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर

2. श्री सुरेन्द्र कुमार अरोरा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता द्वारा श्री रोहित मिश्रा, ई-18 थडली मजिल, शहीद नगर, दिल्ली

को इस आशय से भेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

रामपुर

को भेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अतिरिक्त अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प्र०/का०/लि०, शक्ति मंत्र, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० प्र०
शक्ति मंत्र, लखनऊ



पत्र सं 12846 12-13 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री महेश चन्द्र सेवानिवृत्त सहस्रक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

Table with columns for item description, amount, and date. Includes items like 'पेंशन का प्रकार', 'जन्मतिथि', 'वेतनमान', etc.

कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषाचार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/ (ज) में अमलित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुक्तान बर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुक्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं 6822 12846 12-13 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण विभाग ति०, राजियाबाद
2 श्री महेश चन्द्र, सहस्रक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता आर०डी०सी०-112, राजनगर, राजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषाचार राजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष संपादन/संशोधित कर मुक्तान प्राप्त करें।

अधिकाारी अभियन्ता, सेकाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, राजियाबाद

Signature and stamp of the official.



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928

पत्र सं०

10683

2005-2008 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ध्रुव चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि/दर	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिग्रहण
(ख)	पेंशन संख्या	3257	दिनांक 27.09.2005
(ग)	जन्मतिथि		16.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09.02.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2005
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)		18400-20000
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24179
(च)	पेंशन का शशिकृत भाग	₹	2981
(छ)	शशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21198
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		24179
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य आईकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	89550
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	68497
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65650
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	68497
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूर्व)	₹	2981
(ङ)	शशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	शशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	65516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्निर्धारित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6823

10583

2005-2008 उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणार्ध विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर, आगरा।
2. श्री ध्रुव चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्र-9, पुष्पांजलि गार्डन दयाल बाग, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

विशेष न्यायिक न्यायाधीश (पेंशन)
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
आगरा



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: 032201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11005

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केशव प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	3694	14-08-2006	
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.08.2008
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000/ग्रेड पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27,605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		7,186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20,419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16583
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका सं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		71,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(गो.)	(अ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(ब)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		71,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		7,186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64,464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42890
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लक्ष्य हो के मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर वदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6894

11005

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर, गोरखपुर।

2 श्री केशव प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मन० 88 यू शिवपुर जंगल सार्वजनिक, मोक्टर-3, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी

कोषागार गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वैदसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, शक्ति मकान, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12284 10-11 उपग्रो/सेखा/पेंशन दिनांक 2/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार आगश

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री देवकी नन्दन गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पीपीओओ संख्या	5477	दिनांक	20 th 10 th 2011
(ग) जन्मतिथि			20.10.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती माया देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.12.1948
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पौषमा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-450-2000/37400-67000 GP. 8900	
(घ) वेतन	₹		49,100
(ङ) मूल पेंशन	₹		24,550
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3,040
(क) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21,510
(ख) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			24295 दि० 19.10.2008 तक
(ग) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14,577
(घ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		₹3 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,31,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65,550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम केतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65,550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		3,040
(क) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		62510 दि० 19.10.2018 तक
(ख) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		85550 दि० 19.10.2018 तक
(ग) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		39,330
(घ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(च) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुकूल दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6826 12284 10-11 उपग्रो/सेखा/पेंशन दिनांक: लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
 1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खम्ब-पथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर, आगश।
 2. श्री देवकी नन्दन गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता म० नं० 334, सेक्टर-12ए, वीनदयाल पुरम, सिकन्दर योजना, आगश को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगश को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्ति करें।
 3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन लि०, राफा भवन, लखनऊ 1

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उत्तर 2018



पत्र सं०

10287

04-05

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, मेरठ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्दा

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	4467 दिनांक 18.06.2009
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन चन्दा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-11-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ब)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-87000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 21880
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5120
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18760
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410

(न) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹ 167,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹ 83600

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 08.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ब)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

0

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

20 प्रतिशत दर के परचाय 66880

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹ 5120

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹ 61700

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹ 50160

(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6827

10287

04-05

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण विभाग ति०, मेरठ

2 श्री रमेश चन्दा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक पता म०-३० ए००९२०-23, ए००३३०जी०, पल्लवपुरम फंज-2, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्त/लेखा/पेंशन, जयपुर, तस्मानिया /

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSTON CODE: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

६९१८

१०६५९

०५-०६

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

५/२/१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, सुल्तानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-१९२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२९ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०६.०९.२०१७ एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत

श्रीमती शीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	३३३१	दिनांक ३०.११.२००५
(ग)	जन्मतिथि		२५.०१.१९५३
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शीता तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		३१.०१.१९६०
२.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		२४.०१.२००५
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचदा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		१६४००-२००००
(घ)	वेतन	₹	२०,०००
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बंदी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	१४,५७७
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		५७ छमहियाँ
३	दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	₹	०
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१८ के अनुसार)		१३ तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	१,३९,१००
४.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	६९,५५०
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कंग होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०६.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के लम्बन वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ख)	उपरोक्त सब एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित संकलित पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित शकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम ५ लिखा जाये	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बंदी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	४१,७३०
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवृत्ति के अनुसार) २० प्रतिशत अतिरिक्त	₹	

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३० दिनांक २९.१२.२०१६ के प्रस्ताव-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-२२ (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में भासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक ०१.०१.२०१८ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१८ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किन्ने जायेगा।

M. R. P. Sharma
२९/११/१९
लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

६९१८

१०६५९ ०५-०६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

५/२/१९

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर
- श्रीमती शीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी, सहायक लेखाधिकारी (दिवंगत), पता २०१०, करींदिया, सुल्तानपुर

की इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साक्ष्य संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

३ अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

M. R. P. Sharma
२९/११/१९
लेखाधिकारी (पेंशन)

का. १५
का. १५



उत्तर प्रदेश सरकार
आवृत्त संख्या: 10687/2005-2006



पत्र सं०

10687

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	3487/4245	दिनांक	18.03.2016/29.12.2010
(ग)	जन्मतिथि			16.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मीरा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.10.1952
2.(क)	सेवानिकृता/दिवंगत तिथि			31.10.2005
(ख)	तत्समय लागू केतनमान			प्रांथवा केतनमान
(ग)	केतनमान/वेतन बैङ्क (ग्रैड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		22247
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹		5272
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		16975
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			22247
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		15188
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			58 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		71314
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू केतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5272
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन एवं राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो बुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		68828
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगदान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुष्प दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगदान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1923.

10687

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहदरीपुर, गोरखपुर।
- श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-मुहल्ला मार्ग ओवर ब्रिज के छापी छोर के निकट जिला-गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ ही सम्पर्क स्थापित कर मुगदान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, पेंशन, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, गोरखपुर।

(Signature)
21/11/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

6191

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम सेवानिवृत्त सहायक लेखाकधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	पारिवारिक पेंशन	
(क) पेंशन का प्रकार		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	225	दिनांक 18.02.1997
(ग) जन्मतिथि		लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अफसरी बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.05.1938
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		15.04.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15800-39100 (5400)
(घ) वेतन	₹	3,200
(ङ) मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4155
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		08 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	66,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग/1) उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	19800
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	20 प्रतिशत अतिरिक्त दि० 02.05.2018 सं० 23780/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो क्त भुगतान कर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुपति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6924

6191

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण सन्ध-प्रथम, पूर्वान्वत विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्रीमती अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकधिकारी, पता- डी-50/24 काजीपुरा कला, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन/शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11910 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमर बहादुर सिंह सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4787	दिनांक	26.02.2010
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अमरावती देवी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20-03-1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.08
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन		₹	31120
(ङ)	मूल पेंशन		₹	15560
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹	6224
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन		₹	9336
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	9336
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			68 छनहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन		₹	82,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹	41200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	41200
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	41200
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹	6224
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये		₹	34976
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	24720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6925

11910 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूचना अधिवक्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शांति भवन, लखनऊ

2. श्री अमर बहादुर सिंह, लेखाकार सेवानिवृत्त पता ग्राम देउम परिवार, पो० तन्वीकान्ता गंज, खिला प्रतापगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रक

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थिति का मुगतान प्राप्त

(Signature)
5/2/19

3. अधिसूचना अधिवक्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रह पारिवारिक पेंशन लि०



पत्र सं०

10614 05-06

उपग्रह/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेस्ट

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्तर में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार सिंघल

सेवानिवृत्त

उपग्रहप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिकता	
(ख)	पीपीओ संख्या	3321	दिनांक	17.11.2005	
(ग)	जन्मतिथि			17.08.1947	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम				लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि				लागू नहीं
2.क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि				31.08.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन		₹		22400
(ङ)	मूल पेंशन		₹		26936
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		4099
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		22837
(ज)	पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		लागू नहीं

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		81150
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		79921
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		79921
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		4099
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		75822
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6927

10614 05-06

उपग्रह/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अधिसूचना, विद्युत वितरण खम्भे प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया मार्ग, मेस्ट

2. श्री अरविन्द कुमार सिंघल, उपग्रहप्रबन्धक सेवानिवृत्त पता 84 विकास विहार, नई बाहनपुरी, मेस्ट

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार मेस्ट मेस्ट

को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

के साक्ष्य सम्पन्न स्थिति पर मुगतान प्राप्त

3. अधिसूची अधिसूचना, वेबसाइट, उपग्रहप्रबन्धक/लेखा, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो पावर कारपोरेशन लि०)

Jharkhand State Power Corporation Limited

Power Generation Company Limited, Patna, Bihar-800 001, India



पत्र सं०

10661

05-06

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह सेवानिवृत्त यपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			पारि० पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3384	दिनांक	17.01.2006	
(ग)	जन्मतिथि			28.12.1945	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती नन्दा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-09-1960	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.12.2005/24.08.13
(ख)	हालसमय लागू वेतनमान				पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			5300-9100	
(घ)	वेतन		₹		6300
(ङ)	मूल पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		4271
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				उन्हियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)			6ए तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		41,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		12420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6928

10661 05-06

उपरो/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अभिकन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह, यपरासी, पता शिवानी बिहार, सी-17, कल्याणपुर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ
लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

को साफ़ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त
5/2/19

3. अधिसूचना अभिकन्ता, वेबसाइट, उपरो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड



पत्र सं० 12935 2012-2013 सं०३०३०/लेखा/पेंशन दिनांक

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय— कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार गौधी सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5863 दिनांक 12.10.2012
(ग)	जन्मतिथि	05.08.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मल गौधी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.12.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2012
(ख)	व्यक्तिगत लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

क्र.सं.	विवरण	तालिका सं०
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग/ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 99800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाय	₹ 84580
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(ड)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अतुल्य दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपया से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6934 12935 2012-2013 सं०३०३०/लेखा/पेंशन दिनांक: 05/02/2019

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—
1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, ६०५० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शांति भवन, लखनऊ।
2 श्री अनिल कुमार गौधी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पत्रा-838/20 बसन्त विहार प्रिक्रमिक सपाट रोड, फरीदीनगर, पोस्ट-सीमा, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुबतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, 30880/पाठकालि, शांति भवन, लखनऊ।

(Signature)
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: H32201UP1999SGC024926

पत्र सं० 12454 11-12 309050/लेखा/पेंशन दिनांक 5/2/18

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 6239 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करते हुये निर्गत।

विषय— कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासन-आदेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं सत्कर्म में निर्गत आदेश सं० 777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पेंशन/परिवारिक संख्या	5337	दिनांक 02.07.2011
(ग)	जन्मतिथि		
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुधा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26.11.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिनगत तिथि		31.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000	GP 10000
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14,776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22,164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	88	छमदियों

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासन-आदेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
5(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	96,900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14,776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	82,124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासन-आदेश सं० 39 दिनांक 29.12.2018 के प्रवर्तन के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ख) में निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्निर्धारित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उदरुधार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6935 12454 11-12 309050/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०, राशि: लखनऊ

2 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता: 49, पटेल नगर, आलमबाग, लखनऊ 226005
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष समकक्ष स्थापित कर भुगतान प्रत्या करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेवसाइट, उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०, राशि: लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and stamp area



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 11080 06-07 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19
कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुशीर कुमार मुखर्जी सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3790	दिनांक	13.10.2006
(ग)	जन्मतिथि			17.09.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती प्रीनोति मुखर्जी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			16.11.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.08.2006
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान			छठें वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		15600-39100 GP.5400	
(घ)	वेतन	₹		28,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹		14,400
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		5,760
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		8,640
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			-
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8,640
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छगहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		75,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		37,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		37,700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		5,760
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन बढ़ी राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम न लिया जाये	₹		31,940
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		22,620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दिन्डू-4 (घ)/(ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6936 11080 06-07 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आदेश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, राशिा भवन, लखनऊ
- श्री सुशीर कुमार मुखर्जी, लेखाकार सेवानिवृत्त, पता 112 विनय नगर, कृष्णानगर, पो० मानस नगर, लखनऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के सापेक्ष समकालीन स्थापित कर भुगतान प्राप्ता करे।

3 अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, राशिा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शिवजीर कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
राशिा भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024920

पत्र सं० 12185 10-11 उ०प०प०/लेखा/पेंशन दिनांक: 05-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार गीतम्बुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5143	दिनांक 22.01.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रमा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹	60,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30,200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9,730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,470
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,120
(ण)	पेंशन योग्य आईकारी सेवा		66 छप्पहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,55,900
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	77,950
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	77,950
(गो/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	9,730
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	-
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संक्षान्न न लिया जाये	₹	68,220
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46,770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में वागणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुक्तता वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुक्तता के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6937 12185 10-11 उ०प०प०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय विद्युत सप्लाय-प्रथम, परिधमोचल विद्युत विभाग निगम लि०, नोएडा (गीतम्बुद्धनगर)

श्री राकेश चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पत्रा ई०-211, सेक्टर-27, नोएडा (गीतम्बुद्धनगर) उ०प०

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गीतम्बुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्बन्ध स्थापित कर मुक्तता प्राप्त करें।

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प०प०कर्मालय, शक्ति गेट-ए, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)
विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पेंशन कारपोरेशन लि०
शक्ति गेट-ए, लखनऊ-1



पत्र सं० 11463 2008-2009 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 05-02-19

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा जंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुहम्मद अहमद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अविवरित
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4746 दिनांक 28.01.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती शहनाज बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	10.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य आईकारी सेवा	66 छमाहियाँ

2. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका अंशान न लिया जाय	₹ 68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा जंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6938 11463 2008-2009 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं यंत्रिक ड्रॉइंग्स, 30990 पादर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री मुहम्मद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, फता-सी-1 इन्साफ नगर इन्डियन नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

जिम्मेदार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र०/लेखा/पेंशन लि०

लखनऊ



पत्र सं० 12091 2010-2011 30म090/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुधीर गुप्ता सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.	विवरण	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक	अधिवर्षता
1.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5024	दिनांक 15.09.2010	
(ग)	जन्मतिथि			12.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			04.04.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2019
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14776
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22164
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			₹ 35940/-दि० 11.07.2015 तक
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख ए व ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹		96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका मंजूरान न लिया जाय	₹		82124
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)			₹ 96900/-दि० 11.07.2017 तक
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58140
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (लागू के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ख) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद है का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6939 12091 2010-2011 30म090/लेखा/पेंशन दिनांक: 20/3/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिषद विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्री सुधीर गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी, पता-5, गुल बहर एकनैव, साफ्ट लाज लेन, निकट शकेश भित्तल नर्सिंग होम, भूड, बुलन्दशहर। 20/3/2019

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सत्यता सम्बन्ध में पुष्टि कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपप्रशासक(आवृत्ति), शक्ति मन्त्र, लखनऊ।

विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 12080 10-11 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तदनुसार निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिनन्दन राम यादव सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिबर्षता
(ख)	पीपीओआइ संख्या	5031 दिनांक	27.09.2010
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राज कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.12.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैठ (ग्रेड में)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8,092
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31,080
(झ)	पारिवारिक पेंशन सहायण दर पर	₹	18,648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 घमड़ियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पेट्रिक्स प्रक्रमवार शालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 8,092
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 72,558
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (सहायण दर पर)	₹ 48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुभूति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6940 12080 10-11 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत वितरण सम्पद-प्रथम, पूर्व-मूल विद्युत वितरण नियम लि०, सिमरा, वाराणसी
2. श्री हरिनन्दन राम यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ग्राम इटहा, पो० बरगोवा, जिला वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उत्प्रो सरकार का उपकरण)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 11506 08-09 उत्प्रो/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन	
(ख) पीपीओ/संस्था	4463	दिनांक	15.06.2008	
(ग) जन्मतिथि			07.02.1949	
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती बीना अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				21.07.1961
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				19.11.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 GP. 8900	
(घ) वेतन	₹			60,050
(ङ) मूल पेंशन	₹			-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹			लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			30023 दि० 06.02.2014 तक	
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			18,015
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹			1,56,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को चरितोक्ति पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(ii) उपरोक्त ख एवं ग में जो जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹			लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹			लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		78300 दि० 01.01.16 से 19.11.2018 तक	
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			46,980
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का गुणतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गुणतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6941 11506 08-09 उत्प्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम लि०, गिगरा, वाराणसी

2. श्रीमती बीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास बिहारी दास अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता पता- द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव, ई-4, एन०/180 कैलाशपुरी कालोनी, नेवादा प्रेटोल पम्प के बगल को इस वाक्य से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सम्बन्ध में स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, देवराइट, उत्प्रो/पावरकॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 8931 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 5/2/19.
कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्कम से निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार सेवानिवृत्त ए०सी० मकैनिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1640 दिनांक 31.08.2001
(ग)	जन्मतिथि	14.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रीता आनन्द
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.03.1950
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	BS50-13500
(घ)	वेतन	₹ 10,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 11278
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1808
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9470
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6916
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 63,300
१.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संगोषित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 31650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 31650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1808
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹० 29842/- दि० 29.11.2016 तक तदुपरान्त ₹० 31650/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 18990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अंगोषित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संगोषित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6943 8931 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

अतिरिक्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त, ए०सी० मकैनिक, पता-50/4 पुराना ऐराबाग, लेबर, कातोनी, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक

दिनांक के समस्त सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
मदन बिहारी वर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० फ०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

Regd. Office: 28/456/391, Sahajad Bagh, Lucknow-226002



पत्र सं०

11811

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय - कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख) पी०पी०ओ संख्या	4602 दिनांक 05.10.2009
(ग) जन्मतिथि	05.08.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जरीना खातून
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.09.56
2. (क) सेवानिवृत्त/विभागत तिथि	31.08.09
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 6900
(घ) वेतन	₹ 62,160
(ङ) मूल पेंशन	₹ 31080
(च) पेंशन का राशिकृत माग	₹ 10022
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-44 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 161,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 80650
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650
(छ) राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(ज) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70628
(झ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ण) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(त) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रत्यक्ष की नयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6942

11811

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 28/456/391, सज्जाद हाग छासोनी, दौलतगंज रोड, चौक, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक दिनांक के साथै संदर्भ स्थिति में मुगलान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(दिनांक 05/02/2019)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

28/456/391, सज्जाद हाग छासोनी, लखनऊ



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U.P. Power Corporation Limited

1927/2017 of Pension Unit (Pension)

Pension Application No. 0222017001009502024918



पत्र सं० 13287 13-14 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 5/2/19 कोषाधिकारी, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ संख्या	6274	दिनांक	24.10.2013	
(ग) जन्मतिथि				07.07.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती शशि किरन सिन्हा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				01.07.58
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.07.13
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (पेड पे)				37400-57000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	₹			69,960
(ङ) मूल पेंशन	₹			34980
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹			13982
(क) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			20988
(ख) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर				34980 दि० 06.07.18 तक
(ङ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			20988
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छपहरियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹			181,500
4. प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹			90750
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			90750
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹			13982
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹			70758
(च) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹			90750 दि० 06.07.2020 तक
(ख) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			54450
(ङ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ख) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृपक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6945 13287 13-14 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण विभाग लि०, सिमरा वाराणसी
2. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 16/27-के-38, कुन्दन नगर कालोनी (कादीपुर) शिवपुर, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रोंक दिनांक के साथै समर्थ स्थापित किए सुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०म०प्र०/कायलिंग इयुनिट भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन-11
वाराणसी



उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०

(उ.प्र. सरकार का उपकरण)

U.P. Power Corporation Limited
201, Ganga Ghat, Lucknow (U.P.)

पैनन PENSION C/M: U32201/UP1999500024928



पत्र सं०

11482

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषगार, फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4957 दिनांक 24.07.2010
(ग)	जन्मतिथि	27.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पूनम सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.71
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.01.2008/27.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त (34815-1741) 33074 दि० 26.01.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के अक्षर पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ 5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त (91350-4568) 86782 दि० 28.01.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषगार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्डू-4 (बे)/(जे) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्काल में का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6946

11482

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-ग्रथन, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

2. श्रीमती पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता पता नं० 1310, शाखा रोड, फैजाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषगार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समर्थन प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, इन्फो अवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
प्रतिष्ठान, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Under Taking)



पेंशन PENSION C/N: U32201UP19995GC024928

पत्र सं०

12224

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ संख्या	5207 दिनांक 11.03.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रानी कान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.52
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.10
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ 32015 दि० 31.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3 दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तासिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाय	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 31.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संगोषित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6947

12224

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 उप मुख्याधिकारी, कैम्पे, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर

2 श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 117/1084 एम० ब्लॉक, काकादेव, कानपुर नगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ ही सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिराशी अभियन्ता, वेल्साइट, उपग्रोपावरकॉरपोरेशन, राकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उप मुख्याधिकारी, कैम्पे, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर नगर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पैन PENSION CTR: U32201UP1999SC0124928



पत्र सं०

8550

03-04

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय-- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2266	25.06.2003	
(ग)	जन्मतिथि			15.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गोल्डी अरोड़ा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.09.63
2 (क)	सेवानिवृत्त/दियोगत तिथि			31.03.03
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24285
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255 दि० 02.08.18 तक तदुपरान्त	24285
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियों	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

क्र.	विवरण	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	69550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	66510 दि० 02.08.18 तक तदुपरान्त 69660
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवृ के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6948

8550

03-04

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण विभाग ति०, गोकुल नगर, कानपुर

2 श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 16 एच-7, दबौली, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क के लिए उपर्युक्त मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण विभाग ति०, गोकुल नगर, कानपुर।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।



उपग्रह पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रह) शक्ति का उपकरण

Power Corporation Limited

प्लान PERSON CIRCULAR 2201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11763

09-10

उपग्रह/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषग्राम, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री धनश्याम दास

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	6788	26.05.2015	
(ग)	जन्मतिथि			25.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कमलेश सरसेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.57
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवृ के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषग्राम द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो कर भुगतान कर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 09.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6949

11763

09-10

उपग्रह/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि किमनालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिभ्रमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री धनश्याम दास, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ए-77, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि यह

कोषाधिकारी

कोषग्राम

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ-साथक स्थिति में मुद्रितान प्राप्त करें।

3

अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रहपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6949 दिनांक 09-10-2018



पत्र सं०

11390

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामबचन सिंह यादव

सेवानिकृत

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पै०पी०ओ० संख्या	4431 दिनांक 04.06.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रामरती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1950
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27508
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹ 71850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (ग्राम के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6950

11390

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण अण्ड-प्रबंध, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, धिंमरा, वाराणसी।

2. श्री रामबचन सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एन-12/304 जे 46 शिवराजनगर महामुखाज वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पन्न सम्पर्क स्थापित करके मुगलान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ज०प्र०/पत्रांक/लि० राकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

वेबसाइट (वेबसाइट)

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/पेंशन सं०

पत्र सं० 6950, दिनांक 5/2/19.



पत्र सं०

13539

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय- करपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विपिन बिहारी शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6568	05.09.2014
(ग)	जन्मतिथि		04.04.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ज्योति शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2014
(ख)	तत्कमय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (रोड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34980
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	13982
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 34980/-दि० 03.04.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 उमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	से-मैट्रिकल प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,500
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिकल के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹	90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 90750/-दि० 03.04.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (शागु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. करपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आरम्भित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूटक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6951

13539

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-ग्राम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री विपिन बिहारी शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ए०सी०-278, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।- 201100 2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूचना अभियन्ता, ए०सी०-278, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कार्यालय करपोरेशन लि० गाजियाबाद



पत्र सं० 11879 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19
 कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कमल कुमार शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4831 दिनांक 31.03.201	
(ग) जन्मतिथि		10.02.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरला शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.09.1951
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ) वेतन	₹	62,160
(ङ) मूल पेंशन	₹	31080
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80850
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त छ एवं न में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी) 10 प्रतिशत दण्ड	₹	80850
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6959 11879 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:
 प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
 1 अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण क्षमक-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
 2 श्री कमल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-आर-7/डी-38, रुजनगर, गाजियाबाद।
 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै समूह के अधिकार के मुस्तान प्राप्त करें।
 3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट: www.upscl.gov.in, एड्रेस नयन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)
 कोषागार, गाजियाबाद



पत्र सं०

10705

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्यारे ताल शर्मा सेवानिवृत्त/ दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिवर्ष
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्ष
(ख)	पीपीओओ संख्या	3477	दिनांक 17.03.2006
(ग)	जन्मतिथि		03.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती कान्ति देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		15.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2005
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		प्राचया वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24519
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5419
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19198
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण के पूर्व)	₹	₹ 72100-10 प्रतिशत दण्ड -₹ 64690/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5419
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	59471
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रकरण-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फ्यूक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6954

10705

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण समूह-प्रथम, पश्चिमीचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री प्यारे ताल शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं० 115 सेक्टर-8 वैशाली, पानी की टंकी के सामने, गाजियाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, बंदरगाह, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, उत्तरकाशी।

लेखाधिकारी (पेंशन)

5/2/19



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B

पत्र सं०

8458

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक (एम्) का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	9879 दिनांक 18.05.1995
(ग)	जन्मतिथि	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.06.1936
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000/15600-39100 GP. 5400
(घ)	वेतन	₹ 2,750
(ङ)	मूल पेंशन	-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6,300
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 59,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढी दर पर)	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 17,850
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 03.08.18 से 20 प्रतिश अतिरिक्त ₹ 3570/-प्रम०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रवर्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षा/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार ईस सम्बन्ध में सूचक से आवेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6955

8458

89-90

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अभिज्ञानी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, सक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा सेकर मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता 138/57, फेतहपंज, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 5/2/19 दिनांक 01-02-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अभिज्ञानी अभियन्ता, वेवरायुट, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, सक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रमोद कुमारी मिश्रा

कोषाधिकारी (पेंशन)
आदर्श कोषागार लखनऊ



उपग्रो पावर कार्पोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIR: U32201UP1999SGE024928

पत्र सं०

8192

87-88

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधा गोयल पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र गोयल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पीपीओ संख्या	8377	दिनांक 02.03.1981
(ग)	जन्मतिथि		10.09.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती सुधा गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		28.03.1938
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		11.07.1987
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन पैठ (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹	6,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का परिष्कृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,577
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	03 घमटियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -		
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (कामू के अनुसार)	₹	20प्रति अतिरिक्त दि० 29.03.2018 से ₹ 47196/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसंग-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्काल प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6957

8192

87-88

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधीक्षकी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, रावि मवन, लखनऊ
- श्रीमती सुधा गोयल पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता- शी-6/37, विनय खण्ड, पोम्ती नगर, लखनऊ-226010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधीक्षकी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, रावि मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and stamp of the Accounts Officer (Pension) with date 4/2/19.



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B

पत्र सं० 8868 92-93 उपाय/लेखा/पेंशन दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय नारायण सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्धता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	8417	दिनांक	20.09.1993
(ग)	जन्मतिथि			01.04.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शोभा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	3400-4750/15600-39100	GP.	6600
(घ)	वेतन	₹		4,375
(ङ)	मूल पेंशन	₹		17440
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		17,440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8,723
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		80,900
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		40,450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा क्रम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स को न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		40,450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		40,450
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24,270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (जायु के अनुसार)	₹		दि० 01.01.18 से 31.03.18 तक 20प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 8080/- एवं दि० 01.04.18 से 30प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 12135/- प्र०म०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के अन्तर्गत कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6958 8868 92-93 उपाय/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आरक्षक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अभिशाही अभियन्ता, विद्युत वितरण अर्ध-प्रथम पूर्वोक्त विद्युत वितरण विभाग लि०, गौहर्दीपुर, गोरखपुर
- श्री जय नारायण सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पत्नी स्व० स्तन सिंह गौरी, गौहर्दीपुर (जलाशय) गोरखपुर को इस आह्वान से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

(Signature)

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० दिनांक 5/2/19

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषागार गोरखपुर

3. अभिशारी अभियन्ता, वेवसायक, उपाय/लेखा/पेंशन, राशिकरण एवं तत्समक



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8030

1998-1999

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल नन्द मटनागर

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिकारिता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीएमपीओ संख्या		934 दिनांक 11.02.2000
(ग)	जन्मतिथि		15.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती संख्या मटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.11.1948
2. (क)	सेवानिवृत्त/ दिवंगत तिथि		31.01.1999
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन पैक (ग्रैंड पे)		14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड-पे-(8700)
(घ)	वेतन	₹	14,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17812
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन बोर्ड अर्हकारी सेवा		51 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पें-मेट्रिक्स प्रकल्पार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61560
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	47562
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	61560
(ग)(1)	उपरोक्त अ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61560
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो घसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6959

8030

1998-1999

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री गोपाल नन्द मटनागर, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-14ए, कटघर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि यह

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

04/02/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो संचालन का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(I.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 43220/UP/1999SGC024928



पत्र सं०

11970

2008-2010

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बाराबंकी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री मुंशी लाल बाजपेई

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	व्यवस्था	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या	4908	दिनांक 28.05.2010	
(ग)	जन्मतिथि			15.03.1850
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुशीला बाजपेई
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.12.1853
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	15600-38100	ग्रेड-मै (5400)	
(घ)	वेतन	₹		47,490
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23745
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9498
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		14247
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14274
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 घण्टियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,24,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		62250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		62250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9498
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		52762
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		37950
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में जागणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुकूल दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6961

11970

2008-2010

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अतिरिक्त अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बाराबंकी।
- श्री मुंशी लाल बाजपेई, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मो० सत्यप्रेमी नगर, खपीम कोठी के बगल बाराबंकी-225001।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बाराबंकी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ ही सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

04/02/19

3 अतिरिक्त अभियन्ता, केबलस्ट्रट, उपग्रोपावरकारपोरेशन, संवित मशन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
सं० प्र० कोषाधिकारी (पेंशन)
शुभिन, लखनऊ



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9064

2001-2002

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निरगत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम आश्वर चौधरी

उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्धता
(ख)	पीपीओओ संख्या	1745	दिनांक 18.03.2002
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत विधि		31.12.2001
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400	ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23714 दि० 15.06.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		60 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	71637
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	68464/- दि० 15.06.2017 तक तदुपरान्त 72100/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6962

9064

2001-2002

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अभियांती अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-अधम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहनदीपुर गोरखपुर।

2. श्री राम आश्वर चौधरी, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक, पत्र-559-बी कानोहर घाट, राजान्दी चौरहा, इन्वर्स्ट कालेज रोड, पी० आर० मन्दिर, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि यह

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रक

दिनांक

मुग्तान प्राप्त करें।

को तय्यक सम्पर्क स्थापित कर

04/02/19

3

अभियांती अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/लेखा/पेंशन, शक्ति मन्त्र, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024926

पत्र सं०

8480

2000-2001

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शिवा मद्दटाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद मद्दटाचार्य सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	1160 दिनांक 27.08.2000
(ग)	जन्मतिथि	20.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शिवा मद्दटाचार्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.04.2000
(ख)	उत्सम्य लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन सम्भारण दर पर	₹ 15000
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	45 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(क)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाई	₹ लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (सम्भारण दर पर)	₹ 44550
(च)	अतिरिक्त पेंशन (आगू के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ग) में जागणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6963

8480

2000-2001

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को भुगतार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित्त ऐच बजट संगठन, उपरो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, फाकी, कानपुर।

2. श्रीमती शिवा मद्दटाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद मद्दटाचार्य, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-108/53, ए-1, चौथी नगर, पी० रोड, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि क

कोषागार

कानपुर।

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अभियन्ता अभियन्ता, वेनसाइट, उपरो/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

04/02/19

उपरो/लेखा/पेंशन

शक्ति भवन, लखनऊ



उपरो घावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 10969 06-07 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक 5/2/19
कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शम्बीर हसन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	3677	दिनांक 31.07.2006	
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ताहिरा हसन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02.05.1954
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2006
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-87000/(10000)
(घ)	वेतन	₹		57,440
(ङ)	मूल पेंशन	₹		28720
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10204
(छ)	राशिकरण के सपरान्त घटी पेंशन	₹		18516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन सभ्यारण दर पर	₹		17,232
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		74,250
(च)	राशिकृत पेंशन	₹		10204
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्व्यवहित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		64,046
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (सभ्यारण दर पर)	₹		44,550
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6964 10969 06-07 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं पारिवारिक इकाई, उपरो घावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री शम्बीर हसन सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-532 ख/57, मेहदीतोला, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वर कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक कोषागार,

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो घावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मन्दीरा मेहरोत्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरो घावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ।



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7784

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर।

विषयक- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रवीर सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिचय	दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन			
(ख)	पीपीओओ संख्या		575 दिनांक 14.12.1998		
(ग)	जन्मतिथि				01.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती प्रमोद कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				13.12.1997/29.08.2001
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान				पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैट (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000	
(घ)	वेतन	₹			20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	पेंशन का सशिकृत भाग	₹			लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			15200
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			65 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			1,48,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन				लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूर्व)	₹			74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹			लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में ज्ञासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में ज्ञासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6965

7784

1997-1998

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, परिवर्तन विद्युत बितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रवीर सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-1/113, लक्ष्मणपुरी बूड, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथैक सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/परिष्कार/रकित मवन, लेखनक /

लेखाधिकारी (पेंशन)



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र
(राजस्थान)



पत्र सं०

9204

2002-2003

उपम090/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	1903 दिनांक 20.07.2002
(ग)	जन्मतिथि	29.02.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.09.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3116
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19934
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3116
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मात्र पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹0 80284/- दि० 19.10.2017 तक ₹0 63400/- दि० 20.10.2017 से अग्रतर
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2017 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6966

9204

2002-2003

उपम090/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिराशी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खाण्ड, प्रथम परिचयमंचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा,
2. श्री कृष्ण कुमार अरोरा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्र सं०-पा० नं०-ई-119, सेक्टर-41, नोएडा-201301,

को इस सम्बन्ध से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट: उपम090/लेखा/पेंशन, मरिगा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी प्रभार (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
शान्ति भवन लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201NP1999SGC024928

पत्र सं०

10119

04-05

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ/सीओ संख्या		2827	18.10.2004
(ग)	जन्मतिथि			20.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती इन्दु शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.03.1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			08.07.2004
(ख)	उत्समय लागू वेतनमान			पंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-57000 (10000 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹		22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहिया 66

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रुम से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आघार पर दिनांक 01.01.2018 को सशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		8,11,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		81,150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		77150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48,690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्पश्चात् ही का मुगतान सम्भन में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6987

10119

04-05

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरख नगर, कानपुर।

2. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त, अधिकासी अभियन्ता, पता-1161-ए, रतन लाल नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के तत्पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेमसाइट, उपग्रोपावर लि०, सभिका भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6268

1988-1989

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० सेवानिवृत्त औद्योगिक सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पेंशन संख्या	7272 दिनांक 01.08.2017
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.04.1987
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.08.1988 / 21.11.1981
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/पेंशन बैंड (ग्रेड पे)	6300-34800 ग्रेड पे-4800
(घ)	वेतन	₹ 3,000
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5087
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निष्करण :-	
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	08 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 62,200
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14200 (न्यूनतम)
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किवा जारीगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6968

6268

1988-1989

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
2. श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० त्रिवेणी प्रसाद, सेवानिवृत्त, औद्योगिक सहायक, पता-एन० 89/38 बौ०-5, वैष्णो विहार कालोनी, पटिया, पो०-वज्रहोला, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रक दिनांक के सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/लेखा/पेंशन, अंकित भवन, लखनऊ।

04/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपरो पावर कारपोरेशन लि०
वाराणसी



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त) शक्ति का निगम

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजीकृत पते: 110001, लखनऊ-226001



पत्र सं०

11632

2009-2010

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

12.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओ संख्या	4527 दिनांक 13.08.2009
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुसुम सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/बेतन बैंड (ग्रेड पे)	67000-79000
(घ)	वेतन	₹ 78,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38450/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15780
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23670
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23670
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमकार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	53 शासन की
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 2,05,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधन पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 102550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(ख)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 102550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15780
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सहान न लिया जाये	₹ 66770
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 61530
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7243

11632

2009-2010

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, पता-प० नं०-374, विराम खम्हड 5, नैमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक

दिनांक

के सम्बन्ध में स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

सनीज मेहता

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ

3

अधिसायी अभियन्ता, वेरसाइल, उपरोक्त कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।



संविधान प्रादेशिक प्रशासन विभाग
(2010) संविधान प्रशासन विभाग
संविधान प्रशासन विभाग



पत्र सं० 6630 1991-1992 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 13-02-19
कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरील कुमार सेन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिपक्षता
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिपक्षता
(ख)	पीपीओ संख्या	8867	दिनांक 14.05.1992
(ग)	जन्मतिथि		25.11.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निमा सेन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.08.1942
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		3400-4750/15800-39100 (8800)
(घ)	वेतन	₹	4,125
(ङ)	मूल पेंशन	₹	16498
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	16498
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6680
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	38100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	38100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जायें	₹	38100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22850
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से दि० 24.11.2017 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 7620/- दि० 25.11.17 से अग्रेतर 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 11430/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संगोष्ठित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्निश्चित/संगोष्ठित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7248 6630 1991-1992 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्तन विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री सुरील कुमार सेन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं०-5/77, अमन रैसिडेंस-09, ब्लॉक-5, सेक्टर-5, साहिबगंज, गाजियाबाद। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक मुगतन प्राप्त करें।

के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित करें।
मदन सिंह से उभय
लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट: उ०प्र०/प०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



पत्र सं० 9435 2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीरा धुरिया पत्नी स्व० महेश प्रसाद धुरिया सेवानिवृत्त सेविका का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	सेवानिवृत्त	सेविका	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार			दिवंगत/पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2138	दिनांक 29.01.2003	
(ग) जन्मतिथि			05.08.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गीरा धुरिया
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			18.10.1953
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			27.08.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			प्रांश्या वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			10650-15200/15600-39100 (8600)
(घ) वेतन	₹		11,625
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		7884
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			64 उमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹		74,000
4. प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न दिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		22200
(झ) अतिरिक्त पेंशन (अयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुचतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुचतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।			
---	--	--	--

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 752 9435 2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिसूचना अधिवक्ता, विद्युत वितरण लखड़-ब्रह्म, पुरान्यत विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज।

2 श्रीमती गीरा धुरिया पत्नी स्व० महेश प्रसाद धुरिया, सेवानिवृत्त/दिवंगत, सेविका, पता:- ई०ए०स०आई०बी०/750 एत०डी०ए० कालोनी, सीतापुर रोड योजना, जमकीपुरम, सेक्टर-ए, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर मुचतान प्राप्त करें।

3 अधिसूचना अधिवक्ता, ई०ए०स०आई०बी०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
श्रीमती गीरा धुरिया
पता:- ई०ए०स०आई०बी०/750 एत०डी०ए० कालोनी, सीतापुर रोड योजना, जमकीपुरम, सेक्टर-ए, प्रयागराज



पत्र सं.

9380

2002-2003

उपभोग/लेखा/पेंशन

दिनांक 13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामचरण सिंह राठीर

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या	2145	03.02.2003	
(ग)	जन्मतिथि			10.12.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सविता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			30.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2002
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			पंच वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27360
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	₹ 23080/-दि० 30.04.2018 तक तदुपरान्त ₹ 27350/-अग्रेतर	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०		
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सञ्चालित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो हुआ है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	₹ 76880/-दि० 30.04.2018 तक तदुपरान्त ₹ 81150/-अग्रेतर	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (कड़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48590
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सञ्चालित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में जागणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदान हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 7259

9380

2002-2003

उपभोग/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूत्रार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, 3090 पम्पर कारपोरेशन लि०, अखिल मयन, लखनऊ।

2 श्री रामचरण सिंह राठीर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-12 शंकर नगर, विद्याला नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, 3090 पम्पर कारपोरेशन लि०, अखिल मयन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धिमान लाल गुप्ता अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	272	दिनांक 17-05-1997
(ग)	जन्मतिथि	10.11.1938	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुमलता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.06.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-11-1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ)	वेतन		17,750
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित दिनांक 17.08.2012
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14577
(ञ)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	68	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,500
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		67,500
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित दिनांक 17.8.2012
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 67500 का		13500 दिनांक 10.11.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसायी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्री धिमान लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता, पता को०एच० -26 कविनगर गाजियाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, जे०एच०एच०एच०, राकित मदन, लखनऊ।

16/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)
संघीय कार्यपालिका



पत्र सं० 13886 15-16 उ०प०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीराम सेवानिवृत्त उप सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ संख्या	6936	दिनांक 19.12.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती सावित्री देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		01.01.61
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.15
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड ए)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	72,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36075
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14430
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21645
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		36075 दि० 30.11.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21445

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छनहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निश्चय -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	186,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को तत्संशोधित पेंशन	₹	93100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू केतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) (i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	93100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14430
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	76670
(छ)	पारिवारिक पेंशन (घटी हुई दर पर)	₹	93100 दि० 30.04.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	55880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7262 13886 15-16 उ०प०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिस्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री श्रीराम, उप सचिव सेवानिवृत्त पता ई-3187, राजाजीपुर, लखनऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

3. अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

दिनांक के सामने सम्पूर्ण रूपसे प्रमाणित कर भुगतान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा. कार. लि.
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11662

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मनवती सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4573 दिनांक 10.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	15.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजमती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(6900)
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9538
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20632
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 30170/-दि० 14.01.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9538
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पूर्णस्थिति हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 68762
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 78300/-दि० 14.01.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान सर्वप्रथम में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

कोषाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7263

11662

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिस्तिथि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खम्ब-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहद्वीपुर, गोरखपुर।

2/ श्री मनवती सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अधिकारी, पदा-ग्राम-सुन्दर, थर्ड नं०-14, नंबर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, सेनासाइट, ज०प्र०/लेखा/पेंशन, सक्ति भवन, तख्तपुर।

कोषाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11654

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

जगदीश प्रसाद पाठक

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिबर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	4621 दिनांक 22.10.2009
(ग)	जन्मतिथि	02.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ममता पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.06.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 34,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17470
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6988
(छ)	राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹ 10482
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ 17470/-दि० 01.07.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10482
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 90,000
4	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 45000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 45000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6988
(च)	राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण मात्र पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्रह न लिया जाय	₹ 38012
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 45000/-दि० 01.07.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 27000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7264

11684

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री जगदीश प्रसाद पाठक, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता-न०-58, ब्लॉक न०-सी-4 के सामने, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदेश, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक दिनांक के साथ ही सम्पक प्रेषित करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेनसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7866

1998-1999 उपग्रो/लेखा/पंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र पाल गुप्ता

सेवानिकृत

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पंशन/पारिवारिक पंशन का दिनांक 01.01.2018 से
पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पंशनर/पारिवारिक पंशनर का विवरण

(क) पंशन का प्रकार	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(ख) पीपीओओ संख्या		557	11.11.1998
(ग) जन्मतिथि			01.10.1940
(घ) पारिवारिक पंशनर का नाम			श्रीमती चन्द्रकांता गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पंशनर की जन्मतिथि			11.09.1945
2.(क) सेवानिकृत/दिवंगत तिथि			30.09.1998
(ख) उत्तम्य लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-87000	ग्रेड-पे-(10000)
(घ) वेतन	₹		20900
(ङ) मूल पंशन	₹		27350
(च) पंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पंशन	₹		27350
(ज) पारिवारिक पंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पंशन साम्प्रदायिक दर पर	₹		16410
(ण) पंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	153000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पंशन	₹	
(क) मूल पंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78500
(ख) पंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78500
(ङ) राशिकृत पंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	78500
(छ) पारिवारिक पंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पंशन (साम्प्रदायिक दर पर)	₹	45900
(झ) अतिरिक्त पंशन (आयु के अनुसार) 20% 43531/- का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पंशन/पारिवारिक पंशन अथवा उपर्युक्त किन्तु-4 (घ) में आगणित पंशन/पारिवारिक पंशन को लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पंशन/पारिवारिक पंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पंशन)

पत्र सं० 7266

7866

1998-1999 उपग्रो/लेखा/पंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमवर्धन विद्युत वितरण विभाग लि०, रिस्टोरियुम पार्क, मेरठ।

2. श्री चन्द्र पाल गुप्ता, सेवानिकृत मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-जी-111, जी-ब्लॉक, सार्वी नगर, मेरठ-280004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को साफे साफे

स्थापित कर भुगतान प्रेषित करें।

दिनेश कुमार
लेखाधिकारी (पंशन)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेनसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन, शक्ति मवन, लखनऊ।



पत्र सं 11681 2009-2010 उममप्र/लेखा/पेंशन दिनांक 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि मोहन त्यागी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिशासी अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्धता
(ख) पीपीओअड संख्या	4676	दिनांक 23.11.2009
(ग) जन्मतिथि		01.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विनीसा त्यागी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08.08.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.08.2009
(ख) उत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-87000(10000)
(घ) वेतन	₹	58,570
(ङ) मूल पेंशन	₹	29285
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11110
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18176
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 29285/-दि 30.08.2014 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17571
(ण) पेंशन योग्य अईकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख) पेंशन हेतु अईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	76500
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	11110
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	65390
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 76500/-दि 30.08.2016 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 7267 11681 2009-2010 उममप्र/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण अण्ड-प्रथम, परिचमोचन विद्युत वितरण निगम लि०, टिक्टोरिया मार्क, मेरठ।

2. श्री हरि मोहन त्यागी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-11-बी, बसन्त बिहार किला रोड, चौक, पोस्ट-मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक के सापेक्ष उत्प्रेक स्थिति पर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उममप्र/लेखा/पेंशन, रावत भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



फन सं० 11886 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री मंगला प्रसाद मिश्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4575 दिनांक 10.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	03.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गायत्री मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.04.1962
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(घ)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(घ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 27605/-दि० 02.06.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71850
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संदान न लिया जायँ	₹ 62204
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 71650/-दि० 02.06.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में कृष्क से आदेश जारी किये जावेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

फन सं० 7268 11886 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पुरान्मल विद्युत वितरण निगम लि०, 87 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- श्री मंगला प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पक्षा-8/1 एक (70), बस्ती नं०-2, आनन्द नगर, मैत्री, प्रयागराज।
को इस आराध से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रक दिनांक के साफे सम्बन्ध में प्रेषित कर मुगलान प्राप्त करे।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कोषाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
दिनांक 13/02/19



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7285

94-95

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नीलिमा तिवारी पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	7005 दिनांक 20.04.2018
(ग)	जन्मतिथि	15.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नीलिमा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	15.03.1994
(ख)	सत्कम लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600
(घ)	वेतन	₹ 5,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13,830
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	घपरोक्स व एच ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(क)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(ख)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36,930
(क)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ङ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रत्येक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7280

7285

94-95

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती नीलिमा तिवारी पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता (दिवंगत), पता जीत रोड, फ्लैट नं० 308, पहाव, रामनगर रोड, सेगरा चन्दौली, वाघपत्तन।

को इस आशय से प्रेषित कि वर कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and date 13/2/19



पत्र सं० 12552 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 13-02-19
कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रजनी कान्त त्रिपाठी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्धता
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	
(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5555 दिनांक 12.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.05.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	06 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन बढि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो चसका सञ्चालन न लिया जावे	₹ 84580
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(ग)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के अन्तर्गत कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(च) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक् से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7271 12552 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूक्तार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खाण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिन्धु, वाराणसी।
2. श्री रजनी कान्त त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-सी०के०-49/19, हीज कटोरा, बांस फाटक, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ ही सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।
12/2/18
कोषाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11602

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रगु नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभिवर्धता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4521 दिनांक 10.08.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कंचन लता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.10.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.08.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 73,050
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34650
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13520
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21130
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन सञ्चारण दर पर	₹ 20790
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 84100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13520
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका हजान न लिया जाये	₹ 80580
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (सञ्चारण दर पर)	₹ 56460
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आवु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ख)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तादुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1272

11602

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री प्रगु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-139 बी, बज इनक्लेव छातोनी, पोस्ट-सुन्दरपुर, बाराणसी-221005

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनीज रोहटी
लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12888

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

14-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार वर्मा

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	8019 दिनांक 15.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.01.1953
2.(च)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रैंड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14344
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23708
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(च)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14344
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 85456
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (लागू के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा चर्चुलत विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुचतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का चर्चुलतानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुचतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7274

12888

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-बी-17, कपला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्बन्ध स्थापित कर मुचतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13/2/18
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 कोषागार, लखनऊ



पत्र सं० 11527 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 14-02-19

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम चन्द सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिसूचना सं०	दिनांक	अधिसूचना सं०	दिनांक	अधिसूचना सं०	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार						
(ख)	पीपीओओ संख्या	7457	विनांक	11.01.2019			
(ग)	जन्मतिथि						25.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम						श्रीमती कान्ती चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि						10.06.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि						31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान						छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (प्रैड पे)						37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन			₹			69,630
(ङ)	मूल पेंशन			₹			34815
(च)	पेंशन का शशिकृत माग			₹			12088
(छ)	शशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			₹			22747
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर						लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			₹			20889
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा						40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-						
(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)					14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन			₹			1,82,700
4	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को अर्हकारी पेंशन						
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			₹			91350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 09.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूर्वी)			₹			91350
(ङ)	शशिकृत पेंशन			₹			12088
(च)	शशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे			₹			79282
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			₹			54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7275 11527 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रश्मि भवन, लखनऊ।

2. श्री प्रेम चन्द, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-म०न०-2/160, विश्वास खण्ड, गामती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचना अभियन्ता, वेकसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, रश्मि भवन, लखनऊ।

मनाज मेहता
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन
शांति भवन, लखनऊ



उपरो पावर कारपोरेशन लि

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SC024928



पत्र सं० 7281

7764

1987-1988 उपरो/

दिनांक-13.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र पाल

सेवानिवृत्त

मुख्य
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र. सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओ संख्या	448	दिनांक 01.04.1988
(ग)	जन्मतिथि		02.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अज्ञित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.1988
(ख)	वत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500 / 21350-23875 / 63000-78000	
(घ)	वेतन	₹	23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के समरान्त घटी पेंशन	₹	31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संकोचित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93850
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित संकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित संकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	93850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायें	₹	93850
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (व्याय के अनुसार) 20% 93850/- का	₹	18730/- दि० 02.01.2020 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संकोचित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7281

7764

1987-1988 उपरो/

दिनांक-13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. लेखाधिकारी (अभियन्ता), एवं पेंशन वितरण सम्बन्ध-प्रधान, परिवर्धन विद्युत वितरण निगम लि, विक्टोरिया मार्क, मेरठ।
2. श्री महेन्द्र पाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-एच०-108, छातीक-पहाड़, शास्त्री नगर, मेरठ।
को इस वाक्य से अंशित कि यह कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9088 दिनांक-14.02.2019 के तापके अनुसार स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्रीता निजा

लेखाधिकारी (पेंशन)
उपरो पावर कारपोरेशन लि



पत्र सं०

7309

7806

97-98

300000/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषायार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद ईसार नबी त्रिभिजी

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	541	दिनांक 13.10.1998
(ग)	जन्मतिथि		16.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुरैया सुल्ताना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.03.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत माय	₹	पुनस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	153,000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78500
(ङ)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(छ)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(झ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनस्थापित
(ञ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	76500
(ट)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ड)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (अनु के अनुसार)	₹	15300 दि० 16.06.2020 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषायार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आवणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का पुनर्गणना वर्तमान में शासन द्वारा पेंशन की राशी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्गणना के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7309

7806

97-98

300000/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़

2. श्री सैयद ईसार नबी त्रिभिजी, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता- 4/863 जी-कब्रिस्तान कम्प्लाइन्स, नगला रोड, दोधपुर, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषायार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9084 दिनांक-16.02.2019 के साथ ही मंगलानुसार पुनर्गणना प्राप्त करें।

3. अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, 3000000000 लि०, सक्ति भवन, लखनऊ।

श्रीमती सुरैया सुल्ताना (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)
30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०
राजिंदर भवन, लखनऊ



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7335

12411

2011-2012 उपरो/

दिनांक-12.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री विन्मय रंजन दास

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीएचओ संख्या	5265 दिनांक 02.05.2011	
(ग)	जन्मतिथि		04.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ताना दास
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1957
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015/- दि० 03.01.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण		
(क)	से-मैट्रिक्स प्रकल्पित तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित राकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित राकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ब)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्रहण न लिया जाय	₹	70244/- दि० 02.08.2016 तक तदुपरान्त 83050/-
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050/- दि० 03.01.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 28.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7335

12411

2011-2012 उपरो/

दिनांक-12.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण सम्बन्ध-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री विन्मय रंजन दास, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता -डी-59/95ए-7, रामगुर्जन-द नगर कालोनी, सिंगरा, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी को प्रेषित फॉर्म B110 दिनांक-12.02.2019 के साथै सभी स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 7337

7867

98-99

309090/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती फातिमा पत्नी स्व० खुशीद आलम सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीओओ संख्या	507 दिनांक 22.07.1998
(ग)	जन्मतिथि	30.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शहनज फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.04.1945
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998/23.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 4800
(घ)	वेतन	₹ 11,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7458

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 68 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	8 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 66,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 33000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्संशोधित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 19800
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7337

7867

98-99

309090/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, 3090 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती शहनज फातिमा पत्नी स्व० खुशीद आलम सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक, पता- 220/15 दरियाई टोला, पाटा नाला, सुभाष बाई चौक, लखनऊ शौक, उत्तर प्रदेश, 226003।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9112 दिनांक-16.02.2019 के साथ संपूर्ण संप्रति कृत भुगतान प्राप्त करें।
- अधिराशी अभियन्ता, वेतनावल, 3090 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7350

11445

2008-2009 उ०म०प्र०/

दिनांक-13.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सुख राम

सेवानिवृत्त

स्टोर जमादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिबर्धता
(ख)	पीपीपीओओ संख्या	4265 दिनांक 27.01.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शक्ति देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्कम्य लागू वेतनमान	छठवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8800/9300-34800 ग्रेड पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 19,040
(ङ)	ग्रूल पेंशन	₹ 8520
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3314
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6208
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5712
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	96 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 49,400
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	ग्रूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 24700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 24700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3314
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹ 21386
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14820
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दिन्डु-4 (घ)/(ङ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का सुगमता वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगमता के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7350

11445

2008-2009 उ०म०प्र०/

दिनांक-13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकीर्ष) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुख राम, सेवानिवृत्त स्टोर जमादार, पता-ई-2/498, विनय सम्पद-द्वितीय, नोगाती नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 8125 दिनांक-14.02.2019 को समस्त सम्बन्ध स्थापित कर सुगमता प्राप्त करें।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

3 अधिसूची अभियन्ता, सेवानिवृत्त, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन प्रविजन एम. 032201UP1999SGC024923



पत्र सं०

7444

11762

09-10

उ०प्र०/

16.02.2019

कोषागार

कानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री होरी लाल

सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4652 दिनांक 12-11-2009	
(ग)	जन्मतिथि	07.08.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती मानेश्वरी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		24.10.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2009
(ख)	तत्समय लगू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैट (ग्रेड पे)	37400-6700 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		62,160
(ङ)	मूल पेंशन		31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत नाम		10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		18648
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रकमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन		10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का सुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7444

11762

09-10

उ०प्र०/

16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
श्री होरी लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 4626, आषाढ विकास कालोनी नं० 33 कानपुर-208017।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

को प्रेषित फ़ांक 9254 दिनांक 17.02.2019 के मापक सम्पक स्थापित कर सुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12405

2011-2012

उपभोग्य/लेखा/पेंशन

दिनांक 14-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती किश्वर बानो पत्नी स्को कम्पन हेडर सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	5257 दिनांक 27.04.2011
(ग)	जन्मतिथि	12.10.1956
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किश्वर बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.06.1967
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 62,220
(ङ)	ग्रुप पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(क)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 31110/-दि० 20.08.2020 तक
(ग)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18668
(घ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,60,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्राम न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 80300/-दि० 20.08.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्र से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7461

12405

2011-2012

उपभोग्य/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना अधिनियम, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपभोग्य कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती किश्वर बानो पत्नी स्को कम्पन हेडर, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पत्रा-12 एतिया कासानी, पीर बुखारा, यौक, लखनऊ।
को इस आधार से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रोंक

3. अधिसूचना अधिनियम, वंशदाय, उपभोग्य कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
दिनेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कारपोरेशन लि०
लखनऊ

को संपर्क स्थापित कर
मुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कारपोरेशन लि०
लखनऊ

कोषाधिकारी,
कोषागार, अलीगढ़।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० ४६२३ दि० ११.१२.२०१८ को निरस्त करतें हुये निर्गत

विषय- कार्यादेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अर्पित शासनादेश सं०-३९ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०५.०९.२०१७ एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-१११ दिनांक ३०.०९.२०१८ के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिकारिता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०आ०संख्या एवं दिनांक	२०१७ २८.१२.२००२
(ग)	जन्मतिथि	२२.०९.१९४४
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती योगेश रानी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	०२.०१.१९४६
२.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	३०.०९.२००२
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	पांचवा वेतन पान
(ग)	वेतनमान/वेतन कैड (ग्रेड पे)	१८४०८-२२४००/३७४०८-६७००८ GP १००००
(घ)	वेतन	Rs. २२,९००.००
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. २७,३५०.००
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. ४,४७०.००
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. २२,८८०.००
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. १६,४१०.००
(ट)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	६६ कमाहियाँ
३	दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -	
(क)	पै-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१६ के अनुसार)	१४
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. १,६७,२००.००
४	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. ८३,६००.००
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१६ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के च्युतत्व वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. ८३,६००.००
(च)	राशिकृत पेंशन	४४७० पुनर्स्थापित २८.०३.१८
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹० १९१३०/- ०१.०१.१६ से २७.०३.१८ तदनुसार का ६३४००/-
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. ५०,१६०.००
(ट)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A


५. कार्यादेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अर्पित शासनादेश सं०-३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्ताव-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-४ (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१६ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-१५६२ उ०प्र०/लेखा/पेंशन/१२६४/०२-०३ तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
- श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-एच०आई०जी०-२, दक्षिण फंस-१, १००००० अरुणाचल, रामचंद्र रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


लेखाधिकारी (पेंशन)

गणेश मेहरोत्रा
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/१२६४/०२-०३



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION (FORM U32201UP1999SGC024928)



पत्र सं०

8017

01-02

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक 14-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1920 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता	
(ख)	पीपीओ संख्या	1765	दिनांक 23.02.2002
(ग)	जन्मतिथि		20.09.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती श्यामा चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.01
(ख)	सत्समय लागू वेतनमान		पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		21350-23975
(घ)	वेतन	₹	22,925
(ङ)	ग्रूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4543
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26957
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	181,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	90900
(क)	ग्रूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4543
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	₹0 88357/- दि० 08.08.2018 तक तदुपरान्त ₹0 90900/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1920 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7463

9017

01-02

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2. श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त पत्नी निवास चन्द्रपीठी, जे०-14 ब्लॉक बैंक कालोनी, बर्रा, कानपुर

को इस आधार से प्रेषित कि वर कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन, राकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनीष महाराज

कोषाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 10134 2004-2005 उ० प्र० पा०/लेखा/पेंशन दिनांक 14-02-19
कोषाधिकारी, कोषागार,
मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री लोकेश चन्दा सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	अधिपर्वता
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	
(क)	पेंशन का प्रकार	अधिपर्वता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2879 दिनांक 16.11.2004
(ग)	जन्मतिथि	08.09.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.10.1943
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2004
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4407
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27093
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य आईकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संतोषित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु आईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4407
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन बढी राशिकरण भाग पुनर्समाहित हो चुका है तो ससका संज्ञान न लिया जाये	₹ 86493
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (जायु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो कर पुरतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से क्रिये जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7464 10134 2004-2005 उ० प्र० पा०/लेखा/पेंशन दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय विवरण खण्ड-प्रथम, परिषदोंत विद्युत विवरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।
- श्री लोकेश चन्दा सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-208 दक्षिणी सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर। 25/00/ को इस अशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर पुनतान प्राप्त करें।

अधिसारी अभियन्ता, वेवसाइट, उ० प्र० पा०/लेखा/पेंशन, अखिल भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
अखिल भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: U32201UP199956024928

पत्र सं० 12297 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्र बहादुर सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण को सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6585 दिनांक 18.09.2014	
(ग) जन्मतिथि	24.12.1950	
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रभावती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1951
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख) तत्काल्य लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बंद (पेड पे)	37400-67000 GP. 10000	
(घ) वेतन	₹	69,980
(ङ) मूल पेंशन	₹	34,990
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13,996
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,994
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20,994
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,82,700
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91,350
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	91,350
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	13,996
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	77,354
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54,810
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आवृ के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो ताम्रप्रद हो का पुनरावलोकन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरावलोकन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7465 12297 10-11 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2. श्री इन्द्र बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता 77 ई-1, अलौरीबाग, प्रयागराज-211006

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ संदर्भ स्थापित कर सुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०कल्लि, राकित भवन, लेख-18।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSTON C/N: U32201UP199956C024928

पत्र सं०

12308

10-11

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजीपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्मित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि नारायण राम

सेवानिवृत्त

अधिराशी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5201	दिनांक 10.03.2011	
(ग)	जन्मतिथि			03.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रिड में)		37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹		64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -			

क्र.	विवरण	दिनांक	विवरण
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(ङ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	83,050
(च)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70,244
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में सूचना से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7466

12308

10-11

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिराशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजीपुर
2. श्री हरि नारायण राम, सेवानिवृत्त अधिराशी अभियन्ता, पता कम एवं पोस्ट फतेहउल्लाहपुर, जिला गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार गाजीपुर को प्रेषित पत्रक

दिनांक के साथ ही सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिराशी अभियन्ता, देवताइट, उपरो/लेखा/पेंशन, सफा मकान, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 14/2/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC029928

पत्र सं०

13023

12-13

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं उत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रमन वीर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्धत	
(ख)	पीपीओओ संख्या	8043	दिनांक	08.04.2013
(ग)	जन्मतिथि			07.01.1963
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹		67,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33,970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13,588
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20,382
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ट)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियों	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		88,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त अ एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹		88,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13,588
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74,512
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7467

13023

12-13

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिसूचना अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमींचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2/ श्री रमनवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता गकान नं० 4-28, लोहिया नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य समर्थक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3/ अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

14/2/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1995GC024928

पत्र सं०

12305

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बलिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीप्रकाश

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5197 दिनांक 08.03.2011
(ग)	जन्मतिथि	20.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मन्जुलता बरनवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.08.1951
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठें वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन ब्रेड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का शशिकृत भाग	₹ 12,806
(छ)	शशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन	₹ 19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियों
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शशिकरण से पूर्व)	₹ 83,050
(ङ)	शशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च)	शशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि शशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7469

12305

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपरपक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-नवल विद्युत वितरण निगम लि०, बलिया

2. श्री श्रीप्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मुहल्ला गालिबपुर, भीटी मक, जनपद मऊ

को इस आक्षेप से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार बलिया को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के जापस प्रमाण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसारी अभियन्ता, देवरासट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, राफिा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGG02492B



पत्र सं०

12302

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार सहायनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री जय पाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	श्रीमती अमरेश
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	5237 दिनांक 15.04.2011	
(ग)	जन्मतिथि		07.11.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती अमरेश
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		03.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छम्हियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग/घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आवृ के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगवान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किता जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगवान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7470

12302

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षा सप्ट, परिषदांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहायनपुर
2. श्री जय पाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ब्रह्मपुरी कालोनी, पेपर मिल रोड, बजाज स्कूल एजेंसी के पीछे, सहायनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहायनपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ संपर्क स्थापित कर मुगवान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेसाइट, उपग्रोपावर लि०, सहायनपुर, लखनऊ।

के साथ संपर्क स्थापित कर मुगवान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12298

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5193	दिनांक	05.03.2011
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2010
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹		64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹		70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (भाग के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7471

12298

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं वायुमय इंजीनियरिंग, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, भांति भवन, लखनऊ।
- श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता बी-36, शिवानी विहार, कल्याणपुर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सामने सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, भांति भवन, लखनऊ।

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सामने सम्पर्क स्थापित कर

लेखाधिकारी (पेंशन)

आ

दिनांक



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12299

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कौषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री मृषण कुमार रस्तोगी

सेवानिवृत्त

अधिकांशी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5247	दिनांक	21.04.2011
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मृदुल रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			23.02.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹		71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35,860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14,344
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21,516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21,516
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		94,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14,344
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाई	₹		79,756
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		56,460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 28.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधक उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(च) में अग्रणीत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7472

12299

10-11

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री मृषण कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अधिकांशी अभियन्ता, पता 804 आर्बिड ब्लॉक, एडिडको पार्क, यू. अपार्टमेंट, सीतापुर रोड, लखनऊ-228020
का इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श कौषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सामने सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिकांशी अभियन्ता, वेतनभंड, उपग्रोपावरकारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सत्कार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7723

7484

1998-1997 उ०म०स०/

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रजिशा सुल्ताना पत्नी स्व० रफि उल्ला सेवानिवृत्त चालक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	91 दिनांक 06.06.1998
(ख) पीएमपीओ संख्या	
(ग) जन्मतिथि	10.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती रजिशा सुल्ताना
(ङ) पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	01.01.1958
2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.02.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	बीथा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	1350-2180/4500-7500/8200-20200 ग्रेड-पे-3000
(घ) वेतन	₹ 1,980
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(ज) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(ञ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3500
(ट) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	38 छमाहियां
3	
a दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	5 तालिका न०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 40,000
4 प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 20000
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्संस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 12000
(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति शपथ होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7723

7484

1998-1997 उ०म०स०/

दिनांक-25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अगियन्ता, विद्युत एवं वायुमार्ग इकाई, (पेंशन सेल) उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विमान लखनऊ।
- श्रीमती रजिशा सुल्ताना पत्नी स्व० रफि उल्ला, सेवानिवृत्त चालक, पता-202ए/106 हाथी पार्क के सामने, जवाहरनगर, लखनऊ-226018 को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9343 दिनांक-25.02.2019 के माध्यम से प्रेषित कर मुगतान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)
- अधिसूची अगियन्ता, वेबसाइट, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CHL: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7724

8112

1999-2000 304090/

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अरुण प्रभा भाटिया पत्नी स्व० रमेश
चन्द्र भाटिया सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	775 दिनांक 21.08.1999
(ग)	जन्मतिथि	29.05.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अरुण प्रभा भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.10.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1999/09.11.2005
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	21350-23875/83000-78000
(घ)	वेतन	₹ 22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साम्प्रारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	06 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पै-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्ता ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साम्प्रारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-29 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7724

8112

1999-2000 304090/

दिनांक-25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित:-

2- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण अर्ध-स्थल मध्यमचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2- श्रीमती अरुण प्रभा भाटिया पत्नी स्व० रमेश चन्द्र भाटिया, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पत्र-125, जनकपुरी गौतम कालोनी, बरेली-243003

को इस आशय से भेजित कि वह

कोषागार

बरेली

को भेजित पत्रांक 8344 दिनांक-25.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7725

8111

1999-2000 उ०म०म०/

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी स्व० विनोद कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	2846 दिनांक 08.08.2004
(ग)	जन्मतिथि	09.10.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुसुम गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.02.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैल (ग्रेड बैंड)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पै-10000
(घ)	वेतन	₹ 19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	44 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पै-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्रान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सहायित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिनियम 1947 के अन्तर्गत (घ)/(ङ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनर्निश्चित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7725

8111

1999-2000 उ०म०म०/

दिनांक-25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण स्वरूप-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी स्व० विनोद कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-एसाएनसी-201, न्यू शिवा सनसिटी, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद-201002, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 8345 दिनांक-28.02.2019 के सहायक सचिव के नामित कर मुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०म०म०म०म०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं 7892

10295

2004-2005 उपग्रो/

दिनांक-26.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
अयोध्या (फैजाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-29 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुशील कुमार अस्थाना

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीपीओ संख्या	3827	दिनांक	15.11.2006
(ग)	जन्मतिथि			05.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2004
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			14300-18300/37400-57000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹		17,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23050/- दि० 20.07.2010
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4014
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19036
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहिया
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(ख)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4014
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		63236
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अग्र के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-29 दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ज) में बाणगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का शुरुआत वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के शुरुआत के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 7892

10295

2004-2005 उपग्रो/

दिनांक-26.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को गृहणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण अथवा, गव्यांसल विद्युत वितरण निगम लि० अयोध्या (फैजाबाद)।
2. श्री सुशील कुमार अस्थाना, सेवानिवृत्ता लेखाकार, पता-5/19/110, देवकली मन्दिर के पास, देवकली गांव, फैजाबाद-224001

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

अयोध्या
(फैजाबाद)

को प्रेषित पत्रक 8412 दिनांक-27.02.2018 के समस्त सम्पक स्थापित कर शुरुआत प्राप्त करे।

3. अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, राशि धवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION GEN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7982

8809

2001-2002

उपग्रो/

दिनांक-27.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश द्विवेदी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार		1746 दिनांक 19.03.2002	
(ख)	पीपीओओ सख्या			
(ग)	जन्मतिथि			01.08.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सावित्री द्विवेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.08.1949
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2001
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-20000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹		19550
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24285
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3020
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21275/- दि० 18.06.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			06 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे मैट्रिक्स प्रकाशित तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स को न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त सं एवं ग पे से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3020
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है जो उसका संज्ञान ग लिया जाये	₹		66530/- दि० 18.06.2017 तक तदुपरान्त 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का पुनरावलोकन में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुसूची के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरावलोकन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7982

8809

2001-2002

उपग्रो/

दिनांक-27.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2 श्री दिनेश द्विवेदी, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-270, शिव कुटी, इलाहाबाद-211004

को इस आवेदन से प्रेषित कि यह

कोषागार

प्रयागराज
(इलाहाबाद)।

को प्रेषित पत्रांक 10040 दिनांक-28.02.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर पुनरावलोकन प्राप्त कर

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 27/02/19

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लिमिटेड, सफ़ी भवन, लखनऊ।



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपकरण)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7983

8836

2001-2002 उपरो/

दिनांक-27.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगा प्रसाद राय

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या	1625	24.11.2001	
(ग)	जन्मतिथि			01.06.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शान्ति राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.12.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000	ग्रेड पे-8700	14300-18300
(घ)	वेतन	₹		16700
(ङ)	मूल पेंशन	₹		22352
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		2415
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19937
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			04 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार कालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12	तात्कालिक नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	130800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संबंधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	63322
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 04.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63322
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2415
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	80907
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/ (च) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू है का शुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संबंधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के शुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूल्क से वादेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7983

8836

2001-2002 उपरो/

दिनांक-27.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, कोस्की, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।
2. श्री गंगा प्रसाद राय, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-45, माता छजईपुर, प्रतापगढ़-230129

को इस आधार से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 8476 दिनांक-28.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित शुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कोषागार, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रो सरकार का उपकरण)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP199996G024928

पत्र सं 7987

13776

2015-2018

304090/

दिनांक-27.02.2018

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कमर आलम

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	8810 दिनांक 15.07.2016
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1966
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नसीन आलम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	16600-39100(5400) दि 14.01.2018 तक 16600-39100(6800) दि 15.01.2018 से लागू
(घ)	वेतन	₹ 33180/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 34500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 16590/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 17250/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9954/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 10814/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमणार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका सं-10 दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त तालिका सं-11 लागू
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 87400/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 91100/- लागू नहीं
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 43700/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 45550/-
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त छ एवं ग में जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित संकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित संकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 43700/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 45550/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सन्धान न लिया जाये	₹ 37064/- दि 14.01.2018 तक तदुपरान्त 38914
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 45080/- दि 30.08.1988 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 27330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो ताम्रपद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 7987

13776

2015-2018

304090/

दिनांक-27.02.2018

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री कमर आलम, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-मन-52B-डी-2/79, बसन्त विहार कल्याणपुर, निकट राम धर्म कॉला रिंग रोड, लखनऊ-226022

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9480 दिनांक-28.02.2018 के शासनादेश सं-28 दिनांक-28.02.2018 के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करें।
उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन लखनऊ
लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिशासी अभियन्ता, पैदाइश, उपग्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited
(A.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7987

6448

89-90

उपरो/

दिनांक-27.02.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, सहारनपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती भूपेन्द्र कौर पत्नी स्व० हरदयाल सिंह सेवानिवृत्त अधिासी अधिवन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	परिणाम
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पीपीओ संख्या	6257 दिनांक 08.11.1990
(ग)	जन्मतिथि	05.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती भूपेन्द्र कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.05.1946
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	15.05.1988 / 04.06.2010
(ख)	तत्काल्य लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 37400-87000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 5,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का शसिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	शसिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 53
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन से आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कब होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग/1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शसिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(च)	शसिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	शसिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शसिकरण माग पुनर्संबधित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (कमी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ण)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38990
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(च) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7987

6448

89-90

उपरो/ दिनांक 27.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आकरषक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिासी अधिवन्ता विद्युत वितरण सखंड-प्रथम, पुर्वनवल सहारनपुर।

2. श्रीमती भूपेन्द्र कौर हरदयाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिासी अधिवन्ता, पता-6 एक सी आई कालोनी समीप गुरुश्रीग बहादुर नगर, जालन्धर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर। को प्रेषित पत्रांक 8990 दिनांक 28.02.2019 के सामेल सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिासी अधिवन्ता, सेवसाइट, उपरो/उपरो/उपरो, सक्ति मन्ड, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

27/02/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SG0024928



पत्र सं० 8000 10395 04-05 उ०म०प्र०/ दिनांक-27.02.2019
कोषाधिकारी,
कोषागार, वाराणसी।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री झानेन्द्र प्रताप सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अभिव्यक्ति
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	3211	दिनांक 17.06.2005
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचरा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-20300/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24285
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	69550
(च)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88550
(छ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मान पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	₹ 88550 दि० 17.11.2020 तक तदुपरान्त ₹ 69550
(झ)	पारिवारिक पेंशन (कहीं हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ञ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(ट)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8000 10395 04-05 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- श्री झानेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पदा-ग्राम कटघरा खादिमान, पो० देवकली, जिला गाजीपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 8983 दिनांक 28.02.2018 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, कैलाशपुर, उ०म०प्र०/का०लि०, अंकित पत्र, लखनऊ।

27/02/19 लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 27.02.2019



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8006

8258

1999-2000 उ०प्र०/

दिनांक-28.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० रामेश्याम विश्वकर्मा सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	840 दिनांक 15.02.2000
(ग)	जन्मतिथि	26.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.02.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	19.05.1999
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6500-11000/9300-34800 ग्रेड पे-4800
(घ)	वेतन	₹ 9700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6576
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	57 छमाहियां
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	08 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80400
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पत्र दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 30200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो छसका संज्ञान न लिया जावे	₹ लागू नहीं
(च)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 16120
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8006

8258

1999-2000 उ०प्र०/

दिनांक-28.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं अवगत्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं प्रांशिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राशिक गवन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० रामेश्याम विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पत्रा-588घ/25, ग्रेग नगर, आलमबाग, लखनऊ-226005

को इस आशय से प्रेषित कि यह आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 8509 दिनांक-01.03.2018 के तालिका संकेत स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वैद्यसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राशिक गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० रामेश्याम विश्वकर्मा



उ०प्र०-पारिवारिक पेंशन/पेंशन/लि०
(उ०प्र०-पारिवारिक पेंशन/पेंशन/लि०)



पत्र सं० 10595 05-06 उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 5/2/19.

कोषाधिकारी,
कोषागार, मुजफ्फरनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निरत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बालेश्वर दयाल सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ संख्या	3413	दिनांक 02.02.2006
(ग)	जन्मतिथि		12.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती राधा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		29-08-1950
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.05
(ख)	उत्तमम वेतनमान		राजव वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300
(घ)	वेतन	₹	17500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23060
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2585
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20485
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहों
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	134,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			67250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67250
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2585
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संकलन न लिया जायें	₹	64865
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान कर्ममान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6926 10595 05-06 उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर
- श्री बालेश्वर दयाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 816/3 जवाहर कालोनी, पटेल नगर मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक 11-02-2019 के साथ संयुक्त रूप से भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, वैजसाइट, उ०प्र०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक।

लेखाधिकारी (पेंशन)